

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXVII, Thirteenth Session, 2017-2018/1939 (Saka)
No. 6, Friday, December 22, 2017/Pausha 1, 1939 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
FELICITATIONS BY THE SPEAKER	
Congratulation to Sportspersons on Success	7
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 101 to 105	9-70
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 106 to 120	71-123
Unstarred Question Nos. 1151 to 1380	124-538

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	540-581, 583-584
COMMITTEE ON PETITIONS 40 th to 46 th Reports	582
COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN 10 th Report	585
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES Statements	585-586
STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL 35 th Report	586
COMMITTEE ON PETITIONS Petition	587
BUSINESS OF THE HOUSE	588-594
MOTION RE: APPOINTMENT OF MEMBERS OF LOK SABHA TO THE JOINT COMMITTEE ON THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2016	595
ELECTIONS TO COMMITTEES	
(i) Joint Committee on Office of Profit	596
(ii) Central Supervisory Board	597
GOVERNMENT BILLS - Introduced	598-599
(i) Specific Relief (Amendment) Bill, 2017	
(ii) Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2017	
(iii) National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017	

**STATEMENT RE: GOODS AND SERVICES TAX
(COMPENSATION TO STATES) AMENDMENT
ORDINANCE, 2017**

599

DISCUSSION UNDER RULE 193

Natural calamities in various parts of the country with special reference to Cyclone Ockhi in South India	601-702
Shri K.C. Venugopal	601-608
Shri P.R. Sundaram	609-615
Prof. Richard Hay	616-622
Shri Bhartruhari Mahtab	623-627
Shri Arvind Sawant	628-632
Shri P. Karunakaran	633-639
Shri Nalin Kumar Kateel	640-647
Prof. Saugata Roy	648-652
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	653-658
Shri A.P. Jithender Reddy	659-661
Dr. Shashi Tharoor	662-671
Mohammed Faizal	672-676
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	677-678
Shri N.K. Premachandran	679-684
Shri Jose K. Mani	685-686
Shri Rajnath Singh	689-702

**MOTION RE: COMMITTEE ON PRIVATE
MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS**

36th and 37th Reports

703

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

**(i) Renovation of buildings located in the vicinity
of various defence establishments**

704-716

Shri Gopal Shetty

704-705,
725-726

Shri Adhir Ranjan Chowdhury

706

Dr. Subhash Ramrao Bhamre

707-709

Resolution - Withdrawn

716

**(ii) Implementation of a stringent Population
Control Policy**

732-756

Shri Raghav Lakhanpal

717-727

Shri Ravindra Kumar Ray

728-738

Shri Nishikant Dubey

754-756

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions

757

Member-wise Index to Unstarred Questions

758-763

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions

764

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

765

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, December 22, 2017/Pausha 1, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

FELICITATIONS BY THE SPEAKER
Congratulation to Sportspersons on success

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, भारत ने 8 से 14 दिसम्बर, 2017 तक दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा खेलों (Asian Youth Para Games) में 17 स्वर्ण, 14 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

यह उल्लेखनीय उपलब्धि हमारे सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी।

यह सभा भारतीय दल को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बधाई देती है और उनके भावी प्रयासों में सफलता की कामना करती है। It is really creditable.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, Question Hour.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Nothing other than the Question Hour.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Question No. 101, Shri Anandrao Adsul.

... (Interruptions)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, please allow me to speak. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: What do you want to speak? Do you want to say something about the Para Games? Do you also want to congratulate them? क्या इसमें अलग से कुछ करना चाहते हैं?

... (Interruptions)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं भी पहले स्पोर्ट्समैन था। I used to play hockey. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मैं बोल रही हूँ।

... (ब्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैंने रूल 56 के तहत एडजर्नमेंट मोशन दिया है। ... (ब्यवधान) Madam, you should allow us to speak on it. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : एडजर्नमेंट मोशन अभी नहीं होगा, 11 बजे कुछ नहीं होगा।

अडसुल जी, आप बोलिए।

...(ब्यवधान)

11.03 hrs

(At this stage, Shri S.P. Muddahanume Gowda and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

11.04 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Question No. 101, Shri Anandrao Adsul.

(Q. 101)

SHRI ANANDRAO ADSUL : Madam, in comparison to the developing countries like Bangladesh, China, Indonesia and Kuwait the expenditure on health in our country is very less. ... (*Interruptions*) In percentage terms it is only 1.16. ... (*Interruptions*)

India is one of the biggest countries in the world, and it is likely to develop into one of the world's most advanced countries in the near future. ... (*Interruptions*) But, unfortunately, in the health sector, we are very weak if we see the GDP and expenditure. ... (*Interruptions*)

I know that it is a State subject, but, ultimately, being the Union Government, its responsibility is also there. ... (*Interruptions*) Hence, I would like to know this from the hon. Minister. Why is the expenditure on it very low? ... (*Interruptions*) What are the reasons for the low expenditure by the States? There is a provision of good allocation in the budget but unfortunately some of the States are not utilising it properly. That is why the expenditure is less. I would like to know the reasons behind it from the hon. Minister.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Hon. Member has expressed two concerns. One is regarding the expenditure that the Government made in the healthcare sector and second is the spending pattern by the States. These are the two aspects of the question to be addressed in comparison with the developing countries.

With respect to the first part of your question, I want to tell you that there are several efforts and initiatives that the Government of India has made in order to increase the spending on health. The first thing is that if you compare this year's budget with that of last year, we have made an increase of 27 per cent. Apart from that, with respect to the NHS there has been an increase of 15.5 per cent over the last year. The new National Health Policy 2017 has been announced wherein we

have made a commitment that we are going to raise our spending in healthcare sector as a percentage of GDP from the current 1.13 per cent to 2.5 per cent by 2025. Other than this, we have also asked the States to spend at least eight per cent of their general budget in the healthcare sector.

You also know that when our Government took over, we have made a decision of adopting the recommendations of the 14th Finance Commission by which there was greater devolution of taxes to States – from 32 per cent it went up to 42 per cent. Now, the States share of expenditure is also increased. Earlier we used to have Centre-State sharing of 75:25 but now the States share has been increased. Now, the funding pattern has also been revised to 60:40.

Other than that, another important aspect is, we asked the States under an MoU, under the NHM, to increase their allocation by 10 per cent every year. These are the various steps that we have taken with respect to increasing Government's spending on health.

Coming to the second part of the question regarding concern about some of the States not being able to utilize the budget that we give them under NHM, we take a number of steps. If you go through the answer that I have given to you, there are several steps that we have taken, which we do on a regular basis in order to monitor the implementation and usage of the funds that we give under the NHM to the States.

Under the NHM we have several mechanisms like the Common Revision Mission, Mission Sharing Group. As an MP, you also take part in the Disha meetings where you can, at your level, analysis how good the implementation of the budget is. So, there are several steps we are taking. We do a regular dialogue with the States and the States which are not able to utilize the funds given to them under the NHM, we try to connect with them through video conferencing; we try to send letters to them; our hon. Minister has also written to them. At times, if there is a need, we also disincentivise them. A whole set of things we do in order to make sure that on the one hand, we increase the spending on health, and on the

other hand, we also make sure that the amount of funds that we given to the States is also utilized judiciously.

SHRI ANANDRAO ADSUL : I would like to remind the hon. Minister that last year in the presence of the hon. Minister, e-medicine demonstration had taken place. At that time, I have seen that the doctor in a tribal area of my constituency was checking a patient in the primary centre and the experts and doctors from Mumbai were advising him. So, the introduction of tele-medicine or e-medicine is very much useful for the backward and rural areas of the country.

I would like to know the progress of work under this Scheme. That is the first thing. Secondly, there is a relaunching of the generic medicine. It was earlier launched by the UPA Government in 2008 but our hon. Prime Minister has relaunched it where medicines are available at a very reasonable price, almost equal to the manufacturing price. There are so many items. I think, more than 500 items are there in generic medicines. But during last one and a half years after launching it, I think it has not progressed much, as per the expectation. I would like to know the present status of the generic medicine and telemedicine.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: The questions that he asked, one pertains to the telemedicine and the second pertains to the generic medicines. Sir, telemedicine is not related to the subject, however, I would like to bring to your notice that India has a population of 1.3 billion and providing healthcare to such a huge population is a daunting task which you can understand. That is why, considering the shortage of doctors and infrastructure to cater to the needs of such a huge population, we came up with the initiative of telemedicine. We want to develop Telemedicine Networks in the States everywhere wherein the PHCs and CHCs would be connected to the medical colleges and superspecialties within the States. What we do here is that we give all the technical and financial support to the States under NHM to set up their own State Telemedicine Network and we have also released the funds to them. ... (*Interruptions*) Now, it is up to the States to grow it, develop it and make sure that population within their boundaries gets the

benefits of the specialist services from the doctors of the medical colleges and superspecialties.... (*Interruptions*)

The second part of the question is about the generic medicine which, basically, relates to the Pharmaceutical Ministry. I think, it does not pertain to the subject and my Ministry. We are actually kind of putting emphasis on the initiative of the AMRIT Pharmacy which is to provide medicines for life-threatening diseases at a discount of 70-90 per cent of market prices and this has resulted in huge savings to the patients.

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया, आज स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। ... (व्यवधान) सरकार ने इसके लिए अच्छी निधि का प्रावधान किया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इस निधि का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ... (व्यवधान) उदाहरणस्वरूप पिछले कई महीने पहले उत्तर प्रदेश में आक्सीजन न होने के कारण कई शिशुओं की मृत्यु हो गयी। यह स्थिति सारे देश में है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य चाहे राज्य सरकार का विषय हो, लेकिन इतनी निधि देने के बाद केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह राज्यों पर अपना कंट्रोल रखे। मैं बताना चाहता हूँ कि विदेशों में कोई भी कार रोड पर आने से पहले उसका इंश्योरेंस किया जाता है। ... (व्यवधान) ऐसे ही जन्म लेने वाले हर शिशु का मेडिकल इंश्योरेंस करने की योजना केन्द्र सरकार के माध्यम से होनी चाहिए। ... (व्यवधान) हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर है, तो क्या सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी? ... (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके भी दो ऑप्शैक्ट्स हैं। उन्होंने पहला प्रश्न यह पूछा कि हम राज्यों को जो पैसा दे रहे हैं, उस पर क्या हमारा नियंत्रण है। अगर आपने उत्तर को गंभीरता से देखा है, तो हमने उसमें स्पष्ट रूप से तमाम तरीके बताये हैं, जिसके माध्यम से हम पैसा राज्यों को देते हैं। हम उस पैसे की निगरानी करते हैं। मैंने बताया है कि आप माननीय संसद सदस्य हैं, तो दिशा की बैठकों में आप स्वयं, आपके संसदीय क्षेत्र के लिए एनएचएम के तहत जो पैसा मिल रहा है, उसकी निगरानी कर सकते हैं। अगर आपको उसमें हमसे कोई सहयोग चाहिए, तो हम जानकारियों का समस्त सहयोग भी दे सकते हैं। हमारे पास कई सारे मैकेनिज्म हैं। मैं उन्हें पढ़ूंगी, तो वह रेपिटिशन होगा। मैंने इस बारे में पहले भी बताया है कि इसके जरिये हम राज्यों को जो पैसा देते हैं, उस पर हम निगरानी करते हैं। लेकिन हमारे संघीय ढांचे की जो व्यवस्था है, उसमें हम ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हमारा इंटरफियरेंस हो जाये।

लेकिन हमारी जो एक निगरानी है, वह बनी रहे। आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है।

...(व्यवधान)

श्री विनायक भाऊराव राऊत : अध्यक्ष महोदया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप दो-तीन प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है।

श्री रत्न लाल कटारिया जी।

...(व्यवधान)

श्री रत्न लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि पिछले तीन सालों में हर साल हेल्थ के ऊपर प्रति व्यक्ति बजट को बढ़ाया गया है। आज सारी दुनिया भारत को एक ग्लोबल पावर मानने लगी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आज जो कम्युनिकेबल और नॉन-कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, क्या नॉन-कम्युनिकेबल डिजीजेज के ऊपर खर्चा बढ़ गया है और अगर वह बढ़ गया है तो उस दृष्टि से क्या सरकार लोगों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देगी।...(व्यवधान)

मैं इसके साथ यह कहना चाहूंगा कि ये जो मेरे मित्र सवेरे यहां पर खड़े हो जाते हैं, ...* के नारे लगाते हैं।...(व्यवधान) मैडम जी एक सेकेंड का समय दें।...(व्यवधान) मैं इनके लिए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप मोदी की ऊंचाई को नापना चाहते हैं।...(व्यवधान) तो आसमान को ऊंचा करना होगा।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record, only question.

...(व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदया, आज सवेरे से ही ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं उत्तर देना चाहूंगी।

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष : क्यों विषय से संबंधित नहीं है?

... (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : माननीय सदस्य ने नॉन-कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में पूछा है। पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत कम्युनिकेबल डिजीजेज हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गयी थीं, लेकिन हमने उस पर बहुत काम किया। उसी दौरान हमारे देश में लाइफ स्टाइल डिजीजेज नॉन-कम्युनिकेबल डिजीजेज, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर जैसी बीमारियों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई।... (व्यवधान) हमने तुरंत उस चुनौती को समझा और उसका सामना करने के लिए एनपीसीडीसीएस योजना तैयार की है। आज की तारीख में इस योजना के तहत 165 जिलों के अंदर कम्पलसरी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तीस साल या तीस साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं, उनकी ओरल, ब्रेस्ट कैंसर, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग हो रही है। जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी में प्रिवेंटिव आस्पैक्ट की बात की गयी है, उस दिशा में है।... (व्यवधान) हमारा खर्चा भी बढ़ रहा है, हमारी कोशिश भी बढ़ रही है और हम पूरा ध्यान एनपीसीडीसी के प्रिवेंशन पर दे रहे हैं।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA : Hon. Speaker Madam, thank you for allowing me to speak. I have very small question to ask. Is the Government aware that many times non-utilization of the central fund is partly due to delay in the release of allotted fund to the States? ... (*Interruptions*) Many times, it comes in the month of December and then it becomes very difficult to finish the job within the month of March next year. What is the reason behind it and what measure on your part can be taken to release the fund quickly? It will be better. ... (*Interruptions*) It is very good that the Centre has increased the fund. At the same time, they have divided the State and Central fund in the ratio of 60:40. Kindly reduce it to a little less for the States so that it can be done quickly. ... (*Interruptions*)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : मैडम, आप उल्टी दिशा में चल रही हैं। हम अलग दिशा में चल रहे हैं। हम स्टेट का पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं।... (व्यवधान) अल्टिमेटली स्टेट की जिम्मेवारी है।... (व्यवधान) आपने विषय उठाया है कि राज्यों के पास पैसा नहीं होता है। मैं आपकी जानकारी को थोड़ा दुरुस्त करूंगी कि हमेशा जो राज्यों के पास पैसा खर्च करने लिए होता है, वह सेंट्रल शेयर के रूप में होता है, स्टेट शेयर के रूप में होता है और अनस्पेंट बैलेंस के रूप में होता है। इसमें जो अनस्पेंट बैलेंस होता है वह एक तरीके का बफर

होता है और 15 प्रतिशत मिनिमम मेनटेन किया जाता है ताकि जब तक अगला बजट रिलीज हो, तब तक सर्विसेज की कन्टिन्युटी मेनटेन रहे। यह नियम है कि हम 15 प्रतिशत का बफर मेनटेन करके रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर वह टाइमली रिलीज नहीं हो पा रहा है तो स्टेट के पास बिल्कुल ही फंड नहीं है और उनको किसी प्रोग्राम को बीच में रोकना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ... (ब्यवधान)

(Q.102)

श्री संजय धोत्रे : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बहुत विस्तृत जानकारी दी है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सारे विश्व से जुड़ा हुआ है। एनवायरमेंट, इकोस्टीम, बायोडायवर्सिटी ग्लोबल फिनोमिना है और इसके लिए सारे विश्व में जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें हमारा देश भी पीछे नहीं है। इसमें जिन प्रजातियों पर संकट है, उसमें वृद्धि दिख रही है। इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए हैं, कुछ कैमिकल्स पर बैन किया गया, कहीं पर कैपटिव ब्रीडिंग भी की जा रही है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हम जो इंप्रॉस्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, खास कर जो इन डेंजर स्पीसिस हैं, वहां जो परमिशन दिया जाता है, वहां इनका ध्यान रखकर क्या इसका कोई अल्टरनेट रखा जाता है, क्योंकि जब पेड़-पौधे कट जाते हैं, तो उनके लिए आवास की समस्या हो जाती है। क्या इसके लिए सरकार कोई विशेष ध्यान दे रही है?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए सारी दुनिया में जो भी बेस्ट होता है, उसके तहत सभी चीजें हम भारत में उपलब्ध करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि फिलहाल एक संस्था कनवेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एनडेंजर्ड स्पीसिस आफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है, जिसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। दुनिया के 192 देशों के बीच वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम्स को यह संस्था इवेल्युएट करती है। इस संस्था के माध्यम से 192 देशों में भारत अकेला एक ऐसा देश है, जिसे जिनेवा के अंदर कमेन्डेशन सर्टीफिकेट दिया गया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के मामले में हम हर दिशा से सारी दुनिया को एक प्रकार से आदर्श नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मैंने प्रश्न के उत्तर में बहुत सारी चीजों के बारे में विस्तार से लिखा है। हमारी सरकार का इस संदर्भ में जो संकल्प है, वह इस बात से भी आप जान सकते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में हमने 60 प्रतिशत बजट बढ़ाया है। पिछले वर्ष यह बजट 90 करोड़ रुपये का था, इस वर्ष 150 करोड़ रुपये, अगले वर्ष के लिए 180 करोड़ रुपये और उससे अगले वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपये रखने की हमारी योजना है।

महोदया, यदि वाइल्ड लाइफ क्राइम के डेटा को स्टडी करेंगे, तो पिछले चार साल के अंदर लगातार वाइल्ड लाइफ क्राइम की जो संख्या है, यानी वर्ष 2013-14 में अगर वह 43 थी, तो वर्ष 2014-15 में इसकी संख्या 36 हो गई और वर्ष 2015-16 में इसकी संख्या 31 हो गई। पिछले वर्ष वाइल्ड लाइफ क्राइम की संख्या केवल छह रह गई है। हमने आपरेशन सेव कूरमा के अंदर 55 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया। इसी प्रकार आपरेशन थंडर बर्ड के अंदर, जो कि इंटरनेशनल इंटरपोल के साथ कनेक्ट है, 70 व्यक्तियों को अरेस्ट किया। इसी तरह से आपरेशन वाइल्ड नेट के अंदर नौ व्यक्तियों को अरेस्ट किया है।

जिस भी क्राइटेरिया से आप हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के प्रोग्राम को इवेल्युएट करना चाहें, कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के साथ कोऑर्डिनेशन करने की दृष्टि से, एकेडेमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेशन करने की दृष्टि से, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को इम्प्रूव करने की दृष्टि से और जो एनडेंजर्ड स्पीसिस हैं, उनके प्रोटेक्शन की दृष्टि से जो कुछ भी संभव हो सकता है, हम कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने एनवायरमेंट के संदर्भ में प्रश्न पूछा है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी के पैरिस सम्मिट के बाद, इस बार बॉन (जर्मनी) में सारी दुनिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट के संदर्भ में भारत की जो प्रतिबद्धता है, वह बहुत यूनीक है और हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत द्वारा जितने भी प्रयास हो सकते हैं, वे किए जा रहे हैं। हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के अंदर भी हमारी जो एचीवमेंट है, वह एक प्रकार का रिकार्ड है। मैं समझता हूँ कि इस संदर्भ में माननीय सदस्य को आश्वस्त रहना चाहिए कि जो कुछ भी संभव हो सकता है, इस दिशा में हमारी सरकार जरूर करेगी। हमारे लिए वाइल्ड लाइफ, हमारे जंगल, हमारी जमीन, हमारी नदी आदि है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने यह विरासत हमें दी है। हम इनका सम्मान करते हैं और इनकी पूजा करते हैं। हमारे लिए नेचर भगवान का दूसरा रूप है और उसके साथ आदर्श समन्वय बनाकर चलना, आदर्श सिनर्जी के साथ चलना, आदर्श हारमोनी बनाकर चलना हमने अपने पूर्वजों से सीखा है और हम अपनी जनरेशन को अच्छी स्थिति देने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब।

...(व्यवधान)

श्री संजय धोत्रे : अध्यक्ष महोदया, मैंने अभी एक प्रश्न ही पूछा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी का रिप्लाई बहुत लम्बा हो गया, इसलिए भूल गई कि आपने अभी सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा है।

आप दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री संजय धोत्रे : महोदया, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि इन प्रजातियों को बचाने में हमारा देश विश्व के अन्य देशों का नेतृत्व कर रहा है, जिसके लिए जिनेवा में उनकी सराहना हुई। सरकार की तरफ से इस दिशा में बहुत प्रयास हो रहा है, लेकिन हमारे जो युवा हैं, जो छात्र हैं और हमारी जनता में इसके लिए प्रचार-प्रसार और जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमने बर्ड सेंक्चुरीज बनाई, टाइगर सेंक्चुरीज बनाई, उसी तरह देश के विभिन्न क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी पार्क्स लगाए जाएं, तो बहुत अच्छा होगा। खास कर हमारा जो मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट है, वहां बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की क्या सरकार की कोई योजना है?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, हमने अपने विभाग में काफी रिसर्च करके सैकड़ों की तादाद में ऐसी ग्रीन गुड डीड्स को टैब्युलेट किया है और उन ग्रीन गुड्स सीड्स के इर्द-गिर्द हम नौजवानों को, स्कूलों और कालेजों के बच्चों को वाइल्ड लाइफ के लिए, चाहे पर्यावरण के लिए, चाहे एयर क्वालिटी के लिए प्रोग्राम्स हों, उनमें बच्चों को इन्वाल्व कर रहे हैं। इसी तरह से टाइगर रिजर्व्स और सैंक्चुरीज हैं, जहां इस प्रकार के बायोडायवर्सिटी पार्क्स हैं, इनकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला देश में विकसित हो रही है। अगर किसी विशेष स्थान पर बायोडायवर्सिटी पार्क को विकसित करने के लिए माननीय सदस्य को कोई भी सुझाव देना है, तो मैं उन्हें अपने विभाग की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि हम पूरी गंभीरता से उसके ऊपर ध्यान देंगे और उसके संदर्भ में जो कुछ भी करना संभव होगा, उसे जरूर करेंगे।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, we are dealing with conservation of endangered species. I would like to draw the attention of the Minister to two specific endangered species: one is the Irrawaddy Dolphin whose habitat is in Chilka Lake; another is the crocodile whose habitat is in the Bhitarkanika area of Odisha.

The Union Government, in the early 1970s had declared Bhitarkanika as a sanctuary. Similarly Chilka Lake is a sanctuary for Irrawaddy Dolphins. Today, to protect the endangered species we have to protect the natural habitation of that area. In the past few years, the flow of sweet water in the River Mahanadi has been choked by Chhattisgarh. In non-monsoon times, the flow of water is not coming. This year, it has come down by more than 50 per cent as a result of which the salinity in the Bhitarkanika area and Chilka Lake has grown which is endangering the species like Irrawaddy Dolphins and crocodiles in the area. Will the hon. Minister impress upon the other Ministries like the Ministry of Water Resources to have a free flow of water as it was happening five years ago during non-monsoon times so that the endangered species are not endangered?

You cannot find Irrawaddy Dolphins in other parts; from Myanmar, they travel to Chilka and they breed here. This is the breeding ground: for crocodiles, it is Bhitarkanika; and for Irrawaddy Dolphins, it is Chilka. What step the Ministry is going to take in this regard? Will you impress upon the Ministry of Water Resources to have free flow of water during non-monsoon period?

DR. HARSH VARDHAN: I will answer this question in two parts. I agree with him that Irrawaddy dolphins and crocodiles are definitely the endangered species in that particular area, more particularly in those lakes. As far as the Government of India is concerned, we are thoroughly seized of this issue. We had asked the Odisha Government to make a project and they have already given us a project in this regard. On the conservation of Irrawaddy dolphins only we are going to spend something like Rs.25 crore in the next five years. So, that project is already with us and it is getting sanctioned. It will be sanctioned very soon. This is for your information.

As far as crocodiles are concerned, they are already conserved in Odisha through the support of the Government of India under the IDWH Scheme.

The hon. Member has suggested that we should write to the relevant Ministry. If this issue is not in the knowledge of the other Ministry, since you have suggested this, I can certainly in the interest of the conservation of these very significant endangered species write to the relevant Ministry to take necessary action on this account.

HON. SPEAKER: This way or that way, you have to do it.

SHRI DUSHYANT SINGH : Thank you, Speaker Madam. I would like to bring to the notice of the hon. Minister that NTCA, the Authority on tigers, is doing a lot of work. But still, after doing so much of work, a number of tigers are dying. Even when the NGOs are supporting such institutions, is the NTCA not failing in its work to control the killing of tigers? What is the Government or the Ministry doing to support the growth of tigers? Certainly in Central India, from where you come, Madam, there have been a lot of tiger deaths. What is the Government doing in this regard? Is the Government considering opening zones in the restricted areas? As per the Supreme Court order, though the area has been restricted to curb killing of tigers, more area should be made available to encourage tourism.

DR. HARSH VARDHAN: I think the hon. Member probably does not have the right information. National Tiger Conservation Authority is one of our very

powerful and very-very dynamic organizations. This organization has been working very well. The hon. Member has mentioned that the tigers are dying. I think, on the contrary, the population of tigers is growing in almost every tiger reserve in the country. The efforts of the NTCA are being appreciated at all the international forums. Some of the models that the NTCA has developed are being emulated by other countries. I was attending a conference in Nairobi. We had a detailed discussion with the forest officers there and they were also highly appreciative of the efforts that India has put into this whole activity. This is one of our very prime activities which has got the support of the whole Government, including the Finance Department. I think the hon. Member needs to check on the figures and what the National Tiger Conservation Authority is. Just to inform him, the number of tigers in 2011 was 1700 and in 2014 this number had increased to 2026. The budget for tigers has improved. For the next three years, we are going to have a budget of Rs. 1500 crore only for this tiger conservation.

So, the hon. Member needs to be assured and he has to be thoroughly convinced about the fact that since we have increased our budget by almost 40 per cent and our efforts are being appreciated internationally also, there should not be any apprehension in his mind. We are thoroughly committed to protect the tigers, alike all other wildlife.

SHRI PREM DAS RAI : Thank you, Madam, for giving me this opportunity. I just want to draw the hon. Minister's attention to two species in Sikkim, which is a bio-diversity hotspot: the Snow Leopard and the Red Panda. I would like to understand from the hon. Minister whether any National Mission on Himalayan Studies is being done on the conservation of these two species. These are great indicators of climate change. Therefore, this is related to that.

You have taken an initiative on Sustainable Development Goals. This has to be linked with all the conservation activities. The SDGs are yet to find discussion under 193. So, in continuation of that, I request you to do that as well.

DR. HARSH VARDHAN: For the information of the hon. Member, for these two species, I think, there is already a national programme and they are being well taken care of by the Department. I think they are one of our prestigious programmes. They are already being looked after by the Department in a big way.

(Q.103)

श्रीमती भावना गवली (पाटील) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपना प्रश्न पूछना चाहूँगी।

अध्यक्ष जी, आज हम सब देखते हैं कि देश में 99 परसेंट महिलाएँ नर्सिंग के क्षेत्र में काम करती हैं। ... (व्यवधान) हमने यह भी देखा है कि वे मरीजों की बहुत अच्छी तरह सेवा करती हैं। वे सारी कठिनाइयों का सामना भी करती हैं। ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करते-करते जोधपुर में एच1एन1 से दो नर्सों की मृत्यु हो गई है। ... (व्यवधान) ये नर्सें जब ये सारे काम करती हैं, तो उनका हक बनता है कि उन्हें वेतन भी उसी प्रकार से मिले। उनको यह वेतन दिलाये जाने के लिए बहुत हंगामे और आंदोलन हुये, जिसके बाद माननीय कोर्ट ने 26 जनवरी, 2016 को अपना निर्देश दिया। ... (व्यवधान) इसके बाद संबंधित मंत्रालय ने इस विषय पर एक कमेटी स्थापित की थी, जिसकी रिपोर्ट राज्यों को भी भेजी गई थी।

इस विषय पर कमेटी ने कहा था कि जिन अस्पतालों में 200 बेड हैं, वहां की समकक्षा के वेतन निजी अस्पतालों के समान होना चाहिए। ... (व्यवधान) कमेटी ने यह भी सजेस् किया था कि 100 बेड के निजी अस्पतालों में वहां की समकक्षा का वेतन 10 परसेंट कम हो सकता है। ... (व्यवधान) 50 बेड के निजी अस्पतालों के लिए कमेटी ने सुझाव दिया था कि इन अस्पतालों में समकक्षा के वेतन में 25 परसेंट तक की कमी हो सकती है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि कमेटी की इस रिपोर्ट को कितने राज्यों ने स्वीकार किया है? ... (व्यवधान) कितने अस्पतालों ने इस रिपोर्ट को अपने यहाँ लागू किया है। मैं निजी अस्पतालों की बात कर रही हूँ। ... (व्यवधान) कितने राज्यों ने इस विषय पर अपनी सहभागिता दिखाई है। कृपया मंत्री जी इस विषय पर बताने का कष्ट करें। ... (व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : मैडम चेयरपर्सन, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

मैडम, हमारा नर्सिंग स्टाफ मेडिकल हैल्थकेयर के क्षेत्र की बैकबोन है, ... (व्यवधान) जिसके माध्यम से हम पेशेंट्स को दी जाने वाली सर्विसिज़ को इंप्रूव करते हैं ... (व्यवधान) इस मामले के प्रति भारत सरकार बहुत सेंसिटिव रही है। ... (व्यवधान) समिति ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट दी है और स्टेट गवर्नमेंट्स से इस बारे में कहा है। हमारे पास इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ... (व्यवधान) यह रिकॉर्ड स्टेट्स को रखना होता है। ... (व्यवधान) हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट को एक मॉडल एक्ट के रूप में बनाकर दिया है, जिसको स्टेट्स को एडॉप्ट करना है। स्टेट्स में ही उनकी रजिस्ट्रेशन होनी है और स्टेट्स को ही उसको इम्प्लीमेंट करना है। ... (व्यवधान) इसलिए मैं यह जरूर सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि इस बारे में ज्यादा जागृति लाने की आवश्यकता है और राज्य सरकारों पर जोर डाला जाए कि वे इसको लागू करें ताकि नर्सिज़ को उनका सही हक मिल सके। जहां तक सरकारी संस्थानों का सवाल है!... (व्यवधान) We have been very pro-active. उन्होंने जो डिमांड

की थी, हमने उसको माना है।... (व्यवधान) सातवें वेतन आयोग में उन्होंने जो प्रिवेंसिस रखी थीं, उनको भी हमने टेकओवर किया है।... (व्यवधान) माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत sympathetically consider किया और उसको पूरा किया है। हर महीने की सात तारीख को नर्सिंग असोसिएशन के साथ मंत्रालय बैठता है और समय-समय पर उनकी छोटी-बड़ी डिमाण्ड्स को देखता है।... (व्यवधान)

श्रीमती भावना गवली (पाटील) : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हेल्थ पूरी तरह से राज्य सरकार का इश्यू है। इसकी जांच राज्य सरकारों द्वारा ही की जाती है। ... (व्यवधान) लेकिन क्या ऐसी कुछ कम्प्लेंट्स राज्य सरकारों से आयी हैं या डायरेक्ट आपके पास आयी हैं कि कमेटी के द्वारा निर्धारित वेतन उन्हें नहीं मिल रहा है?... (व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : हमारे पास नहीं आयी हैं।... (व्यवधान)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे नर्सिंग की पे-रिविज़न के बारे में प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।... (व्यवधान)

महोदया, नर्सिंग स्टाफ जो कार्य करते हैं, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ और इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि जितना इम्पोर्टेंट रोल डॉक्टर्स का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल नर्सिंग स्टाफ का भी होता है।... (व्यवधान) नर्सिंग स्टाफ के लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सरकारी तौर पर पे-रिविज़न के लिए उन्होंने बहुत अच्छा मकेनिज़म बनाया है।... (व्यवधान) मगर प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में उनका बहुत एक्सप्लोइटेशन होता है। वहाँ नर्सिंग चार्ज बहुत ज्यादा वसूल किया जाता है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ को बहुत न्यूनतम पे दी जाती है।... (व्यवधान) मैं मंत्री जी से विनती करना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल नर्सिंग चार्ज वसूल करते हैं, उनका हिस्सा डायवर्ट करके, उनके लिए पे-रिविज़न करने का क्या कोई उपाय करेंगे?... (व्यवधान)

श्री जगत प्रकाश नड्डा : हमने हाल ही में सभी चीफ मिनिस्टर्स को एक एडवाइज़री लिखी है। माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत जायज़ है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स का एरिया अनरेगुलेटिड नहीं रह सकता है, इसको रेगुलेट करने की जरूरत है।... (व्यवधान) हमने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि आप हमारे क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को या तो अडॉप्ट करें या फिर उसमें कोई चेंजिस करना चाहते हैं, जो आपके प्रयोग के लिए उपयोगी हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव के माध्यम से करें, किन्तु इसको अनरेगुलेटिड न रहने दें। मैं बार-बार प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री को इसके लिए कह रहा हूँ कि इस एरिया के बारे में सोचा जाए ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट किया जा सके।... (व्यवधान)

SHRIMATI K. MARAGATHAM : Respected Madam Speaker, in September, 2017, the nurses went on a nationwide strike and the Government assured that their demand for wage revision would be considered favourably. There is a

feeling among the nursing community that their voice is not heard in India, forcing them to seek jobs abroad.

Madam, if the country becomes short of nurses, the hospitals in our country would be like a home without a mother and schools without a teacher and it goes on.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister the status of wage revision that the Government assured to the nurses in September, 2017.

श्री जगत प्रकाश नड्डा : उनकी सारी डिमांड्स, नर्सिंग एलाउंस, रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, दोनों में से एक लेने के लिए कहा था।... (व्यवधान) उन्होंने नर्सिंग एलाउंस को प्रेफर किया था, जो उनको दे दिया गया है। ड्रेस एलाउंस, स्पेशल एरिया एलाउंस और बाकी डिमांड्स को केयरफुली एग्रांजामिन किया जा रहा है।... (व्यवधान) नर्सिस ने जो डिमाण्ड्स 2 सितम्बर को रखी थीं, उन सभी को मीटआउट कर लिया है। कुछ इश्यूज़ हैं, जिन पर हमारी बातचीत चल रही है।... (व्यवधान)

SHRI JOSE K MANI : On 15th November, 2017, the National Nursing Council has come out with a list of nursing colleges that are recognised and registered with the National Nursing Council. But to our surprise, in the State of Karnataka, 257 colleges are out of the purview of the National Nursing Council. I was told that this decision was because of a verdict by the High Court of Karnataka. Seventy-five per cent of students in those colleges are from Kerala. After completing their course these students need a recognition and registration from the National Nursing Council for their employment outside Karnataka and even for going abroad. Moreover, these students have taken huge amount of loan from different banks. Now their future is in jeopardy. I would like to know if the Government of India will intervene in the matter and take it up with the State of Karnataka and solve this problem.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, the matter does not pertain to this Question. But if it is brought to our notice, we will certainly do it.

(Q.104)

श्री रामसिंह राठवा : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया। माननीय प्रधान मंत्री जी की अगुवाई में 14 ऐसी अवसंरचना परियोजना का निर्माण हुआ है जो सराहनीय हैं जिसमें इको-फ्रेंडली हवाई अड्डे और मेट्रो परियोजना विशेष है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि गुजरात इन्टरनेशनल फाइनेंशियल, यानी गिफ्ट सिटी जो बनी है, क्या ऐसी ही सिटी देश के अन्य राज्यों में बनाने जा रहे हैं?

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न से संबंध नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को कह दूँ कि इस प्रकार की कितनी इन्टरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर की सिटीज़ बन सकती हैं, उसकी एक सीमा होती है। क्योंकि गुजरात के गांधी नगर में पहली गिफ्ट सिटी बनी थी, उसका निर्माण चल रहा है और पूरी हद तक उसकी क्षमता का प्रयोग हो जाए, उसके बाद हम उससे आगे सोच सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार बार-बार यह आग्रह करती रही है कि मुम्बई में बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर भी इस प्रकार की इन्टरनेशनल ट्रेडिंग सिटी बन जाए, लेकिन यदि बहुत ज्यादा बनाएंगे तो उनकी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए गिफ्ट सिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उसकी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल हो जाए तो इसके बाद उसको आगे सोच सकते हैं।

श्री रामसिंह राठवा : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा सवाल यह है कि भारत सरकार ने करीब 90 स्मार्ट सिटीज़ के निर्माण करने के लिए सोचा है और इसमें करीब-करीब 9800 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। बहुत सारी सिटीज़ ने उसके बारे में ज्यादा काम नहीं किया है। क्या उनकी निगरानी के लिए कोई समिति गठित की जाएगी? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जैसे स्मार्ट सिटी बन रही है, वैसे स्मार्ट गाँव या स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की सरकार की कोई योजना है। यदि है तो बताने की कृपा करें।

श्री अरुण जेटली : अध्यक्ष जी, राज्य सरकारों के साथ मिलकर अर्बन डेवलपमेंट का विभाग स्मार्ट सिटीज़ के संबंध में इसका संचालन कर रहा है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र है, उसके संबंध में जो सरकारी योजनाएं हैं और जिनके लिए साधन दिए जा रहे हैं; गाँव को सड़क से जोड़ना, गाँव के अंदर सैनिटेशन का प्रावधान करना, गाँव के अंदर पक्के मकानों की रचना करना और उसके अलावा हर गाँव में बिजली पहुंचाना और अगले वर्ष के अंत तक हर गाँव के हर घर तक बिजली पहुंचाना, आदि ये जितनी गाँव के निर्माण की योजनाएं हैं, ये ठीक उसी दिशा में हैं जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Roads, schools, hospitals and dwelling houses are extremely necessary for survival in the modern days. In my State, so far as roads, hospitals and schools are concerned, the Government has given a lot of money. But even then because of the mismanagement by the previous

Government, who simply cared for the contractors and not for the roads, and because of the flood for the last seven months continuously, schools, roads, dwelling houses have been completely wiped out. The Government has given money in different ways, like the Calamity Relief Fund. I am thankful to the hon. Minister, Shri Arun Jaitley ji and to our hon. Prime Minister.

Assam is still lagging far behind as far as infrastructure is concerned. Roads have been completely damaged. They are not even walkable leave alone being motorable. It is not possible to walk on the roads.

The Assam Government has asked for Rs. 1,000 crore as grant to repair roads, schools, hospitals, etc. I would like to know whether the hon. Minister is considering to give some grant to Assam. You know that the Government of Assam, under the leadership of Shri Sarbanand Sonowal, is working very hard for the development of the State. So, if hon. Minister can provide some grant then it would be helpful for my State.

SHRI ARUN JAITLEY: As far as the State Governments are concerned, including the Government of Assam, now you have a clear system where allocation and devolution of funds takes place. After the 14th Finance Commission, there is an adequate provision which has been made for various State Governments. Now, the 15th Finance Commission has also been constituted. Under the new tax structures which have been created, they will also be going into this question. There are no loose funds available that you can keep distributing them. I think as far as roads and other infrastructure are concerned, supporting them in the North-East and Assam is the top priority of the Government. We have made several allocations in the past. The Prime Minister was there last week. He has made a further announcement for the future investment as far as North-East is concerned. We will continue to support them from the Central funds as far as Centre is concerned. But then some expenditure will also have to be done by the State Government from the funds which are available with the State Government itself.

श्री मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कल भी मंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कह रहे थे कि सरकार इसे महत्व दे रही है। यहां जो सवाल था कि कितने रुपये खर्च हुए। इसमें मूल प्रश्न के पार्ट-बी का जवाब नहीं आया, वह ह्यूज होगा कि प्रोजेक्टवाइज आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या खर्च किया। अगर मैं उसे रिपीट करूं कि पार्ट-बी का मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया।

Part (b) of the Question was: “the details of the infrastructure projects along with the funding thereof, project-wise”. It is huge. लेकिन वह एवॉइड कर गये। मेरा कहना यह है कि मूल प्रश्न का जवाब नहीं आया, बेशक 2012 से 2017 में जो भी खर्च हुआ। आप नीति आयोग से यह कहें कि जो 2007 से 2012 में खर्च हुए थे, उससे 1.6 टाइम ज्यादा खर्च हुए, यह सराहनीय है। लेकिन इंप्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ सब कुछ देने से an increase of 1.6 times is not a very huge one. It is only a projection. The hon. Minister has given the projected figures as an answer, not the actual expenditure incurred. But the House is interested in knowing the actual expenditure and the role of the CPSEs in the public sector spending on infrastructure.

In fact, when we were discussing the Supplementary Demands for the current year, we have seen that without the spending of the Central Public Sector Enterprises, this investment in the infrastructure would not have gone up. So, we recognize that.

My specific question is: what infrastructure projects have been taken up in West Bengal and how much has been spent on those projects for the period 2012-17 in public sector specifically for West Bengal, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है, अंडर डेवलपड, लैस डेवलपड की प्रगति के लिए आप बढ़ावा देंगे। इसलिए डेवलपड जगहों से ज्यादा जरूरी है कि जो पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या सैंक्शन हुए और क्या स्पेंड नहीं हुए?

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, we are still in the year 2017-18 and since we are in the year 2017-18, the annual year is not complete. Therefore, for the period 2012-17, at the moment what is the projected expenditure for infrastructure during this period is the figure which can be given. It is only after 31st March, 2018 that I can give the actual figure for the year ending on 31st March, 2018. The projected

figure that I have already mentioned is Rs. 38,22,822 crore. The hon. Member wanted to know as to how the expenditure takes place.

As far as West Bengal is concerned, I can give you the data separately. I have no difficulty in doing that. We provide for some infrastructure expenditure from the Budget itself. This year it is approximately to the tune of Rs. 3.96 lakh crore. In addition to this, there are public sector enterprises which spend separately and then you have a lot of PPP expenditure plus expenditure by State Governments. Therefore, if you take the total expenditure, there are different instrumentalities which really come up. Some organisations are issuing bonds. The National Highways Authority of India is issuing bonds and borrowing from the market in order to meet that expenditure. Additionally, instruments like REITs and InvITs have now been invoked for asset recycling itself so that once an asset is complete, this asset can be sold and that money can be spent on the next asset. So, these are various instrumentalities which have been created in order to fund infrastructure projects.

(Q.105)

कुँवर हरिवंश सिंह : अध्यक्ष महोदया, हाल ही में हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने ईज़ ऑफ डूइंग विज़नस इंडेक्स में भारी छलांग लगाई है।

महोदया, कुपोषण के क्षेत्र में हमारे देश का अब तक का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। आज भी हमारे देश में करोड़ों बच्चे एवं महिलाएं कुपोषण एवं उससे जुड़ी हुई बीमारियों की गिरफ्त में हैं। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि देश को कुपोषण मुक्त करने तथा सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन बिचौलियों, दलालों एवं भ्रष्टाचारियों की भेंट न चढ़ने पाए, उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा देश में बच्चों में टिगनापन, एनिमिया और विकास अवरुद्धता को समाप्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना की गई है। इसके पहले यह राष्ट्रीय पोषण मिशन सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार द्वारा सन् 2003 में बनाया गया था। लेकिन सन् 2008 में उसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद से काम तो हुआ है, लेकिन उस पर जितनी गंभीरता से पहल होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है। यह हमारे प्रधान मंत्री जी के मन की संवेदनशीलता है कि उन्होंने देश के ऐसे बच्चों को, जो टिगनेपन के शिकार हैं, विकास अवरुद्धता के शिकार हैं, एनिमिया के शिकार हैं, सुपोषित भारत बनाने की दिशा में, उनको स्वस्थ बच्चे बनाने की दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। जब बच्चा स्वस्थ होगा, माँ स्वस्थ होगी तो स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में देश आगे बढ़ेगा एक व्यापक अभियान के माध्यम से इसको सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सार्वभौमिक बनाने की दृष्टि से एक जन आंदोलन की शुरुआत देश के प्रधान मंत्री जी के द्वारा की गई है। इसमें आम लोगों की शिक्षा के लिए पोषण पर आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ बच्चों के पोषण पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा, जो आम लोगों के साथ ही साथ स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन शुरू होगा और इसमें पोषण संबंधी सभी पहलुओं के बारे में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही साथ आंगनवाड़ी केन्द्रों पर जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ चलती हैं, उन सांस्कृतिक गतिविधियों में सब्जियों, फलों के रंगों, देशों की भागीदारी जोड़ी जाएगी। इसके साथ ही साथ स्थानीय लोगों को वहां की आंचलिक भाषाओं में वहां के लोक गीतों के माध्यम से इस दिशा में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। जो टैलिफोन सेवा प्रदाता हैं, इनके साथ मिल कर, एसएमएस एवं रिंगटोन आदि बना कर लोगों के बीच में भेजने का काम किया जाएगा तथा इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ-साथ आंगनवाड़ी केन्द्रों पर स्वस्थ माता और स्वस्थ बच्चे के फोटो लगाए जाएंगे, जिससे बाकी माताओं को इस बात का प्रोत्साहन मिलेगा कि अगर उनका बच्चा स्वस्थ होगा, माँ स्वस्थ होगी, तो उसका भी फोटो वहाँ पर लगेगा।... (व्यवधान) आंगनवाड़ी केन्द्रों में जो बच्चे रहते हैं,

उन बच्चों को योग के माध्यम से जोड़कर ताकि बच्चे स्वस्थ हों और वहाँ पर योग का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।... (व्यवधान) आंगनवाड़ी केन्द्रों में किशोरियाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। वहाँ पोषण से सम्बन्धित चार्ट, गीत, नाट्य और इस तरह के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़कर एक सशक्त भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ जच्चा-बच्चा इस दिशा में काम करने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा कदम उठाये गये हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उस काम को करने के लिए, पूरे देश की भागीदारी जोड़ने के लिए आवाहन कर रहा है।... (व्यवधान) मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों का भी इसमें आवाहन करता हूँ कि जब हम अपने-अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्रों में जाते हैं तो वहाँ जो हमें इस तरह के बच्चे मिलते हैं, तो उन बच्चों को सीएचसी और पीएचसी के माध्यम से स्वस्थ करने के लिए वहाँ पर भेजें।... (व्यवधान) इससे हमारा राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य शीघ्र प्राप्त होगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री के नाते आपके पहले भाषण के साथ क्वेश्चन ऑवर समाप्त होता है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये अन्य अवसर पर उठाये जा सकते हैं। इसलिए स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

... (*Interruptions*)

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Papers to be laid on the Table.

... (*Interruptions*)

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): महोदया, मैं श्रीमती मेनका संजय गांधी जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) सेन्द्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्द्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7897/16/17]

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Second Amendment Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1016(E) in Gazette of India dated 16th August, 2017 under sub-section (3) of Section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 7898/16/17]

(2) A copy of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Ninth Amendment Regulations, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015 published in Gazette of India dated 13th September, 2017 under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006.

[Placed in Library, See No. LT 7899/16/17]

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF EARTH SCIENCES AND MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. HARSH VARDHAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Forest Management, Bhopal, for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7900/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7901/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bengaluru, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Plywood Industries Research and Training Institute, Bengaluru, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7902/16/17]

- (3) A copy of the Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.496(E) published in Gazette of India dated 23rd May, 2017 under Section 38A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

[Placed in Library, See No. LT 7903/16/17]

- (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Biological Diversity Act, 2002:-

- (i) S.O.1352(E) published in Gazette of India dated 7th April, 2017, regarding list of 385 species of biological resources which are normally traded as commodities.
- (ii) S.O.3533(E) published in Gazette of India dated 7th November, 2017, making certain amendments in the Notification No. S.O. 1352(E) dated 7th April, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 7904/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON
RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Financial Management, Faridabad, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Financial Management, Faridabad, for the year 2015-2016.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7905/16/17]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992:-

- (i) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/009 in Gazette of India dated 13th July, 2017.
- (ii) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/011 in Gazette of India dated 13th July, 2017.
- (iii) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/014 in Gazette of India dated 31st July, 2017.
- (iv) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers)(Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/015 in Gazette of India dated 14th August, 2017.
- (v) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements)(Fourth Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/016 in Gazette of India dated 14th August, 2017.
- (vi) The SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 published in Notification No. LAD/NRO/GN/2014-15/21/85 in Gazette of India dated 15th January, 2015.

- (vii) The Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/005 in Gazette of India dated 13th July, 2017.
- (viii) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/013 in Gazette of India dated 25th July, 2017.
- (ix) The Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/021 in Gazette of India dated 21st November, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7906/16/17]

(4) A copy of the Notification No. S.O.3755(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 27th November, 2017, together with an explanatory memorandum regarding constitution of the Fifteenth Finance Commission under Article 280 of the Constitution together with a corrigendum thereto published in Notification No. S.O.3755(E) dated 27th November, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7907/16/17]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959:-

- (i) The Post Office Savings Certificates (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1234(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.
- (ii) The National Savings Certificate (VIII-Issue) (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1238(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.

(iii) The Kisan Vikas Patra (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1241(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.

(iv) The National Savings Certificate (VIII Issue) (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1244(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7908/16/17]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 12 of the Public Provident Fund Act, 1968:-

(i) The Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.1237(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.

(ii) The Public Provident Fund (Amendment) Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.1243(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7909/16/17]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873:-

(i) The Senior Citizen Savings Scheme (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1235(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.

(ii) The National Savings Time Deposit (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1236(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.

(iii) The National Savings (Monthly Income Account) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1239(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.

- (iv) The Post Office Savings Bank General (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1242(E) in Gazette of India dated 11th October, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 7910/16/17]

(8) A copy of the Notification No. S.O.1184(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th April, 2017, appointing the 17th day of April, 2017 as the date on which the provisions of the Indian Trusts (Amendment) Act, 2016 shall come into force issued under sub-section (2) of Section 1 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 7911/16/17]

(9) A copy of the Notification No. S.O.1185(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th April, 2017, appointing the 17th day of April, 2017 as the date on which the provisions of Part 1 of Chapter VI of the Finance Act, 2017 shall come into force issued under Section 130 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 7912/16/17]

(10) A copy of the Notification No. S.O.1267(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 21st April, 2017, specifying the securities in which Trusts shall invest surplus funds in accordance with the provisions of Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882 issued under Section 20 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 7913/16/17]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क)(एक) 30.06.2017 को समाप्त हुई तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के प्रति आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) 30.06.2017 को समाप्त हुई तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के प्रति आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के बारे में समापक का प्रतिवेदन तथा लेखा परक्षक लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7914/16/17]

- (ख)(एक) 30.09.2017 को समाप्त हुई तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के प्रति आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) 30.09.2017 को समाप्त हुई तिमाही के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (इक्विटी शेयरधारकों के प्रति आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के बारे में समापक का प्रतिवेदन तथा लेखा परक्षक लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7915/16/17]

- (ग)(एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7916/16/17]

- (घ)(एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7917/16/17]

- (ड.)(एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7918/16/17]

(च)(एक) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणिया ।

[Placed in Library, See No. LT 7919/16/17]

(छ)(एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7920/16/17]

(ज)(एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7921/16/17]

(झ)(एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 7922/16/17]

(2) इंश्योरेंस रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैदराबाद के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[Placed in Library, See No. LT 7923/16/17]

(3) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.1409(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्रतिदिन प्रति यूनिट 7500 रु. से कम घोषित टैरिफ वाले स्वचलित रेस्तरां तथा होटल, धर्मशाला आदि में अवस्थित रेस्तरां के लिए अदान कर जमा के बिना 2.5 प्रतिशत की यूटीजीएसटी दर; अन्य

रेस्तरां के लिए 9 प्रतिशत की यूटीजीएसटी दर; 'हस्तशिल्प सामग्रियों' के जॉब वर्क के लिए 2.5 प्रतिशत की यूटीजीएसटी दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.1410(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 'संरक्षित स्मारकों' में प्रवेश पर यूटीजीएसटी को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.1397(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर संघराज्यक्षेत्र कर दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.1398(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर संघराज्यक्षेत्र कर को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.1399(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कच्चे कपास के अंतरराज्यीय प्रदाय पर व्युत्क्रम प्रभार आधार पर केन्द्रीय कर की अनुप्रयोज्यता विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 1400(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसे माल जिनके संबंध में अनुप्रयोजित आदान कर जमा के रीफंड की अनुमति नहीं दी जाएगी, के बारे में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.1401(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन विनिर्दिष्ट लोक वित्तपोषित अनुसंधान संस्थानों को विनिर्दिष्ट माल पर के प्रदाय पर 2.5 प्रतिशत रियायती संघराज्यक्षेत्र कर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.1053(अ) जो 22 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्क्स कान्ट्रेक्ट सर्विसेस के विनिर्दिष्ट प्रदाय, वस्त्र और वस्त्र उत्पादों के लिए जॉब वर्क, पुस्तक, समाचार पत्र आदि की मुद्रण सेवा, प्लानेटोरियम में प्रवेश पर यूटीएसटी रेट घटा दिया गया है तथा मोटरकैब सर्विस प्रोवाइडरों को 6 प्रतिशत की दर से पूरा आईटीसी डिस्चार्ज यूटीजीएसटी का लाभ उठाने के लिए जीटीए और यात्रियों के परिवहन का विकल्प प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.1054(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फेयर प्रइस शॉप द्वारा सरकार को प्रदान की गई सेवाओं तथा फीफा को और फीफा द्वारा फीफा यू-17 के लिए प्रदान की गई सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। और एमएनएआईएस एण्ड एनएआईएस के स्थान पर आरडब्ल्यूसीआईएस एण्ड पीएमएफबीवाई प्रतिस्थापित करना है, और एलएलपी के लिए स्पष्टीकरण का अंतःस्थापन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.1055(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीटीए के लिए आरएमसी उपबंधों का संशोधन किया गया है तथा एलएलपी के लिए स्पष्टीकरण का अंतःस्थापन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.1056(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्लंबिंग, कारपेंटरिंग आदि हाउसकीपिंग कार्यों के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी के संदाय के लिए ईसीओ को उत्तरदायी बनाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.1185(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सरकार आदि को वर्क्स कांट्रैक्ट सर्विसेस के विनिर्दिष्ट प्रदाय पर यूटीजीएसटी दर कम कर दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.1186(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फीफा यू-17 विश्व कप 2017 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार में छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.1187(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एनपीसीआईएल को कतिपय प्रदाय में छूट प्रदान की जानी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि.1195(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी दरों के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.1196(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी एक्जेम्पशन्स के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.1197(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोर्डोरोय फेब्रिक्स पर रिफंड के प्रतिबंध के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.नि.1279(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेवा और माल कर परिषद द्वारा यथा अनुशंसित विभिन्न सेवाओं की यूटीजीएसटी दर अधिसूचित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.1280(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेवा और माल कर परिषद द्वारा यथा अनुशंसित कतिपय सेवाओं को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.1281(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा व्युत्क्रम प्रभार तंत्र के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवरसीइंग समिति के सदस्यों को प्रदान की गई सेवाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.1213(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा नेपाल और भूटान (भू-आच्छादित देश) को ट्रांसिट कार्गो के साथ सम्बद्ध सेवाओं के प्रदाय में छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 1312 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को निःशुल्क वितरण के लिए आशयित तथा यूनिट कंटेनरों में डाले गए फूड प्रीपैरेशन के अंतरराज्यीय प्रदाय पर 2.5 प्रतिशत यूटीजीएसटी दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.1292(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा समयोजन वसूली का चयन करने के लिए कुल बिक्री को 75 लाख रु. से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. कर दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.1293(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर संघराज्यक्षेत्र कर (दर) विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि.1294(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर संघराज्यक्षेत्र कर की छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि.1295(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा माल के कतिपय विनिर्दिष्ट अंतरराज्यीय प्रदाय पर व्युत्क्रम प्रभार आधार पर संघराज्यक्षेत्र कर की अनुप्रयोज्यता विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि.1296(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय मामलों में मोटर यान के प्रदाय पर रियायती संघराज्यक्षेत्र कर (दर) विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि.1322(अ) जो 23 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन निर्यात के लिए किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी

पंजीकृत प्राप्तकर्ता को कर योग्य माल के अंतरराज्यीय प्रदाय पर 0.05 प्रतिशत संघराज्यक्षेत्र कर (दर) विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्तीस) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (शक्तियों का निराकरण) आदेश, 2017 जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7924/16/17]

(4) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.1148(अ) जो 11 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित शीर्ष 8703 अंतर्गत आने वाले विनिर्दिष्ट मोटर यान पर प्रतिकर उपकर बढ़ा दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.1282(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 01.07.2017 से पूर्व खरीदे गए तथा पट्टे पर लिए गए मोटर यानों को पट्टे पर लेने के लिए लागू 65 प्रतिशत की जीएसटी दर (प्रतिकर उपकर सहित) अधिसूचित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.1297(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय विनिर्दिष्ट मामलों में मोटर यान के प्रदाय पर रियायती प्रतिकर उप कर दर विहित करनी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7925/16/17]

(5) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.1407(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्रतिदिन प्रति यूनिट 7500 रु. से कम घोषित टैरिफ वाले स्वचलित रेस्तरां तथा होटल, धर्मशाला आदि में अवस्थित रेस्तरां के लिए अदान कर जमा के बिना 5 प्रतिशत की आईजीएसटी दर; अन्य रेस्तरां के लिए 18 प्रतिशत की आईजीएसटी दर; 'हस्तशिल्प सामग्रियों' के जॉब वर्क के लिए 5 प्रतिशत की आईजीएसटी दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.1402(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों को डेयरी कोपरेटिव के माध्यम से वितरित दूध के उत्पादन में इस्तेमाल करने के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर या कोन्सनट्रेटेड मिल्क के प्रदाय के संबंध में आईजीएसटी छूट के लाभ का विस्तार किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.1408(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 'संरक्षित स्मारकों' में प्रवेश पर आईजीएसटी को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.1392(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर एकीकृत कर दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.1393(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर एकीकृत कर को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.1394(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कच्चे कपास के अंतरराज्यीय प्रदाय पर व्युत्क्रम प्रभार आधार पर एकीकृत कर की अनुप्रयोज्यता विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 1395(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसे माल जिनके संबंध में अनुप्रयोजित आदान कर जमा के रीफंड की अनुमति नहीं दी जाएगी, के बारे में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.1396(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन विनिर्दिष्ट लोक वित्तपोषित अनुसंधान संस्थानों को विनिर्दिष्ट माल पर के प्रदाय पर 5 प्रतिशत रियायती एकीकृत कर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.1049(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्क्स कान्ट्रैक्ट सर्विसेस के विनिर्दिष्ट प्रदाय, वस्त्र और वस्त्र उत्पादों के लिए जॉब वर्क, पुस्तक, समाचार पत्र आदि की मुद्रण सेवा, प्लानेटोरियम में प्रवेश पर आईएसटी रेट घटा दिया गया है तथा मोटरकैब सर्विस प्रोवाइडर्स को 12 प्रतिशत की दर से पूरा आईटीसी डिस्चार्ज आईजीएसटी का लाभ उठाने के लिए जीटीए और यात्रियों के परिवहन का विकल्प प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.1050(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फेयर प्रइस शॉप द्वारा सरकार को प्रदान की गई सेवाओं तथा फीफा को और फीफा द्वारा फीफा यू-17 के लिए प्रदान की गई सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। और एमएनआईएस एण्ड एनआईएस के स्थान पर आरडब्ल्यूसीआईएस एण्ड पीएमएफबीवाई प्रतिस्थापित करना है, और एलएलपी के लिए स्पष्टीकरण का अंतःस्थापन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.1051(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीटीए के लिए आरएमसी उपबंधों का संशोधन किया गया है तथा एलएलपी के लिए स्पष्टीकरण का अंतःस्थापन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.1052(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्लंबिंग, कारपेंटरिंग आदि हाउसकीपिंग कार्यों के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी के संदाय के लिए ईसीओ को उत्तरदायी बनाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.1182(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सरकार आदि को वर्क्स कांटेक्ट सर्विसेस के विनिर्दिष्ट प्रदाय पर आईजीएसटी दर कम कर दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.1183(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फीफा यू-17 विश्व कप 2017 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार में छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि.1184(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एनपीसीआईएल को कतिपय प्रदाय में छूट प्रदान की जानी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.1192(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी दरों के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.1193(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी एकजम्पशन्स के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.नि.1194(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोर्डोरोय फेब्रिक्स पर रिफंड के प्रतिबंध के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.1198(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्किम्ड मिल्क पाउडर, या कोन्सन्ट्रैटेड मिल्क को एक सुनिश्चित व्यक्ति को प्रदाय करने पर छूट प्रदान की जानी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.1276(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेवा और माल कर परिषद द्वारा यथा अनुशंसित कतिपय सेवाओं को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.1277(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा व्युत्क्रम प्रभार तंत्र के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवरसीइंग समिति के सदस्यों को प्रदान की गई सेवाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि.1278(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जिनके द्वारा सेवा और माल कर परिषद द्वारा यथा अनुशंसित विभिन्न सेवाओं पर आईजीएसटी दर अधिसूचित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.1212(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा नेपाल और भूटान (भू-आच्छादित देश) को ट्रांसिट कार्गो के साथ सम्बद्ध सेवाओं के प्रदाय में छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.1321(अ) जो 23 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन निर्यात के लिए किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी पंजीकृत प्राप्तकर्ता को कर योग्य माल के अंतरराज्यीय प्रदाय पर 0.01 प्रतिशत एकीकृत कर (दर) विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 1311 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को निःशुल्क वितरण के लिए आशयित तथा यूनिट कंटेनरों में डाले गए फूड प्रीप्रेशन के अंतरराज्यीय प्रदाय पर 5 प्रतिशत आईजीएसटी दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि.1288(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर एकीकृत कर दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि.1289(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर एकीकृत कर को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा.का.नि.1290(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा माल के कतिपय विनिर्दिष्ट अंतरराज्यीय प्रदाय पर व्युत्क्रम प्रभार आधार पर एकीकृत कर की अनुप्रयोज्यता विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि.1291(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय विनिर्दिष्ट मामलों में मोटर यान के प्रदाय पर रियायती एकीकृत कर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि.1338(अ) जो 27 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसी सेवाओं जिनका प्रदाय स्थान नेपाल और भूटान में है, के प्रदाय को छूट प्रदान करनी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7926/16/17]

(6) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.1405(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्रतिदिन प्रति यूनिट 7500 रु. से कम घोषित टैरिफ वाले स्वचलित रेस्तरां तथा होटल, धर्मशाला आदि में अवस्थित रेस्तरां के लिए अदान कर जमा के बिना 2.5 प्रतिशत की सीजीएसटी दर; अन्य रेस्तरां के लिए 9 प्रतिशत की सीजीएसटी दर; 'हस्तशिल्प सामग्रियों' के जॉब वर्क के लिए 2.5 प्रतिशत की सीजीएसटी दर विनिर्दिष्ट की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.1406(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 'संरक्षित स्मारकों' में प्रवेश पर सीजीएसटी को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.1387(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि विनिर्दिष्ट माल पर केन्द्रीय कर दर विहित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.1388(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर एकीकृत कर को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.1389(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कच्चे कपास के अंतरराज्यीय प्रदाय पर ब्युत्क्रम प्रभार आधार पर केन्द्रीय कर की अनुप्रयोज्यता विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 1390(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसे माल जिनके संबंध में अनुप्रयोजित आदान कर जमा के रीफंड की अनुमति नहीं दी जाएगी, के बारे में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.1391(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्याधीन विनिर्दिष्ट लोक वित्तपोषित अनुसंधान संस्थानों को विनिर्दिष्ट माल पर के प्रदाय पर 2.5 प्रतिशत रियायती केन्द्रीय कर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन नियम, 2017 जो 15 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.1424(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.1032(अ) जो 18 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ट्रेक्टर्स के विनिर्दिष्ट भागों पर सीजीएसटी दर 14 प्रतिशत से कम करके 9 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.1033(अ) जो 18 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ट्रेक्टर्स के विनिर्दिष्ट भागों पर आईजीएसटी दर 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.1034(अ) जो 18 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ट्रेक्टर्स के विनिर्दिष्ट भागों पर यूटीजीएसटी दर 14 प्रतिशत से कम करके 9 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.1045(अ) जो 22 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्क्स कान्ट्रेक्ट सर्विसेस के विनिर्दिष्ट प्रदाय, वस्त्र और वस्त्र उत्पादों के लिए जॉब वर्क, पुस्तक, समाचार पत्र आदि की मुद्रण सेवा, प्लानेटोरियम में प्रवेश पर सीजीएसटी रेट घटा दिया गया है तथा मोटरकैब सर्विस प्रोवाइडर्स को 6 प्रतिशत की दर से पूरा आईटीसी डिस्चार्ज सीजीएसटी का लाभ उठाने के लिए जीटीए और यात्रियों के परिवहन का विकल्प प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.1046(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फेयर प्रइस शॉप द्वारा सरकार को प्रदान की गई सेवाओं तथा फीफा को और फीफा द्वारा फीफा यू-17 के लिए प्रदान की गई सेवाओं को छूट प्रदान की गई है। और एमएनएआईएस एण्ड एनएआईएस के स्थान पर आरडब्ल्यूसीआईएस एण्ड पीएमएफबीवाई प्रतिस्थापित करना है, और एलएलपी के लिए स्पष्टीकरण का अंतःस्थापन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.1047(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीटीए के लिए आरसीएम उपबंधों का संशोधन किया गया है तथा एलएलपी के लिए स्पष्टीकरण का अंतःस्थापन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि.1048(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा प्लंबिंग, कारपेंटरिंग आदि हाउसकीपिंग कार्यों के रूप में उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी के संदाय के लिए ईसीओ को उत्तरदायी बनाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.1179(अ) जो 22 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सरकार आदि को वर्क्स कान्ट्रेक्ट सर्विसेस के विनिर्दिष्ट प्रदाय पर सीजीएसटी दर कम कर दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.1180(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा फीफा यू-17 विश्व कप 2017 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार में छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्टारह) सा.का.नि.1181(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एनपीसीआईएल को कतिपय प्रदाय में छूट प्रदान की जानी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.1189(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी दरों के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.1190(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जीएसटी एक्जैम्पशन्स के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.1191(अ) जो 22 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोर्डोरोय फेब्रिक्स पर रिफंड के प्रतिबंध के बारे में जीएसटी काउंसिल निर्णयों को प्रवृत्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि.1273(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सेवा और माल कर परिषद द्वारा यथा अनुशंसित विभिन्न सेवाओं की सीजीएसटी दर अधिसूचित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.1274(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा माल और सेवा कर परिषद द्वारा यथा अनुशंसित कतिपय सेवाओं को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.1275(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ब्युत्क्रम प्रभार तंत्र के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित ओवरसीडिंग समिति के सदस्यों को प्रदान की गई सेवाएं विनिर्दिष्ट की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि.1213(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा नेपाल और भूटान (भू-आच्छादित देश) को ट्रांसिट कार्गो के साथ सम्बद्ध सेवाओं के प्रदाय में छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि.1299(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अंतर्गत एडवांस ऑथोराइजेशन एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम्स से संबंधित विभिन्न सीमा शुल्क छूट अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा.का.नि.1283(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर केन्द्रीय कर दर विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्टाईस) सा.का.नि.1284(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल पर केन्द्रीय कर को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि.1285(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा माल के कतिपय विनिर्दिष्ट अंतरराज्यीय प्रदाय पर व्युत्क्रम प्रभार आधार पर केन्द्रीय कर की अनुप्रयोज्यता विहित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि.1286(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय मामलों में मोटर यान के प्रदाय पर रियायती केन्द्रीय कर दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि.1287(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा संयोजन वसूली का चयन करने के लिए कुल बिक्री को 75 लाख रु. से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. कर दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि.1287(अ) जो 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा संयोजन वसूली का चयन करने के लिए कुल बिक्री को 75 लाख रु. से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. कर दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.का.नि.1320(अ) जो 23 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन निर्यात के लिए किसी पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी पंजीकृत प्राप्तकर्ता को कर योग्य माल के अंतरराज्यीय प्रदाय पर 0.05 प्रतिशत केन्द्रीय कर (दर) विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौत्तीस) सा.का.नि. 1310 (अ) जो 18 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों को निःशुल्क वितरण के लिए आशयित तथा यूनिट कंटेनरों में डाले गए फूड प्रीप्रेसन के अंतरराज्यीय प्रदाय पर 2.5 प्रतिशत सीजीएसटी दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा.का.नि.1211(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2017 जो 13 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.3330(अ)में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7927/16/17]

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.1403(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.1404(अ) जो 14 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन प्रतिष्ठित खिलाड़ियों द्वारा विनिर्दिष्ट माल के आयात किए जाने पर आईजीएसटी में छूट प्रदान किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.1376(अ) जो 8 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि.1430(अ) जो 17 नवम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि.962(अ) जो 27 जुलाई, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना सं. 96/2008-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि.1012(अ) जो 11 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि.1019(अ) जो 16 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अंतर्गत उदग्रहणीय सीमा शुल्क से माल के अस्थायी आयात को छूट जारी करना है तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की उप-धारा(7) 3 के अंतर्गत उदग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से माल के अस्थायी आयात को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि.1030(अ) जो 18 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. 60/2011-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि.1135(अ) जो 7 सितम्बर 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.1153(अ) जो 13 सितम्बर 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फीफा यू-17 विश्व कप 2017 के आयोजन करने के लिए आयातित माल को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.1161(अ) जो 15 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बजट 2017-18 में कतिपय परिवर्तन किए गए हैं तथा 30.06.2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. का संशोधन करना है ताकि बजट 2017-18 में किए गए कतिपय परिवर्तनों को शामिल करना है, कतिपय लिपिकीय त्रुटियों का संशोधन करना है; तथा कैश डिस्पेंसर या ऑटोमेटिक बैंक नोट डिस्पेंसर तथा उनके भागों और संघटकों संबंधी बीसीडी प्ररूपों के लिए छूट जारी करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.1340(अ) जो 27 अक्तूबर 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं. 14/2006-सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.1341(अ) जो 27 अक्तूबर 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वस्त्र उत्पादों पर अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत प्रभावी शुल्क दर विहित करनी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 1356(अ) जो 31 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 20 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या 16/2017- सी.शु.में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का.आ. 2220(अ) जो 14 जुलाई, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) अधिसूचना सं. 72/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ. 2416(अ) जो जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) अधिसूचना सं. 75/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 3 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का.आ. 2643(अ) जो 14 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) अधिसूचना सं. 81/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 17 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ. 2833(अ) जो 31 अगस्त, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) अधिसूचना सं. 84/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 7 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का.आ. 3061(अ) जो 15 सितम्बर, 2017 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) अधिसूचना सं. 90/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 21 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) का.आ. 1202(अ) जो 26 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) का.आ. 3205(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) अधिसूचना सं. 94/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 5 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाइस) का.आ. 3324(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) अधिसूचना सं. 96/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 18 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) अधिसूचना सं. 97/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 24 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में 19 अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) अधिसूचना सं. 98/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 27 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) का.आ. 3496(अ) जो 31 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) अधिसूचना सं. 102/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 1 नम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं

(इक्तालीस) अधिसूचना सं.110/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 16 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बयालीस) का.आ. 3779(अ) जो 30 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतालीस) अधिसूचना सं. 113/2017- सी.शु. (एन.टी.) जो 7 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चवालीस) सा.आ. 1298(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017- सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7928/16/17]

(8) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7)के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 966(अ) जो 28 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय की दिनांक 23.6.2017 की सनमेट समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "पीटीएफई " के पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए (जब तक कि पूर्व में प्रतिसंहत, संशोधित न हो) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 1006(अ) जो 9 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सनसेट समीक्षा अनवेषण के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य और यूएई से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "ओपल ग्लासवेयर " के आयात पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख अर्थात् 9 अगस्त, 2017 में पाँच वर्ष की अवधि के लिए (जब तक कि पूर्व में प्रतिसंहत, संशोधित अथवा अधिक्रमित न हो) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 1031(अ) जो 18 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय निष्कर्षों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से 21 उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "टेक्चर्ड और टैपर्ड कोटिड और अनकोटिड ग्लास " के आयात पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख अर्थात् 18 अगस्त, 2017 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए (जब तक कि पूर्व में प्रतिसंहत, संशोधित अथवा अधिक्रमित न हो) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 1059(अ) जो 23 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के मध्यावधिक निष्कर्षों के अनुसरण में ईरान, सऊदी अरब और यूएसए से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "कास्टिंग सोडा " के आयात पर मूल अधिसूचना की शेष अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 1066(अ) जो 25 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा की जा रही अंतिम समीक्षा अन्वेषण के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम नाईट्रेड " के आयात पर जारी किए जाने की तारीख अर्थात् 25 अगस्त, 2017 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दर पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 1119(अ) जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित " मेट्रोनिडाजोल " के आयात पर दिनांक 30 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या 40/2012- सी.शु. (एडीडी) द्वारा अध्यारोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण जो बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। उक्त उद्ग्रहण अभिहित प्राधिकारी द्वारा शुरू किए गए सनसेट समीक्षा अन्वेषण के समापन तक अथवा 28 अगस्त, 2018, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जो भी पहले हो, तक लागू रहेगी।

(सात) सा.का.नि. 1122(अ) जो 30 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी इस संबंध में प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशक के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में, चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "विंग आपरेटिड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए कास्टिंग " के आयात पाँच वर्ष की अवधि के (जब तक कि पूर्व में प्रतिसंहत, अधिक्रमित अथवा संशोधित न हो) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 1123(अ) जो 30 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इस संबंध में अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में यूरोपियन यूनियन, कोरिया जनवादी गणराज्य अथवा थाईलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "स्टीरीन ब्यूटाडीन रबर

(एसबीआर) के 1500 सीरीज " पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख अर्थात् दिनांक 30 अगस्त, 2017 से 5 वर्ष की अवधि के लिए (जब तक कि पूर्व में प्रतिसंहत, संशोधित अथवा अधिक्रमित न हो) के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 1137(अ) जो 7 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धरा 9 के अंतर्गत प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशक द्वारा आयोजित अन्वेषणों की सिफारिशों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कतिपय "हाट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील एफएलटी प्रोडक्ट " के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए (7 सितम्बर, 2017 से) निश्चयात्मक काउंटरवेलिंग ड्यूटी का उद्ग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 1149(अ) जो 12 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में रूस, इंडोनेशिया, जार्जिया और ईरान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "अमोनियम नाइट्रेड " के आयात पर पांच निष्कर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 1169(अ) जो 18 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इस संबंध में अभिहित अधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "बसों और लॉरी/ट्रकों में प्रयुक्त ट्यूब सहित अथवा ट्यूब रहित नए अप्रयुक्त वायवीय रेडियल टायरों और/अथवा रबर के फ्लैब (ट्यूब रहित टायरों सहित) जिसका सामान्य रिम डायामेटर 16 से अधिक हो " के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए (जब तक कि पूर्व में प्रतिसंहत, संशोधित अथवा अधिक्रमित न हो) अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 1229(अ) जो 4 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा अन्वेषण की सनसेट समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "पारा नाइट्रोइनिलिन (पीएनए) " के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट दरों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 1222 (अ) जो 6 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई सनसेट समीक्षा अन्वेषण के दृष्टिगत यूरोपियन यूनियन, ईरान, इंडोनेशिया और जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "मेतामिन " के आयात पर दिनांक 8 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 48/2012-सी.शु. (एडीडी) द्वारा अध्यारोपित

निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 7 अक्टूबर, 2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है (जब तक पूर्व में प्रतिसंहत न हो), बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (चौदह) सा.का.नि. 1228(अ) जो 9 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशक के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "मिश्र धातु का वायर रोड अथवा गैर मिश्र धातु इस्पात " के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की तारीख अर्थात् 2 नवम्बर, 2016 से 5 वर्ष की अवधि के लिए (2 मई, 2017 से 8 अक्टूबर, 2017 की अवधि को छोड़कर) विहित रीति से निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (पन्द्रह) सा.का.नि. 1303(अ) जो 17 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन और संबद्ध 23 शुल्क महानिदेशक के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपियन यूनियन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "कलर कोटिड/प्री पेन्टिड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ एलॉय या नॉन-एलाय स्टील " के आयात पर विहित रीति से अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की तारीख अर्थात् 11 जनवरी, 2017 से 5 वर्ष की अवधि के लिए (11 जुलाई, 2017 से 16 अक्टूबर, 2017 की अवधि को छोड़कर) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 1313(अ) जो 18 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या 55/2016-सी.शु. (एडीडी) के अधिक्रमण में दिनांक 3 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 34/2012- सी.शु. (एडीडी) को निषिद्ध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। तथापि, उक्त निषिद्धकारी अधिसूचना का प्रचालन वर्ष 2017 के विशेष सिविल आवेदन 14202 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक मुलतवी रहेगा।

(सत्रह) सा.का.नि. 1314(अ) जो 18 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या 56/2016-सी.शु. (एडीडी) के अधिक्रमण में दिनांक 3 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 08/2013-सी.शु. (एडीडी) को निषिद्ध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। तथापि उक्त निषिद्धकारी अधिसूचना का प्रचालन वर्ष 2017 के विशेष सिविल आवेदन 14202 में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक मुलतवी रहेगा।

(अठारह) सा.का.नि. 1327(अ) जो 24 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशक द्वारा किए गए अन्वेषण की सिफारिशों के आधार पर सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित सामग्री की पहचान, निर्धारण, प्रतिपाटन शुल्क संग्रहण तथा

संघात के अवधरण हेतु) नियम, 1995 (अर्थात् प्रवंचना अवधारण) के नियम 27 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां निर्यातित कतिपय हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पादों के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए (7 सितम्बर, 2017 से) प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 1364(अ) जो 2 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशक के निष्कर्ष के अनुसरण में कनाडा, चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपियन यूनियन में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "सोडियम क्लोरेड " के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 1427 (अ) जो 17 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई सनसेट समीक्षा अन्वेषण के दृष्टिगत यूरोपियन यूनियन और एमओआर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित और चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कतिपय "रबर कैमिकल अर्थात् पीएक्स-13 " के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 1447 (अ) जो 24 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई सनसेट समीक्षा अन्वेषण के दृष्टिगत सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका 24 में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "कार्बोनेट सोडा " के आयात पर दिनांक 26 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 49/2012-सी.शु. (एडीडी) द्वारा अध्यारोपित निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 25 नवम्बर, 2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है (जब तक पूर्व में प्रतिसंहत न हो), बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि. 1431 (अ) जो 17 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 1201 के अंतर्गत आने वाले सोयाबीन, चाहे वे टूटे हों या नहीं, पर बीसीडी टैरिफ दर को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि. 1339(अ) जो 27 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में अध्याय 50 से 63 में वस्त्र उत्पादों पर टैरिफ की दर को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7929/16/17]

(9) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

- (उनतीस) ऋण वसूली अधिकरण, कोयमबतूर (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1100(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीस) ऋण वसूली अधिकरण, कटक (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1101(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (इकतीस) ऋण वसूली अधिकरण-1, दिल्ली (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1102(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बत्तीस) ऋण वसूली अधिकरण-2, दिल्ली (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1103(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तैंतीस) ऋण वसूली अधिकरण-3, दिल्ली (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1104(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौतीस) ऋण वसूली अधिकरण-1, एर्णाकुलम (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1105(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पैंतीस) ऋण वसूली अधिकरण-2, एर्णाकुलम (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1106(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छत्तीस) ऋण वसूली अधिकरण-2, हैदराबाद (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1107(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सैंतीस) ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1108(अ) में प्रकाशित हुए थे। (अडतीस) ऋण वसूली अधिकरण-3, चंडीगढ़ (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1109(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (उनतालीस) ऋण वसूली अधिकरण, सिलिगुड़ी (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1110(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चालीस) ऋण वसूली अधिकरण-2, (आशुलिपिक ग्रेड II) भर्ती नियम, 2017, जो 29 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1111(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7930/16/17]

(10) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-

(एक) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद

[Placed in Library, See No. LT 7931/16/17]

(दो) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल

[Placed in Library, See No. LT 7932/16/17]

(तीन) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडापा

[Placed in Library, See No. LT 7933/16/17]

(चार) अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, नहरलगुन

[Placed in Library, See No. LT 7934/16/17]

(पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी

[Placed in Library, See No. LT 7935/16/17]

(छह) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शिदाबाद

[Placed in Library, See No. LT 7936/16/17]

(सात) बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय बैंक, अजमेर

[Placed in Library, See No. LT 7937/16/17]

(आठ) बड़ोदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली

[Placed in Library, See No. LT 7938/16/17]

(नौ) बिहार ग्रामीण बैंक, बेगुसराय

[Placed in Library, See No. LT 7939/16/17]

(दस) सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा

[Placed in Library, See No. LT 7940/16/17]

(ग्यारह) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर

[Placed in Library, See No. LT 7941/16/17]

(बारह) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर

[Placed in Library, See No. LT 7942/16/17]

(तेरह) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधी नगर

[Placed in Library, See No. LT 7943/16/17]

(चौदह) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर	[Placed in Library, See No. LT 7944/16/17]
(पंद्रह) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, लखनऊ	[Placed in Library, See No. LT 7945/16/17]
(सोलह) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी	[Placed in Library, See No. LT 7946/16/17]
(सत्रह) झारखंड ग्रामीण बैंक, रांची	[Placed in Library, See No. LT 7947/16/17]
(अठारह) जे एण्ड के ग्रामीण बैंक, जम्मू	[Placed in Library, See No. LT 7948/16/17]
(उन्नीस) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड	[Placed in Library, See No. LT 7949/16/17]
(बीस) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी	[Placed in Library, See No. LT 7950/16/17]
(इक्कीस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर	[Placed in Library, See No. LT 7951/16/17]
(बाईस) केरल ग्रामीण बैंक, मल्लापुरम	[Placed in Library, See No. LT 7952/16/17]
(तेईस) लांगपी देहांगी रूरल बैंक, दिफु	[Placed in Library, See No. LT 7953/16/17]
(चौबीस) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर	[Placed in Library, See No. LT 7954/16/17]
(पच्चीस) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना	[Placed in Library, See No. LT 7955/16/17]
(छब्बीस) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद	[Placed in Library, See No. LT 7956/16/17]
(सत्ताईस) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर	[Placed in Library, See No. LT 7957/16/17]

(अठाइस) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल	[Placed in Library, See No. LT 7958/16/17]
(उनतीस) मेघालय रूरल बैंक, शिलांग	[Placed in Library, See No. LT 7959/16/17]
(तीस) मिजोरम रूरल बैंक, आइजोल	[Placed in Library, See No. LT 7960/16/17]
(इकतीस) नागालैंड रूरल बैंक, कोहिमा	[Placed in Library, See No. LT 7961/16/17]
(बत्तीस) नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक, इंदौर	[Placed in Library, See No. LT 7962/16/17]
(तैंतीस) उड़ीसा ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर	[Placed in Library, See No. LT 7963/16/17]
(चौंतीस) पांडिचन ग्राम बैंक, विरूधुनगर	[Placed in Library, See No. LT 7964/16/17]
(पैंतीस) पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, हावड़ा	[Placed in Library, See No. LT 7965/16/17]
(छत्तीस) प्रगति कृष्णा ग्रामीण बैंक, वेल्लारी	[Placed in Library, See No. LT 7966/16/17]
(सैंतीस) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद	[Placed in Library, See No. LT 7967/16/17]
(अडतीस) पुदुवई भरतियार ग्राम्य बैंक, पुडुचेरी	[Placed in Library, See No. LT 7968/16/17]
(उनतालीस) पूर्वांचल बैंक, गोरखपुर	[Placed in Library, See No. LT 7969/16/17]
(चालीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला	[Placed in Library, See No. LT 7970/16/17]
(इकतालीस) राजस्थान मरूधर ग्रामीण बैंक, जोधपुर	[Placed in Library, See No. LT 7971/16/17]
(बयालीस) सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर	[Placed in Library, See No. LT 7972/16/17]

- (तैंतालीस) सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, मेरठ
[Placed in Library, See No. LT 7973/16/17]
- (चवालीस) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
[Placed in Library, See No. LT 7974/16/17]
- (पैंतालीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
[Placed in Library, See No. LT 7975/16/17]
- (छयालीस) सतलज ग्रामीण बैंक, भटिंडा
[Placed in Library, See No. LT 7976/16/17]
- (सैंतालीस) तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद
[Placed in Library, See No. LT 7977/16/17]
- (अडतालीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
[Placed in Library, See No. LT 7978/16/17]
- (उनचास) उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार [
Placed in Library, See No. LT 7979/16/17]
- (पचास) उत्कल ग्रामीण बैंक, बालनगीर
[Placed in Library, See No. LT 7980/16/17]
- (इन्यावन) बडौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भरूच
[Placed in Library, See No. LT 7981/16/17]
- (बावन) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
[Placed in Library, See No. LT 7982/16/17]
- (तिरेपन) उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, देहरादून
[Placed in Library, See No. LT 7983/16/17]
- (चौवन) वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका
[Placed in Library, See No. LT 7984/16/17]
- (पचपन) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर
[Placed in Library, See No. LT 7985/16/17]

(11) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 1021(अ) जो 17 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना सं. 131/2016- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 1178(अ) जो 21 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत में विनिर्मित और वहां से निर्यातित माल पर त्रुटि की सभी औद्योगिक दरों के बारे में है और ये दरें निर्यातित माल के विनिर्माण में आदान के रूप में प्रयुक्त क्रमशः किसी आयातित सामग्री अथवा उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य सामग्री पर प्रभार्य सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट के परिकलन के लिए औसत दरें हो और यह अधिसूचना दिनांक 1.10.2017 से प्रभावी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व्यतिक्रम नियम, 2017 जो 21 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1177 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 1448(अ) जो 24 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आनुपातिक मेगा प्रमाणपत्र के आधार पर अनंतिम वृहद विद्युत परियोजनाओं की शर्तों में संशोधन किए जाने और मियादी जमा रसीद या बोक गारंटी के समानुपातिक रिलीज की अनुमति दिए जाने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7986/16/17]

(12) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत भारत-कोरिया वृहद आर्थिक साझेदारी करार (द्विपक्षीय सुरक्षोपाय) नियम, 2017 जो 4 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 992(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7987/16/17]

(13) आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2017, जो 31 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3497(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 2455(अ) जो 3 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनमें उल्लेख किया गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क की उपधारा (3) के खंड (ड) (च) और (छ) में विनिर्दिष्ट शर्तें प्रतिभूति विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2014 के

अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत श्रेणी एक अथवा श्रेणी दो के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के मामले में लागू नहीं होंगी।

(तीन) का.आ. 2456(अ) जो 3 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या में प्रकाशित हुए थे और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क के प्रयोजनार्थ देशों और विनिर्दिष्ट भूक्षेत्रों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2017, जो 12 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 865(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2017, जो 18 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1028(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (23वां संशोधन) नियम, 2017, जो 5 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1221(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 2529(अ) जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या में प्रकाशित हुए थे और जो भारतीय रेल वित्त निगम के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54इ ग के अंतर्गत कैपिटल गेन बांड के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7988/16/17]

(14) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2017 जो 27 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1038(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2017 जो 23 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1057(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2017 जो 16 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1300(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) छठा संशोधन नियम, 2017 जो 23 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1318(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7989/16/17]

(15) बीमांकक अधिनियम, 2006 की धारा 58 के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ एक्ज्यूएरीज ऑफ इंडिया (कर्मचारियों की सेवा शर्तों) विनियम, 2017 जो 26 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एम-18012/03/2008-आईएनएस. III में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7990/16/17]

(16) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उप-धारा(5) के अंतर्गत सामान्य बीमा (पर्यवेक्षीय, लिपिकीय तथा अधीनस्थ स्टाफ के वेतनमान तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तियुक्तकरण और संशोधन) संशोधन स्कीम, 2017 जो 13 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.3019(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[Placed in Library, See No. LT 7991/16/17]

(17) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उप-धारा (4) के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल (संशोधन) विनियम, 2017 जो 18 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीओडी एण्ड जीओ/वीकेके/291 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7992/16/17]

(18) प्रत्येक विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रत्येक विषयक जानकारी कंपनी (संशोधन) विनियम, 2017 जो 25 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीबीआर.सीआईडीसं.786/20/16/050/2017-18 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7993/16/17]

(19) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 29 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन नियम, 2017 जो 23 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.2743(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7994/16/17]

(20) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1217(अ) जो 3 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा 30 अप्रैल, 2017 अधिसूचना सं. 11/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7995/16/17]

(21) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 26 की उप-धारा (3) तथा स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अंतर्गत संपत्ति समपहरण के लिए अपीलीय अधिकरण (सभापति की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया) नियम, 2016 जो 3 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 138(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7996/16/17]

- (22) (एक) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7997/16/17]

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): On behalf of Shri Ashwini Kumar Choubey, I beg to lay on the Table:

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Food Safety and Standards Authority of India, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7998/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 7999/16/17]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8000/16/17]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Board of Examinations, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Board of Examinations, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8001/16/17]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Regional Institute of Medical Sciences, Imphal, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8002/16/17]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2016-2017.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Health Systems Resource Centre, New Delhi, for the year 2016-2017.
- [Placed in Library, See No. LT 8003/16/17]
- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases, New Delhi, for the year 2016-2017.
- [Placed in Library, See No. LT 8004/16/17]
- (8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the New Delhi Tuberculosis Centre, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the New Delhi Tuberculosis Centre, New Delhi, for the year 2016-2017.
- [Placed in Library, See No. LT 8005/16/17]
- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences and Kasturba Hospital, Wardha, for the year 2016-2017.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences and Kasturba Hospital, Wardha, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences and Kasturba Hospital, Wardha, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8006/16/17]

- (10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Biologicals, Noida, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8007/16/17]

- (11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2016-2017.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8008/16/17]

(12) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006:-

- (i) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Seventh Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. F. No.

Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016 published in Gazette of India dated 3rd August, 2017.

- (ii) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Second Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. F. No. 1-12/Standards/2012-FSSAI published in Gazette of India dated 14th February, 2017.
- (iii) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Sixth Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. F. No. 1/Additives/Stds/14.2/Notification/FSSAI/2016 published in Gazette of India dated 3rd August, 2017.
- (iv) The Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Eleventh Amendment Regulations, 2017 published in Notification No. F. No. 1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013 published in Gazette of India dated 19th September, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8009/16/17]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ.

वीरेन्द्र कुमार): महोदया, मैं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8010/16/17]

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table a copy each of the

following Statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Thirteenth, Fourteenth, Fifteenth and Sixteenth Lok Sabhas:-

THIRTEENTH LOK SABHA

1. Statement No.34 Fifth Session, 2000
[Placed in Library, See No. LT 8011/16/17]

FOURTEENTH LOK SABHA

2. Statement No. 30 Second Session, 2004
[Placed in Library, See No. LT 8012/16/17]
3. Statement No. 36 Sixth Session, 2005
[Placed in Library, See No. LT 8013/16/17]
4. Statement No. 34 Seventh Session, 2006
[Placed in Library, See No. LT 8014/16/17]
5. Statement No. 32 Ninth Session, 2006
[Placed in Library, See No. LT 8015/16/17]
6. Statement No. 29 Tenth Session, 2007
[Placed in Library, See No. LT 8016/16/17]
7. Statement No. 28 Twelfth Session, 2007
[Placed in Library, See No. LT 8017/16/17]
8. Statement No.31 Thirteenth Session, 2008
[Placed in Library, See No. LT 8018/16/17]
9. Statement No. 29 Fourteenth Session, 2008
[Placed in Library, See No. LT 8019/16/17]

21. Statement No.18
Thirteenth Session, 2013
[Placed in Library, See No. LT 8031/16/17]
22. Statement No. 15
Fourteenth Session, 2013
[Placed in Library, See No. LT 8032/16/17]
23. Statement No. 14
Fifteenth Session, 2013-14
[Placed in Library, See No. LT 8033/16/17]
- SIXTEENTH LOK SABHA
24. Statement No. 13
Second Session, 2014
[Placed in Library, See No. LT 8034/16/17]
25. Statement No. 12
Third Session, 2014
[Placed in Library, See No. LT 8035/16/17]
26. Statement No. 11
Fourth Session, 2015
[Placed in Library, See No. LT 8036/16/17]
27. Statement No. 9
Fifth Session, 2015
[Placed in Library, See No. LT 8037/16/17]
28. Statement No. 8
Sixth Session, 2015
[Placed in Library, See No. LT 8038/16/17]
29. Statement No. 6
Seventh Session, 2016
[Placed in Library, See No. LT 8039/16/17]
30. Statement No. 6
Eighth Session, 2016
[Placed in Library, See No. LT 8040/16/17]
31. Statement No. 5
Ninth Session, 2016
[Placed in Library, See No. LT 8041/16/17]

12.03 hrs

COMMITTEE ON PETITIONS
40th to 46th Reports

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): महोदया, मैं याचिका संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :-

- (1) शिकारपुर स्कॉवर, कटक, उड़ीसी में नए अंडरपास/फ्लाईओवर के निर्माण से संबंधित श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा श्री प्रसन्ना कुमार मोहन्ती और अन्य की अग्रेषित याचिकाओं संबंधी चालीसवां प्रतिवेदन।
- (2) देश में शीघ्र और सस्ते न्याय के बारे में श्री एस.एस. कौशल के अभ्यावेदन पर याचिका समिति द्वारा अपने चौदहवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी इकतालीसवां प्रतिवेदन।
- (3) उत्तराखंड में आपदा प्रबन्धन दल में ग्रामीण/स्थानीय युवकों की तैनाती को लेकर श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह द्वारा अग्रेषित श्री विजेन्द्र रावत के अभ्यावेदन पर याचिका समिति द्वारा अपने 26वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी बयालीसवां प्रतिवेदन।
- (4) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में सुधार को लेकर श्री अरविन्द सावंत, संसद सदस्य लोक सभा के अभ्यावेदन पर समिति के 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तैंतालीसवां प्रतिवेदन।
- (5) इम्पिरियल बैंक ऑफ इंडिया (आईबीआई) पेंशन स्कीम का विलय एसबीआई पेंशन स्कीम में करने और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आईबीआई पेंशन निधि के दुरुपयोग को लेकर श्री सी.एल. कपूर के अभ्यावेदन पर समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौवालीसवां प्रतिवेदन।
- (6) 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए स्वर्गीय मेजर मोहन सिंह को परमवीर चक्र प्रदान करने के बारे में श्री देवेन्द्र सिंह "भोले", संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित ब्रिगेडियर एन.वी. सिंह (सेवानिवृत्त) के अभ्यावेदन संबंधी पैंतालीसवां प्रतिवेदन।

(7) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीएज) के रूप में परिवर्तित होने वाली भारीभरकम ऋण राशियों को मंजूर कराने में बैंक अधिकारियों के साथ उच्चस्थ लोगों एवं उद्योगपतियों की मिलीभगत के बारे में श्री राजेन्द्र प्रसाद के अभ्यावेदन पर याचिका समिति के 30वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी छियालीसवां प्रतिवेदन।

12.04 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE...Contd.**

HON. SPEAKER: Item No. 12 – Shri Arjun Ram Meghwal.

... (Interruptions)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, मैं श्री पी०पी० चौधरी जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.2561(अ) जो 10 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के उपबंधों से "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आमेलन" स्कीम को छूट प्रदान किया गया है।

(दो) अधिसूचना सं. एल-3 (4) /आरईजी-एल.पी./2017-18/सीसीआई जिसके द्वारा 22 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (लेसर पेनाल्टी) संशोधन विनियम, 2017 प्रकाशित हुआ था।

(तीन) का.आ.3714(अ) जो 22 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के उपबंधों के अनुप्रयोग से पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 और इसके अधीन बनाए गए नियमों या तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948 और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत तेल और गैस क्षेत्रों में संचालन कर रहे सीपीएसई के साथ-साथ तेल और गैस क्षेत्र में संचालन कर रहे उनके पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाली अनुसंगी इकाइयों से जुड़े इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन संयोजन के सभी मामलों को 5 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान किया गया है।

(चार) का.आ.2828(अ) जो 30 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के उपबंधों के अनुप्रयोग से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनर्निमाण, पूर्ण या उसके किसी अंश के अंतरण एवं आमेलन के सभी मामलों को 10 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 8046/16/17]

(2) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट आफ कास्ट एकाउंटेंट्स आफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 27 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18-सीडब्ल्यूए/9/2017 में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) का.आ.3297(अ) जो 12 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 3 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ.1693(अ) में कतिपय संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 8047/16/17]

(3) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए इंस्टीट्यूट आफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो 29 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.104 /37/लेखा.1.इंट्रोडक्शन में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) सा.का.नि.1246(अ) जो 12 अक्टूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.490(अ) में कतिपय संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 8048/16/17]

(4) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3583(अ) जो 13 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 4 मई, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ.1634(अ) में कतिपय संशोधन के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 8049/16/17]

(4) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला संकल्प प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 16 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 013 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला संकल्प प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 16 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 014 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) विनियम, 2017 जो 24 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 015 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला संकल्प प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 5 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 017 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएं) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 29 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 016 में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला संकल्प प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 5 अक्तूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 018 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला संकल्प प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 7 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 019 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला संकल्प प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 7 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/ आरईजी 020 में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 8050/16/17]

- (6) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8051/16/17]

12.04 ½ hrs**COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN**
10th Report

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (GUWAHATI): I beg to present the Tenth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Empowerment of Women (2017-18) on the Subject 'Women in Detention and Access to Justice'.

... (Interruptions)

12.05 hours

(Shri S.P. Muddahaumne Gowda and some other Honourable Members then left the House)

12.05 ¼ hrs**STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES**
Statements

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : महोदया, मैं जल संसाधन संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) “देश में बाढ़ प्रबंधन से संबंधित मुद्दों, बाढ़ में डूब गई तथा भूक्षरित जमीन का मुआवजा और उसके स्वामित्व की स्थिति एवं बाढ़ द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों की प्रतिपूर्ति एवं किसानों के खेतों में छूट गई रेत का निपटान अधिकार” विषयक जल संसाधन संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(2) “जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और पुनर्बहाली जल निकायों पर अतिक्रमण और अतिक्रमण को हटाने एवं जल निकायों की पुनर्बहाली हेतु आवश्यक कदम” विषयक जल संसाधन संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(3) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की “अनुदानों की मांग (2017-18)” विषयक जल संसाधन संबंधी समिति के 16वें प्रतिवेदन (16वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी समिति के 17वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

12.05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL

35th Report

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं कोयला मंत्रालय से संबंध “अनुदानों की मांग (2017-18)” के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का पैतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी विवरण) प्रस्तुत करता हूं।

12.05 ¾ hrs

COMMITTEE ON PETITIONS

Petition

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): I beg to present a Petition signed by Sarvashri M. Sanjib Kumar and Bishnu Prasad Dash regarding amendment to Service Rules in Railways in respect of Junior Engineers (JEs) and Senior Section Engineers (SSEs).

12.06 hrs**BUSINESS OF THE HOUSE**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam Speaker, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Wednesday, the 27th of December, 2017 will consist of:- .

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [it contains consideration and passing of (a) the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Amendment Bill, 2017, and (b) the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Bill, 2017]
2. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Ordinance, 2017 (No. 5 of 2017) and consideration and passing of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2017.
3. Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017 (No.7 of 2017) and consideration and passing of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2017.
4. Consideration of the amendments made by Rajya Sabha in the Constitution (One Hundred and Twenty Third Amendment) Bill, 2017, as passed by Lok Sabha.
5. Introduction, consideration and passing of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017.

6. Consideration and passing of the following Bills: -

- (a) The Payment of Gratuity (Amendment) Bill, 2017.
- (b) The Dentists (Amendment) Bill, 2017.
- (c) The Representation of the People (Amendment) Bill, 2017.
- (d) The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017.
- (e) The Specific Relief (Amendment) Bill, 2017.
- (f) The High Court and the Supreme Court Judges (Salaries and Condition of Services) Amendment Bill, 2017.

HON. SPEAKER: Submissions by Members.

Shri Ramdas C. Tadas – not present.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए: -

(1) मेरे संसदीय क्षेत्र का पलामू जिला मुख्यालय डालटनगंज (मेदिनीनगर) एक प्राचीन शहर है एवं नगर निगम भी है, जिसके कारण शहर में जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था हमेशा अव्यवस्थित रहती है। इस शहर को व्यवस्थित तथा विकसित करने हेतु 'अमृत योजना' में शामिल किया जाए।

(2) मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले पलामू एवं गढ़वा में उद्योग धंधों के नाम से एकमात्र Rehla Castic Soda Factory है, जबकि यहां पर कोयला एवं ग्रेफाइट का अकूत भंडार है। इन दोनों जिलों में नए उद्योगों की स्थापना की जाए।

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): Madam Speaker, I would like to make a submission on the subject of pension revision and reform for retired bank employees. In April 2016, the Indian Banks' Association (IBA) decided to examine the matter and in August 2017, the Department of Financial Services at the Ministry of Finance agreed to set up a committee to resolve the pending issues of bank pensioners and retirees. I would like to request the Central Government to expedite the process of resolution of this matter.

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ लिया जाए;

(1) आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका का मानदेय महंगाई के दौर के अनुरूप नहीं है जिसके चलते इनके स्वयं के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। कई राज्य सरकारों ने भी इनके मानदेय में बढ़ोतरी की है; लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आंगनवाड़ी सेविका तथा सहायिका को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकृत कर इन्हें केन्द्रीय कर्मचारी के समकक्ष वेतनमान दिया जाए।

(2) देश भर के सभी सरकारी विद्यालयों में मिड-डे-मील की व्यवस्था की गई है लेकिन मानक के अनुरूप छात्रों को भोजन नहीं दिया जा रहा है जिसका मुख्य कारण मिड-डे-मील योजना में कई विसंगतियाँ हैं। वर्तमान केंद्र सरकार ने मिड-डे-मील योजना में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। मिड-डे-मील में सुधार लाकर देश के भविष्य को संवारने की आवश्यकता है।

अतः उपर्युक्त दोनों विषयों पर सदन के अगले सप्ताह में चर्चा करायी जाए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ने के लिए आग्रह करता हूँ:

उत्कृष्ट, निष्ठावान और कार्यकुशल प्रशासन आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारे संविधान तंत्र में सरकारें जवाबदेह हैं और जनप्रतिनिधि भी, लेकिन प्रशासन तंत्र की कोई जवाबदेही नहीं। प्रशासन तंत्र की ढिलाई और भ्रष्टाचार का खामियाजा निर्वाचित सरकारों के साथ-साथ आम जनता को भुगतना पड़ता है। इसी के मद्देनजर प्रशासनिक सुधार आयोग बना। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट 1970 के 35 साल बाद सितंबर 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बना। इस आयोग ने भी केन्द्रीय प्रशासन के ढांचे के साथ राज्य प्रशासन पर भी सिफारिशें की। जिला प्रशासन को सक्षम बनाने की भी महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ की। अतः प्रशासन तंत्र की जवाबदेही तय करने के लिए दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को अविलम्ब लागू करने हेतु सख्त विधि नियम बनाया जाए।

दूसरा, बिहार में गंगा नदी से जुड़ी किसी तरह की योजनाओं पर काम के लिए जी.एफ.सी.सी. की मंजूरी आवश्यक है। गंगा की सहयोगी नदियों से जुड़े बाढ़-कटाव निरोध कार्य के लिए भी इसकी सहमति की जरूरत पड़ती है। केंद्र सरकार ने ऐसा ही प्रावधान किया है। बिना इनकी मंजूरी के इन योजनाओं पर काम नहीं किया जा सकता। गंगा, गंडक, कोसी में कई जगहों पर नदियाँ अपनी धारा ही बदल रही थीं। कटिहार के गुमटी टोला, भागलपुर के इस्माइलपुर बिंद टोला, गोपालगंज के पतराहा छड़की, बक्सर के कोईलवर तटबंध, किशनगंज के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कृषि विश्वविद्यालय के साथ कोसी नदी को मूल धारा में लाने की तीन योजनाएँ शामिल हैं। इनमें कोसी बराज के अलावा कोसी महासेतु के निकट की

जो योजनाएं हैं, वे अभी तक जी.एफ.सी.सी. के पास स्वीकृति हेतु लंबित है। अतः इन जनहित की योजनाओं की अविलम्ब स्वीकृति हेतु सख्त विधि नियम बनाया जाए।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि सम्मिश्रण के अंतर्गत निम्नलिखित दो विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किए जाने का कष्ट करें;

(1) महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को प्रेषित किए गए चालू एवं नये रेलवे ओवर ब्रिज/रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण कार्य संबंधी प्रस्ताव हेतु शीघ्र शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता स्वीकृत किए जाने से संबंधित विषय।

(2) महाराष्ट्र राज्य में निर्माणधीन तीन रेलवे लाईन और बाकी स्वीकृत 5 रेलवे लाईन के निर्माण हेतु शीघ्र धन का आवंटन किए जाने से संबंधित विषय।

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें-

(1) मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में जल स्रोत काफी है; झील, झरने एवं नदियाँ बहुत हैं, परंतु पेयजल समुचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अधिकतर गाँवों में जल में काफी प्रदूषण है और साफ पानी लोगों को नहीं मिल पाता है, दूषित पानी को पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर सड़क, पानी एवं बिजली पर विशेष जोर देकर लोगों को सुविधाएँ दी जा रही है। इन सुविधाओं को मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में पेयजल के साधन तेजी से उपलब्ध करवाने का कार्य।

(2) झारखंड में अभी तक ऐसे सैकड़ों गाँव हैं जहाँ पर विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। लोगों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 तक सभी गाँवों में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। अगर इसी तरह से कार्य किया जाएगा तो वर्ष 2018 तक देश के सभी गाँवों में बिजली नहीं पहुँचेगी। झारखंड में नक्सलवादी समस्या का निराकरण विद्युतीकरण से काफी सीमा तक हो सकता है। अतः झारखंड में विशेषकर मेरे सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में सभी गैर विद्युतीकरण गाँवों में बिजली पहुँचाने का कार्य।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाए -

अध्यक्ष जी, हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चार नई लाइनें, विसावदर-जूनागढ़, विसावदर-तलाला-बेरावाल, तलाला-डेलवाडा, कोडीनार-प्राची की लाइनें अमरेली से होकर गुजरती है और इन चारों लाइनों के अंतिम सर्वे हेतु एक-एक करोड़ रुपये की स्वीकृति हुई है, परन्तु अभी तक कोष आबंटन नहीं होने के कारण इस कार्य में कोई भी प्रगति नहीं हुई है।

महोदया, खिजडिया-अमरेली-चलाला-धारी-विसावदर परियोजना के साथ यदि इन चारों योजनाओं के लिए भी यदि कोष आबंटित कर दिया जाए तो सभी परियोजनाएं एक साथ पूर्ण हो जाएंगी जिसका पूर्ण

लाभ अमरेली की जनता को वृहद रूप से मिलेगा और अमरेली का विकास एक रेलवे जंक्शन के तौर पर हो पाएगा।

महोदया, हमारे संसदीय क्षेत्र होकर ऊना-धारी-चलाला-अमरेली-बाबरा-जसदन से चोटीला तक राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है जिसकी कुल लम्बाई 280 किलोमीटर है। इन एनएच के निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत 1981 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। इस एनएच के निर्माण कार्य की प्रगति न के बराबर है। इसके लिए न ही अभी तक भूमि का अधिग्रहण हो पाया है न ही अन्य प्रकार का कोई निर्माण कार्य चल रहा है। इस राजमार्ग को लेकर वहां के निवासी बहुत ज्यादा आशान्वित हैं, क्योंकि इस मार्ग के निर्माण के साथ ही क्षेत्र के लोगों का आवागमन बहुत सरल हो जाएगा और वहां रहने वाले लोगों के साथ-साथ इसका लाभ इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को भी मिलेगा। इस एनएच के बन जाने से जूनागढ़-अमरेली-राजकोट जिले को जोड़ा जाएगा और बहुत ही कम समय में तीनों जिलों में पहुंचा जा सकेगा।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय को शामिल करने की कृपा करें।

मैं झारखण्ड राज्य के धनबाद लोक सभा के कुछ मुख्य बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं जहां इण्डियन स्कूल ऑफ माईन्स जिसको अभी हाल ही में आई.आई.टी. का दर्जा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्त हुआ। यहां इस्पात मंत्रालय का बोकारो इस्पात प्लांट भी स्थित है और धनबाद कोयला नगरी कोयलांचल के रूप में सुप्रसिद्ध है। परन्तु बहुत ही खेद के साथ यह बताना चाहता हूं कि यहां खेल-कूद के विषय में यदि देखा जाए तो धनबाद लोक सभा क्षेत्र में उच्चस्तरीय खेल अकादमी एवं उच्चस्तरीय खेल स्टेडियम के साथ-साथ उच्चस्तरीय प्रशिक्षकों की बहुत ही कमी है, जिससे कि यहां के खिलाड़ियों के कौशल विकास पर अंकुश जैसे लगा हुआ है। यहां बहुउद्देश्यीय स्टेडियम न होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नहीं हो पाता है जिसके कारण यहां के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों में भाग नहीं ले पाते हैं। धनबाद लोक सभा के खिलाड़ियों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। किन्तु उचित मार्गदर्शन, उच्चस्तरीय खेल अकादमी एवं उच्चस्तरीय खेल स्टेडियम के साथ-साथ उच्चस्तरीय प्रशिक्षकों की कमी के कारण धनबाद के प्रतिभावान खिलाड़ी देश के अन्य राज्यों व जिलों से पिछड़ रहे हैं।

अतः मेरा सदन के माध्यम से माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र धनबाद में उच्चस्तरीय खेल अकादमी, उच्चस्तरीय खेल स्टेडियम के निर्माण के साथ-साथ उच्चस्तरीय प्रशिक्षकों की पदनियुक्ति कराने का कष्ट करें, जिससे कि धनबाद में रह रहे प्रतिभावान खिलाड़ियों को भी देश, समाज की धारा में शामिल होने का अवसर मिल सके।

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा, महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण समस्या को जोड़ने के संदर्भ में -

- (1) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन वरिष्ठ नागरिकों को लोकप्रिय योजना वयोश्री का वर्धा में कार्यान्वयन के संदर्भ में।
- (2) पर्यटन मंत्रालय के अधीन स्वदेश दर्शन योजना के तहत गीरड दरगाह एवं किलझर गणेश मंदिर, जो नागपुर अध्यात्म सर्किट में प्रस्तावित है, के कार्यान्वयन के संदर्भ में।

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर): महोदया, संसद के आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए -

- 1 - जयपुर से शिरडी के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाई जाए।
 - 2 - जयपुर-चंडीगढ़ इन्टरसिटी (19717 / 19718) का विस्तार जयपुर से आनन्दपुर साहिब तक किया जाए।
-

12.19 hrs

**MOTION RE: APPOINTMENT OF MEMBERS
OF LOK SABHA TO THE JOINT COMMITTEE
ON THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 2016**

HON. SPEAKER: Now, Item No.19—Shri Kiren Rijju Ji.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU): Madam, with your permission, on behalf of the Home Minister, Shri Rajnath Singh, I beg to move the following:-

“That this House do appoint Shri Sushil Kumar Singh, Shri Jugal Kishore Sharma and Shri Om Birla to serve as members of the Joint Committee on The Citizenship (Amendment) Bill, 2016 *vice* Dr. Satya Pal Singh, Shri Ashwini Kumar Choubey and Dr. Virendra Kumar who resigned from the Joint Committee on their appointment as Ministers.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do appoint Shri Sushil Kumar Singh, Shri Jugal Kishore Sharma and Shri Om Birla to serve as members of the Joint Committee on The Citizenship (Amendment) Bill, 2016 *vice* Dr. Satya Pal Singh, Shri Ashwini Kumar Choubey and Dr. Virendra Kumar who resigned from the Joint Committee on their appointment as Ministers.”

The motion was adopted.

12.20 hrs

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) Joint Committee on Office of Profit

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): Madam, on behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, I beg to move:

“That this House do proceed to elect one Member of Lok Sabha from amongst themselves in accordance with the principle of proportional representation by means of the single transferable vote; to serve as a member for the remaining term of the Joint Committee on Offices of Profit vice induction of Dr. Satyapal Singh in the Council of Ministers and his resignation from the Committee on 4th September, 2017.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That this House do proceed to elect one Member of Lok Sabha from amongst themselves in accordance with the principle of proportional representation by means of the single transferable vote; to serve as a member for the remaining term of the Joint Committee on Offices of Profit vice induction of Dr. Satyapal Singh in the Council of Ministers and his resignation from the Committee on 4th September, 2017.”

The motion was adopted.

12.21 hrs**(ii) Central Supervisory Board**

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to move:

“That in pursuance of clause (f) sub-section (2) of Section 7 read with clause (a) sub-section (1) of Section 8 of the Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two women members from amongst themselves to serve as members of the Central Supervisory Board, subject to provisions of Section 15 and other provisions of the said Act and the Rules made thereunder.”

HON. SPEAKER: The question is:

“That in pursuance of clause (f) sub-section (2) of Section 7 read with clause (a) sub-section (1) of Section 8 of the Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two women members from amongst themselves to serve as members of the Central Supervisory Board, subject to provisions of Section 15 and other provisions of the said Act and the Rules made thereunder.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now, let us take Item No.22.

12.22 hrs

GOVERNMENT BILLS- Introduced
(i) Specific Relief (Amendment) Bill, 2017*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): Madam, on behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Specific Relief Act, 1963.

HON. SPEAKER: The question is

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Specific Relief Act, 1963.”

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: Madam, I introduce the Bill.

12.22 ½ hours

(ii) Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment Bill, 2017*

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to amend the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017.”

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: I introduce** the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 22.12.2017

** Introduced with the recommendation of the President.

12.23 hrs

**STATEMENT RE: GOODS AND SERVICES TAX
(COMPENSATION TO STATES) AMENDMENT
ORDINANCE, 2017**

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS
(SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay on the Table an explanatory
Statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation
by promulgation of the Goods and Services Tax (Compensation to States)
Amendment Ordinance, 2017 (No.5 of 2017)

[Placed in Library, See No. LT 8052/16/17]

... (*Interruptions*)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अध्यक्ष महोदया, राजस्थान में बंगाल के माइग्रेंट मजदूरों की हत्या हुई है।
यह बहुत गंभीर मामला है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी बिल पेश हो रहे हैं। आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

12.24 hrs

GOVERNMENT BILLS – Introduced (Contd.)
(iii) National Capital Territory of Delhi Laws
(Special Provisions) Second (Amendment) Bill, 2017*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave to introduce a Bill further to amend the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011.”

The motion was adopted.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Madam, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 22.12.2017

HON. SPEAKER: Today, we will not take up 'Zero Hour'. Cyclone Ockhi is a very important subject which has come for discussion under Rule 193.

... (*Interruptions*)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है। माननीय गृह मंत्री जी सदन में मौजूद हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। अगले कार्य दिवस में आप अपनी बात कह सकते हैं।

मैं जानती हूँ कि 193 के अंतर्गत श्री पी.आर. सुन्दरम का नाम बैलेट में था, लेकिन कुछ प्राथनाएं आई हैं। उनका भी सम्मान कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री पी.आर. सुन्दरम के स्थान पर श्री के.सी. वेणुगोपाल चर्चा को शुरू करेंगे। मैंने यह भी स्वीकार किया है कि चर्चा में भाग लेने वाले दूसरे स्पीकर आप होंगे। So, I think we should proceed ahead. Venugopal ji, you can begin your speech with a note of thanks to Shri P.R. Sundaram.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): I wish to thank him but as far as notice for discussion on Cyclone Ockhi is concerned, mine was the first notice.

HON. SPEAKER: I turned the ballot. It was his notice which was selected.

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Okay, Madam. I thank you for giving me this opportunity. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You should thank him also. That is always a good gesture.

12.25 hrs

DISCUSSION UNDER RULE 193

Natural calamities in various parts of the country with special reference to Cyclone Ockhi in South India

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, with immense pain and agony, I am trying to invite the attention of this august House to a deadly cyclone incident called Ockhi which has happened at the coast of Bay of Bengal.

Madam, as we know, the cyclone has seriously affected the southern coastal region of Kerala, Tamil Nadu and Lakshadweep on 30th November morning onwards. Being a Member of Parliament from that coastal constituency, as a witness to this deadly cyclone, I would like to point out some important facts in front of this august House. In Kerala alone, more than 75 persons have died so far. In the case of Tamil Nadu, more than a dozen people have been killed. Hundreds of people are still missing. Hundreds of fishermen are still missing. The poor fishermen's families are waiting at the seashore for the return of their beloved ones. Day by day, the rescue teams are finding out floating dead bodies from the deep sea. There are contradictory reports about the number of missing persons even now also. This is a concern among the fishermen and also the people. Meanwhile, more dead bodies are being received from the deep sea. These dead bodies are beyond recognition.

Madam Speaker, hon. Congress President, Shri Rahul Gandhi visited the cyclone-hit areas on December 14. I am thankful to hon. Defence Minister, Shrimati Nirmala Sitharamanji also. Lately, our Prime Minister also visited the Ockhi affected areas and States. When Shri Rahul Gandhi visited the affected seashores, I was with him. The pain and agony shown by the families of the poor fishermen was tremendous. How can we deliberate on it? We do not have enough words to put on record the depth of their pain and agony.

The stories of those who have returned were also terrifying. They were forced to float in the sea for days without any food or medicine. Many of them

escaped by floating on the damaged parts of their boats. Even the fish ate their human bodies. Although the Navy and the Coast Guard made their efforts to rescue them, many people were able to escape because of their luck and self-efforts.

We cannot accuse anybody for the natural disasters. However, we can avoid such casualties if we could have taken effective precautions and used early warning systems. In this regard, I would like to point out that some mistakes have been made by the officers. Here, I have the statistics of the Government of India, that is, the Action Taken Report by INCOIS, Hyderabad about the very severe cyclone called Okchi. The cyclone has hit Kerala coast on the morning of 30th November. On 30th November, there was a warning at 9.30 a.m. I am agreeing that enough warning was given. The severe cyclone hit on 30th November early morning, but as per the statistics of the Government, at 12.30 p.m. on 30th November, the bulletin Ocean State Forecast associated with cyclone Ockhi over Cape Comorin area warned of it through website. Why is it happening? The cyclone hit the coast on 30th morning itself. Our system alerted the people at 12.30 p.m. By this time, several valuable lives had already been taken away by the natural calamity. Therefore, we need a specific early warning system.

I remember that when UPA was in power in 2004, I was a Minister in Kerala Government. In my own district, Alappuzha, tsunami had hit very badly. At that time, we had no present day modern technological means to inform the people. It has been 13 years since Tsunami hit us. Now, we have enough modern equipment to alert people in advance, but, unfortunately, there was lapse on the part of the authorities in informing us at the opportune time about this cyclone.

As regards rehabilitation and rescue operations, I am not blaming anybody because this is not an issue on which political points can be made. I am agreeing with it, but being the representative of the people from that area, I have to point out that five people from my own Constituency also went missing. Fortunately, they came back with their own efforts.

Our Navy and Coast Guard personnel have done their level best, but there are some restrictions. Dr. Tharoor's Constituency was also severely hit by this cyclone. Myself, Dr. Tharoor and Shri Ramachandran met hon. Shri Rajnath Singh and we also met Shrimati Nirmala Sitharaman 10 days back. Navy and Coast Guard have done their level best, but still hundreds of people are missing. How can we provide answer for it? Therefore, I feel that there is a definite need for strong coordination in the rescue operations and in bringing back those missing people, and this is what is being mentioned by the fishermen community and the people of that area. Actually, this tragedy is an eye-opener. I am saying this because along with loss of valuable human lives there is also significant damage to the economy.

It is time to think about the life of fishermen. I had an opportunity to go into the deep sea when our Union Government last year had taken a decision to prevent the traditional fishermen going into deep sea for fishing. In protest, I went with fishermen to the deep sea in my Constituency, and I found out about the amount of sacrifice that they are doing. These fishermen are going into the deep sea for 7-8 days at a stretch, and sometimes they do not even have food. They are also not assured of earning income as sometimes they would get fish and sometimes not. Actually, their life is worse than our tribal community people.

At the time of Tsunami we had given around Rs. 1,800 crore package to build some good houses for them, but now also there is lack of houses; lack of equipment; and lack of sufficient infrastructure. Further, when the monsoon season arrives, all the houses in the coastal area get damaged as a result of sea erosion. In the earlier days, the Government of India would provide support by giving some amount for building groynes and seawalls from the Defence Budget considering the sea as a boundary, but now the Government of India is not funding any amount for building groynes and seawalls. So, their houses get damaged whenever the monsoon season arrives due to sea erosion. Therefore, we find that their life is very much pitiable and it is time that we have a re-look into the lives of the poor fishermen community and take immediate measures to address their

concerns. I think that the Government of India will do something in this regard this time.

As regards the safeguarding aspect, when we travel in a flight the air hostess will and make a pre-flight announcement. If there is an accident, or flight plunges into the sea, how to escape, and other life saving measures were provided to the air passengers. Why should not we have life saving equipments in boats? These fishermen are giving so much of money in the form of foreign exchange but still there is no clear cut mechanism for saving their lives. Therefore, I am urging the Government that modern facilities, including GPS should be provided to fishermen which would give information about weather updates. They should be provided with life saving equipments like life jackets. For facing this type of disastrous incidents, a well functional monitoring system has to be ensured.

Through you, Madam, I would like to bring to the kind notice of the Government that earlier the people of Kerala did not expect this type of cyclones. We thought that we are free from these cyclones. But now scientists are telling that Kerala is also in the most affected area as far as cyclone disaster is concerned. Therefore, I think that there should be a clear cut mechanism. When cyclone hit Hyderabad, the Government took sufficient measures; not a single casualty has been reported. We are not in a position to face the people of that area. Fishermen community is trying like anything to come to terms. Therefore, I think the Government of India should announce a comprehensive package. The Government of Kerala has already announced some proposals for a comprehensive package.

We the MPs of Kerala met the Prime Minister, Narendra Modi *ji* in this regard. A timely comprehensive package should be announced. Yesterday, Shri Salim *ji* has raised an issue. When flood happens, relief would reach at the time of drought. This is the system in the Government of India. I am not blaming the Government. When flood happens; we send a team; then, assistance would reach at the time of drought. Today is 22nd December. What has the Government of India done all these days? Hon. Home Minister has assured us that he would send

a Central team. Why is this delay? Are you not going to take this as serious? If you take it as serious, the next day, a Central team would go there, and assess the situation; and give money to them. I doubt the Government is insensitive to this issue.

I would request Shri Rajnath Singh *ji* that he should declare some financial package and assistance. Dr. Shashi Tharoor also wanted to speak on this issue. Therefore, I would not take much time.

HON. SPEAKER: Thank you.

SHRI K.C. VENUGOPAL: I need your assistance.

HON. SPEAKER: I am giving.

SHRI K.C. VENUGOPAL : In the last 23 years I am representing a coastal constituency. The life there is very much difficult. These types of accidents, these types of fatal incidents are happening. They are a community. There are not enough people who get more than Rs.10,000 income. They are living under severe conditions. Therefore, my request is that the Government of India should think about this. Fishermen provide a vital economic resource to our economy. When it comes to living standards and life, they are comparatively backward; and they are a marginalised community. I would request the Government to take holistic measures to ensure proper housing, quality education and health services to the fishermen.

Fisheries sector and fishermen come under the Ministry of Agriculture. Agriculture itself is a very big subject. We went to Shri Radha Mohan *ji*. He told us that one MoS is looking after 'fisheries'. In the manifesto of BJP, in 2014, it had promised that it would set up a separate Fishermen Ministry. This is the time to take action because their issue should be taken in a separate way. Agriculture Ministry cannot have such type of a mechanism. Therefore, I would request that there should be a separate Ministry for Fisheries to ensure that their problems are taken care of in a good manner. I would request you again to sanction the weather information system and safety equipment to ensure effective advance warning system. I have already mentioned about the life saving instrument.

With these words, I pray to God to save the souls of those who have demised already. I would say that hundreds of vessels are missing. We do not know whether they come back or not; whether we would get back the dead bodies or not. We do not know anything about this. That tragedy is a big tragedy in the minds of the entire people of the country. Therefore, the Government should act upon this. That is my simple request. Thank you.

*SHRI P.R.SUNDARAM (NAMAKKAL): Hon. Madam Speaker. Thank you for this opportunity to take part in the discussion under Rule 193 on “Natural Calamities in various parts of the country with special reference to cyclone Okchi in South India. During December 2015 Tamil Nadu faced the fury of the nature with unprecedented rains and floods which caused widespread devastation. The then Chief Minister of Tamil Nadu *Puratchithalaivi* Amma swung into action immediately bringing back normalcy in the State. As a result of the unwavering efforts of Hon. *Puratchithalaivi* Amma, normalcy returned in Tamil Nadu. The Tamil Nadu government had demanded Rs. 25,912 Crore from the Union government and only Rs.1,960 Crore was provided to the State till date. Again in December 2016 Vardah cyclone caused widespread devastation. That time the then Chief Minister Shri O. Panneerselvam, serving in the footsteps of Hon. *Puratchithalaivi* Amma, took swift action on war-footing basis. As a result, huge loss to lives and property was averted. The State Government of Tamil Nadu demanded a release of Rs.1,000 Crore from the National Disaster Relief Fund. But the Union Government had not allocated any fund that time too. Recently cyclone Ockhi has caused widespread devastation in Tamil Nadu, particularly in the Districts of Kanniyakumari and Tirunelveli.

The Opposition parties in the State alleged that the State Government of Tamil Nadu has not acted upon in carrying out relief measures after widespread devastation by cyclone Ockhi. In this regard, I am duty bound to list out all the measures, one after the other, duly taken by the State Government of Tamil Nadu under the leadership of Hon. Chief Minister Shri Edappadi K. Palanisamy. Immediately after cyclone Ockhi hit Kanniyakumari district, as per the directions of Hon. Chief Minister Shri Edappadi K. Palanisamy, Hon. Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, Hon. Minister for Power, Hon. Minister for Revenue, Hon. Minister for Fisheries, along with 11 senior IAS Officers went immediately to the affected areas to carry out the relief and restoration work. Meanwhile the

* English translation of speech originally delivered in Tamil.

fishermen who were stranded along the coast of various States were brought back to their respective places with the help and coordination of a team of five IAS Officers. An amount of Rs.2,000 each was provided as food allowance to the stranded fishermen by the State Government of Tamil Nadu. Each of the stranded fishing boat was provided to the maximum of 1,000 litres of fuel. Moreover, the assessment of damage to agricultural crops, fishing boats and equipments was carried out on war-footing basis. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu and Hon. Deputy Chief Minister of Tamil Nadu had held meetings with senior Officers of the State Government on a daily basis in this regard. On that particular day, 11000 electric poles were uprooted in Kanniyakumari district alone due to cyclone Ockhi. A team of Officers under the chairmanship of Hon. Power Minister of Tamil Nadu Shri Thangamani visited the affected areas. At least 20,000 State Government Officials from the neighbouring districts were pressed into service.

As a result, within two days, 11000 electric poles were repaired and installed restoring electric supply. Safe drinking water facilities were also restored. Trees fallen on the roads were removed and roads were reconstructed immediately thereby ensuring smooth transportation. Hon. Chief Minister also held a review meeting with the Officers of the Indian Navy, Indian Air force and Indian Coastal Guard about the progress of search operations carried out to find out the missing fishermen of Tamil Nadu. On 12.12.2017 Hon. Chief Minister visited Kanniyakumari to assess the ground reality. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu ordered for issue of Rs. 20 lakh each to the families of deceased fishermen; Rs. 5 lakh as rehabilitation assistance for the fishermen who had serious bodily injuries; and Rs. 50,000 for the fishermen getting treatment in the hospitals. In addition to this, an amount of Rs.5,000 was provided to each of the families of fishermen and missing fishermen, as livelihood assistance. One member from the family of each of the deceased fishermen will be provided employment in State Government institutions as per their educational qualification. In order to provide relief assistance as per existing law, a team under the chairmanship of Revenue Divisional Officer was constituted. The tribal people affected by cyclone Ockhi

were also provided Rs.5,000 as livelihood assistance by the State government. If the loss to Plantain crops is above 33 percent, farmers will be provided compensation between Rs. 48500 and Rs. 63500 per hectare. For rubber cultivation, inclusive of Rs.32,000 per hectare for beehive farming, an amount of Rs. 1 lakh will be provided as compensation package per hectare. An amount of Rs. 28,000 per hectare will be provided as compensation for clove cultivation,

Besides, there will be adequate compensation for agricultural and horticultural crops affected by cyclone Ockhi. These were the announcements made by Hon. Chief Minister of Tamil Nadu. In this scenario, the Leader of Opposition in Tamil Nadu Shri M.K. Stalin has made false and baseless allegations against the State Government. That's why I have listed out here, all the measures taken by the State Government of Tamil Nadu one after the other. Tamil Nadu Government wholeheartedly and steadfastly protects the fishermen and their interests. In the year 1974, Katchatheevu islet was ceded to Sri Lanka by the then DMK Government of the State of Tamil Nadu. Joining hands with the then Union Government led by Congress party, the DMK leader Shri M. Karunanidhi gave away Katchatheevu islet to Sri Lanka. As a result, the fishermen of Tamil Nadu are now facing lots of difficulties and indescribable miseries. At the same time, I should say that the present State Government of Tamil Nadu is making all-out efforts tirelessly in protecting Tamil fishermen and their interests.

Madam Speaker, Hon. Prime Minister visited the cyclone Ockhi affected Kanniyakumari on 19.12.2017. Hon. Chief Minister met the Hon. Prime Minister on that day and explained the damages caused by cyclone Ockhi and the continuous and excessive rains due to North East Monsoon in Chennai and other districts of the State. As the devastation caused by cyclone Ockhi is severe and widespread, Hon. Deputy Speaker of Lok Sabha Dr. M. Thambidurai in a meeting with Hon. Minister for Defence Smt. Nirmla Sitharaman, stressed that it should be declared as a national disaster.

Hon. Chief Minister during his meeting with Hon. Prime Minister also explained the necessity of announcing this as a national disaster. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu also submitted a Memorandum to Hon. Prime Minister with so many demands. I wish to state here some of them. As per the long standing demands of the people of Kanyakumari a Naval base with helipad and telecom facilities should soon be set up. An amount of Rs.747 Crore should be released from the National Disaster Relief Fund. The amount of relief assistance provided at times of natural disasters should be increased. Particularly, the compensation given to loss of lives should be increased from the present Rs.4 lakh to Rs.10 lakh. Relief assistance for seriously injured should be increased from the present Rs.2 lakh to Rs.5 lakh. Compensation to plantain crops should be increased from the present Rs.13,500 to Rs.1,25,000 per hectare. Compensation to rubber trees should be increased from the present Rs.18,000 to Rs.2,50,000 per hectare. Compensation for replacement of cyclone affected high power grids, transformers substations and high power lines more than 11 KV should be provided under National Disaster Relief Fund. As many as 1,500 high frequency wireless sets should be provided with 90% subsidy from the Union Government. A control room should be set up in this regard in Tamil Nadu besides giving permission to use high frequency waves. To give alerts and to provide information on weather forecast for fishermen, a dedicated satellite radio channel in Tamil should be started soon.

In order to mitigate the problems faced by the fishermen particularly of Kanyakumari, telecom facilities, a fish processing park and an Integrated fishing harbour with all facilities, should be set up. Sea walls should be constructed along the coast line of Tamil Nadu with a view to stop erosion due to sea waves. To carry out this, an amount of Rs.4,218 Crore should be released by the Union Government. Search operations should be continued to trace all the missing Tamil fishermen. Hon'ble Prime Minister should order the security forces to continue the search operations till the last missing fisherman is found. The Union Government should release an amount of Rs.5,255 Crore to the State of Tamil

Nadu for carrying out the relief, rescue and restoration work in the cyclone Ockhi affected areas, The North-east monsoon has affected Chennai and the coastal districts of Tamil Nadu. I urge upon the Union Government to release Rs.4,047 Crore for carrying out restoration work and to create a permanent infrastructure preventing damages due to floods in future.

Madam Speaker, the Union Government should release a total of Rs.9,302 crores to Tamil Nadu for carrying out relief and restoration work in the cyclone Ockhi affected areas and North-east monsoon affected areas of Chennai and other coastal districts. After his visit to the Ockhi affected Kanniyakumari, Hon'ble Prime Minister announced that an amount of Rs.325 crores will be released to Tamil Nadu, Kerala and Lakshadweep. A meagre amount of Rs.325 Crore which is allocated for three States seems to be insufficient. In Tamil there is saying called, "Yaanaai Pasikku Chholap poru" which means feeding a starving giant elephant with too little food. This is just like paying peanuts. This is in addition to Rs.2,80 Crore that was released to Tamil Nadu earlier. Keeping in view all the facts, and the demand from Tamil Nadu is for Rs.9302 Crore, the Union Government has only released Rs.325 Crore for Tamil Nadu, Kerala and Lakshadweep. This is a matter of great concern. I think that Hon. Member Shri K.C. Venugopal has forgotten to mention this in his speech. I wanted to remind him. I, therefore, urge upon the Hon. Prime Minister to directly intervene in this matter and ensure release of Rs.9,302 Crore as demanded by the State of Tamil Nadu. I also urge that all the demands mentioned in the Memorandum submitted by the Hon. Chief Minister of Tamil Nadu to Hon. Prime Minister, should be considered by the Union Government for prompt action at their end. Thank you.

PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): Thank you very much Madam for giving me this opportunity to speak on Ockhi disaster.

Madam, I mention here with great pain and agony that the aftermath of this traumatic Ockhi disaster could have been averted if the Kerala State Government had taken precautionary measures in the very beginning. To our information, the Government of Kerala, the Chief Secretary, the Chief Minister and the Disaster Management Authority, were all informed on 28th, 29th evening and 30th morning about the impending disaster but they took it easy. They did not even learn from the kind of things which have occurred on the East coast earlier. There was lack of coordination between various agencies in Kerala and, of course, in Tamil Nadu too.

12.54 hrs

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

So far no responsibility has been fixed. The experience in meeting such natural coastal catastrophic disasters on the Eastern coast, especially cyclonic disasters, was not made use of and this has resulted in this kind of a pathetic situation.

A deep depression was formed on 29th November, 2017 over South-West Bay of Bengal near Sri Lanka coast and reached the South-West coast of Kanyakumari, Thiruvananthapuram and went up to Lakshadweep. So, in the evening of 29th November and 30th of November, it was intensified ... (*Interruptions*).

HON. CHAIRPERSON : Let the hon. Member speak.

PROF. RICHARD HAY : It was intensified and developed into a dangerous cyclone. This was informed to the Government of Kerala by IMD and also by the Oceanographic Institute. ... (*Interruptions*) This was informed.

HON. CHAIRPERSON: Let him complete his speech.

PROF. RICHARD HAY : So, it may specially be noted that both Thiruvananthapuram and Kanyakumari are areas of high density of fishermen in the country. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member is speaking. You can speak later on. Please sit down.

PROF. RICHARD HAY : So, it is evident that there was a failure on the part of the Government of Kerala and of course, also on the part of Tamil Nadu, in taking immediate action which could have saved the lives of hundreds of persons. Now, we find that many bodies are brought back. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except hon. Member's speech.

PROF. RICHARD HAY : They are brought dead. This could have been averted.... (*Interruptions*) I can also very clearly mention that the Indian Navy, the Air Force and the Coastal Guard have taken all precautions. They have combed the high seas from day one onwards. But, the Kerala Coastal Police did not act well. That has happened. ... (*Interruptions*) Now, on 18th of December, the Kerala Government sent boats into the sea. What was the use of that? This should have been done on 2nd or 3rd of December, which the Indian Navy did. We are proud of the Defence Forces of this country. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let him speak. Please sit down.

PROF. RICHARD HAY : They have done justice to this country. They have worked very well. Of course, our hon. Prime Minister visited Lakshwadeep, Thiruvananthapuram and Kanyakumari on 19th and he comforted and assuaged the feelings of the afflicted persons personally. Our hon. Prime Minister personally listened to the victims of this cyclone. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please listen to him.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, my dear colleague, hon. Member of Parliament, Prof. Richard Hay, is speaking with a heavy heart about Ockhi cyclone and the havoc that Ockhi cyclone has created. There is a widespread feeling in the State of Kerala. Though the Government of Kerala got adequate pre-information from IMD, that warning was not given to the fishermen at large. That he is describing. ... (*Interruptions*) He is not casting any

aspersions on anyone. The issue is the factual situation of Kerala and why the tragedy has happened, has to be brought before the House.

My colleague from the Congress Party, Shri Venugopal Ji, has also expressed his concern and grief on similar lines. Prof. Richard Hay is also saying the same thing. I request the Communist friends not to get excited about this. Allow Prof. Richard Hay to speak.

HON. CHAIRPERSON: Prof. Richard Hay, please continue.

PROF. RICHARD HAY : Thank you very much. I am a person, the first Member of Parliament, to visit that place. Not only once, but twice and three times, I have visited this place. No other hon. Member went there. ... (*Interruptions*) I know as to who visited that place. They have visited later but not then. I have listened to the feelings, woes and cries of the people afflicted by this Ockhi cyclone. They have told me that the Government has failed to help them. Smt. Nirmala Sitharaman, our hon. Defence Minister, went there and comforted the afflicted victims of Ockhi. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You are a senior Member. Hon. Minister has already spoken. Please sit down. You can speak later. ... (*Interruptions*)

PROF. RICHARD HAY : Nobody else comforted them. She comforted them. It is because of her comforting them, the people got confidence that the Government of India is with them. ... (*Interruptions*) The Government of India has done well to mitigate the feelings of afflicted persons there in Thiruvananthapuram, Kanyakumari and also in Lakshwadeep. If the poor fishermen had been warned earlier, they would not have gone to the sea. The areas of Kanyakumari and Thiruvananthapuram are high density fishermen populated areas.

13.00 hrs

They are the poor fishermen of this country and they have to be supported. I know the Government of India is taking measures. They have already given some relief in December... (*Interruptions*). The Kerala Government was given relief of Rs. 76.50 crore on 11.12.2017. The Government of Tamil Nadu was given relief of Rs.280.50 crore... (*Interruptions*). At the first instant, the funds

were released by the Central Government. I know that the money has been released.

Now, the Government of India knows what is to be done in this matter. Hon. Prime Minister visited that place and hon. Defence Minister also visited. Mr. Pon Radhakrishnan also visited. Hon. Minister, Shri Alphons Kannanthanam visited that place. Many hon. Ministers from the Centre have visited that place... (*Interruptions*). They know the hard facts of this tragedy.

Now let us all join together for giving relief to the poor fishermen of this country. The fishermen are demanding homes. They are the bread winners. They are poor fishermen who have lost their lives. The family has no bread earner. I urge upon the Government of India to provide them more homes, more educational facilities and more boats as they have lost their boats. They are the bread winners of the family. They have to be supported. On this occasion, I would definitely request the Government of India to take immediate measures.... (*Interruptions*).

As regards fishermen problems, at that time, the entire coast of Kerala was in danger and even now it is in danger for many reasons like breakwater which they call *pulimoodu* there... (*Interruptions*). There is unscientific construction of *pulimoodu*. In some places like Cochin area, they need *pulimoodu*. I visited the entire length of coastal area of Kerala and Kanyakumari. I am telling this from the information I received from poor fishermen and not from any media. I myself visited that place.

These poverty-stricken fishermen need homes. They want food. They also want education, protection and security. Henceforth, this has not happened because of apathy and some indifferent attitude of the Government officials. The Disaster Management Authority in Kerala was defunct. There was only one expert in that and he too was in some other country. He was not in Kerala. During those three days, he was far away. The hon. Ministers of Kerala are not able to understand the consequences and aftermath of this devastating cyclone. That is the truth.

Not only fishermen, there are *kani* tribals living on the hills of Kanyakumari. They too have lost their houses and cultivation. Many farmers have also lost their crops because of this devastation. So they should also be compensated. I would request the Government of India that all the fishermen, farmers and *kani* tribals should be compensated. I think the Government is acting on this.

I especially thank the hon. Prime Minister for his personal visit to listen to the woes of the people who have been affected. I also thank hon. Minister of Defence, Mrs. Nirmala Sitharaman who consoled them. Nobody consoled them at that point of time. She consoled every person who met her in those places from Trivandrum to Kanyakumari. That is a great thing which has been done by our Defence Minister and by our hon. Prime Minister. We are with the poor fishermen. We have to have a soft corner for them. They are earning precious foreign exchange for the country but they are always living in dire straits.

So I humbly request the Government of India to look into this. When the hon. Prime Minister went to Trivandrum, he ordered the officials to do DNA test of the dead bodies so that they could be identified. Even now many bodies may be floating in the high seas. They are helpless. I know the precarious state of a person when drowning in the deep sea. I myself had that experience. Today if I am standing here, it was the grace of God. On the day of the Tsunami, the 26th of December, 2004, there was no warning and I was swimming in the deep sea and I could escape by just two minutes. So, I know what is the sensation of dying by drowning in the deep sea; I can understand the agony of such persons. I can understand the trauma such a person undergoes. I can feel that as an humble MP because I serve the fishermen and I live amongst them.

Therefore, I would like to humbly request the Government of India to step in and provide these affected people with all kinds of reliefs required.

Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Chairperson, Sir, I stand here to participate in the discussion under Rule 193 relating to the natural calamities in various parts of the country, including the cyclone Ockhi in South of India.

The State of Odisha has been affected regularly by different types of natural calamities. Repeatedly year after year, the State of Odisha is being affected either by cyclones or by drought or by flood. This year, of course, there was another type of calamity that struck our farmers is the pest attack. The pesticide that was being provided actually did not yield the result. Subsequently our Government found out that the pesticide that was being provided through different shops was actually not up to the standard. A number of prosecutions have taken place against the culprits, but the loss has already been done.

Last November and this December two unseasonal rains have affected large parts of our State. In November there was a low pressure, on 15th of November, which intensified into a depression. Under its influence heavy rains and winds severely affected the State of Odisha. This was due to the effect of cyclonic depression in the Bay of Bengal.

Sir, your usual comment, whenever we discuss about natural calamities, has been that nowadays we do not have monsoon rains, we have cyclone, depression and such things which have been visiting us during the rainy season. So, this November, between the 15th and 18th of November, it was totally unseasonal rain and this untimely rain has caused extensive damage to the standing paddy crops in the field and also to the non-paddy crops like vegetables, pulses, oilseeds and maize. In the district of Koraput farmers have been greatly affected because the maize crop was affected. There has been a spurt of inflation relating to vegetables and also a standing crop like paddy also got damaged to a very great extent.

As per reports that have been received from the districts it is understood that due to effect of untimely rain arising out of cyclonic depression, standing crops have suffered more than 33 per cent in four lakh hectares of area of around

14270 villages under 2460 Gram Panchayats of 133 blocks and 257 wards of 38 urban local bodies in 19 districts. Out of 30 districts 19 districts were affected because of this unseasonal rain in November 2017 between 15th and 18th. Of course, the Government of Odisha took prompt steps for crop loss assessment and provided required funds to the Collectors of the districts concerned for payment of agriculture input subsidy as per SDRF norms to the affected farmers who have sustained crop loss of 33 per cent and above. An amount of Rs. 364.76 crore has been released out of SDRF for the purpose in favour of 19 districts. An amount of Rs. 6800 per hectare for rainfed areas and Rs. 13,500 per hectare for irrigated areas are being provided to the affected farmers and the disbursement is going on. This amount is as per the provision that is there. But it needs to be increased because standing crop is totally destroyed. We also faced another low pressure or depression between 7th and 10th of December. Rain fall of more than 50 mm had occurred in two days, that is 9th and 10th in 19 blocks of five districts. Though early warning was given to them, farmers because of their anxiety to save the crop started cutting the crop. But they were unable to transport that crop to harvest it and also to keep it under cover. That is the reason why there is a need today to provide adequate funding. Joint inspection is also being done by the Revenue Department, the Agriculture Department and the Finance Department. Once this report is received, the Government, of course, will be providing some support and some assistance.

I want the indulgence of the Home Minister. When a standing crop is destroyed, the State Government in its wisdom, allows the crop loan to be converted into a mid-term loan. The Union Government has a provision for providing subvention in crop loan up to three per cent. Our State Government also provides subvention. So, the actual interest comes down to one per cent which the farmers have to pay. But that one per cent can be provided to the farmer, only if he makes that amount during the stipulated period. Once the Government converts this crop loan into a mid-term loan, this subvention is not being provided by the Union Government because it has not been paid within that stipulated period.

Therefore, when a conversion takes place relating to a crop loan because of natural calamity, then it is necessary that the crop loan mechanism should also extend to the mid-term loan so that the farmers will not be at a loss. They can pay back in three years' time. So, the same incentive should be extended to the farmers to that extent.

Another point which I would like to mention, which the Government should consider is this and it is very urgent. As it has happened in Kerala and Tamil Nadu, unseasonal rains and cyclone destroys infrastructure to a very great extent. The SDRF and the NDRF have a mechanism only to provide relief. You do not have that much of money to actually establish or bring the infrastructure back to normalcy within two to three months' time. Infrastructure, like lift irrigation points, electricity connection, gets destroyed. These things need immediate attention where some fund from this disaster relief mechanism can be provided to bring that system back into practice so that the farmers can get involved in going into the next crop which they would like to. This needs correction. This needs a little bit of attention from the Union Government so that the disaster relief fund can be utilised to bring back the infrastructure that has been destroyed either by cyclone or by flood or by any other type of natural calamity.

Pest attack is another greater concern. The NDRF has to look into that aspect also. This is something very uncommon. Suddenly you find different types of pests attacking a standing crop and the whole crop gets destroyed from villages to villages and from districts to districts. This time, it is very alarming in our State that particularly paddy crop has been affected in a large number of districts. So, I would urge upon the Government to consider pest attack as a type of calamity and extend the same provision which is applied to crop loan when crop loss happens due to some calamity as it is given in the case of mid-term loans.

With these words, I conclude.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. Today we are having a very important discussion on the destruction caused by Cyclone Ockhi. I have been listening to the speeches made by our hon. Members. While listening to them, I felt that the issues which we are discussing now are remedial measures and we are not talking about precautionary or preventive measures.

The Paris Agreement on Climate Change has warned the entire world to look into the issue of Climate Change. There is a report which says that the rarity of cyclones in the Arabian Sea in contrast to their frequency in the Bay of Bengal appears to have caught everyone off-guard. During Cyclone Phailin in 2013 and Cyclone Hudhud in 2014, the Indian Meteorological Department had given advance notice of cyclone path enabling local administration to mount large scale evacuation measures. But during the 2013 Uttarakhand flood and 2014 Srinagar flood, though it had warned of very heavy rainfall, State Governments complained that the forecast was too vague to take safety measures. This is what has happened here also.

सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए गए हैं हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां गए और वह खुद मदद दे रहे हैं, लेकिन हम इसकी जड़ में नहीं जा रहे हैं। जब पेरिस एग्रीमेंट हुई तब कहा गया अगर धरती का तापमान दो डिग्री बढ़ जाए और यह जिस गति से बढ़ रहा है वह मानव जाति के लिए भय का निर्माण कर रहा है। अगर हम उसके ऊपर ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे तो यह पूरी चर्चा विफल है। कभी ओखी आएगा, कभी हुडहुड आएगा और कभी कुछ आएगा, इतने लोग मर गए, इतने लोगों के मकान टूट गए। प्रिवेन्टिव मेजर्स क्या है? आज सुबह स्पेसिज के बारे में चर्चा हुई। Why are the species reducing? ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम देख रहे हैं कि बाघ शहरों में घुस रहा है क्योंकि हम जंगल में घुस रहे हैं। हम पृथ्वी का नाश कर रहे हैं।

महोदय, आप समुद्र की तरफ देख लें, कभी किनारों पर घूमें तो पता चलेगा, तूफान अगर चला गया और समुद्र ने किनारे पर जो फेंका हुआ सामान है, उस प्रदूषण को हमने ही निर्मित किया है, हमने ही सारी वेस्टेज को पानी में डाला है और उसी को उसने वापस कर दिया है। हम पृथ्वी पर इतना आक्रमण कर रहे हैं सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, बल्कि नभ में भी कर रहे हैं। कार्बन डाइआक्साइड का इतना उत्सर्जन है जो वहां कुछ सालों तक होता रहा है, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। नासा ने हाल ही में कहा है, समुद्री

तटों पर रहने वाले मुंबई जैसे शहरों को खतरा है। पानी की मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हो जाएगी और 80 फीट ऊंची लहरें आएंगी, उन लहरों से सारा शहर बर्बाद हो जाएगा। मैं उसका स्टेटमेंट पढ़ता हूँ।

A former Director, Dr. James Hansen, of NASA Goddard Institute for Space Studies, in his book, *Storms of My Grandchildren*, has written: “Global warming of two degrees Celsius or more would make Earth as warm as it had been in the Pliocene, three million years ago. Pliocene warmth caused sea levels to be about twenty five metres (eighty feet) higher than they are today”. This he has forecast. ओखी क्या है? यही तो हो रहा है और इस तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि 1750 से आज तक पृथ्वी के तापमान में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोत्तरी हुई है। पेरिस एग्रीमेंट में दो सेंटीग्रेड की बात कही है, अगर यह हर साल बढ़ता गया तो अगले पांच सालों में मनुष्य की क्या स्थिति होगी, हम सोच सकते हैं।

The World Meteorological Organisation’s Dr. Petteri Taalas said: “This trend can be expected to continue for the coming 50 years. In this system, once you reach a certain level it does not drop soon.” फिर तापमान बाद में नीचे नहीं गिरेगा। इसका कारण इंडस्ट्रलाइजेशन और डैवलपमेंट है। हम ऐसे चक्रव्यूह में हैं कि हम एक तरफ विकास चाहते हैं, इंडस्ट्रलाइजेशन चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ आक्रमण हो रहा है। हम देखते हैं कि प्रदूषणकारी कंपनियों का उत्सर्जन पानी में जा रहा है, पानी को प्रदूषित कर रहा है। पानी कार्बन को शोषित कर सकता है और वनस्पति पानी में भी है। पेड़-पौधे, जंगल और पानी कार्बन को कम कर सकते हैं। कार्बन-डाइऑक्साइड कम कैसे होगी जबकि हम जंगल में घुस रहे हैं, तभी तो पानी शहर में घुस रहा है।

अभी मेरे दोस्त जो कि एक सांसद हैं, उन्होंने पेड़ लगाए थे, लेकिन किसी ने जला दिए। हम दिल्ली का पॉल्युशन देख रहे हैं। यह किस वजह से है? इसका कारण क्या है? सारी गाड़ियों से उत्सर्जन के कारण कार्बन-डाइऑक्साइड हवा में स्थिर हो रही है, यह बह नहीं रही है। इससे एक प्रकार का क्लाउड बन रहा है। आपने पिछले तीन-चार दिन से क्लाउड देखा होगा। यह क्लाउड नवंबर-दिसंबर से बन रहा है। यह क्लाउड बन रहा है क्योंकि कार्बन-डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है। हमें इसे कंट्रोल करना है।

हाल ही में सबसे अच्छी बात यह हुई है, The World Bank will end its financial support for oil and gas extraction within the next two years in response to the growing threat posed by climate change. वर्ल्ड बैंक ने यह निर्णय लिया। वर्ल्ड बैंक इन कंपनियों के बारे में सोच रहा है। हमारे विकास और प्रगति का चक्र वहीं से शुरू होता है, ऑयल से शुरू होता है, गैस से शुरू होता है। यही हमारे लिए भयंकर स्थिति है क्योंकि इस कारण से ही सारी चीजें आगे

बढ़ रही हैं। हाल ही में माननीय नितिन गडकरी जी ने ट्रैफिक के बारे में कहा कि ऐसी गाड़ियां बंद कर दो, रास्ते में ऐसी गाड़ियां नहीं चलेंगी, इलैक्ट्रिक गाड़ियां आनी चाहिए।

मेरा सरकार से कहना है कि आप किसानों की मदद कर रहे हैं, उनका पुनर्वास करते रहे हैं। मैंने कल-परसों देखा कि सीआरजैड को चेंज करके 500 से 200 मीटर ला रहे हैं। हमें डर लग रहा है कि समुद्र की लहरें शहरों में घुसने वाली हैं, हम पानी में जाने वाले हैं। हम कितना एन्क्रोचमेंट करेंगे? आप देखें कि 300-400 साल पहले लोग किस ढंग से जी रहे थे। पुरानी तरह की खेती, पुरानी तरह का फर्टीलाइजर, पुरानी तरह के जानवर, गोबर से हमारा जीवन बहुत लंबे समय तक सही चला। आज हर चीज प्रदूषित है। कैमिकल फर्टीलाइजर्स यूज कर रहे हैं। कल-परसों सवाल आया था लेकिन मुझे पूछने का मौका नहीं मिला, आर्सेनिक के पानी को पेयजल के रूप में मत देखिए। आर्सेनिक पानी को खेती में यूज किया जाता है और उससे जो उपज होती है, उसे खाने से वही आर्सेनिक हमारे पेट में वापस आता है और चमड़ी के रोग होते हैं। मैं मांग करता हूँ कि इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया जाए। एनडीआरएफ या दूसरी संस्थाएं इस दिशा में क्या कर रही हैं, इसका आकलन भी हमें करना चाहिए। नड्डा जी, आप स्वयं दिल से कहते होंगे कि **they are not prepared to fight all these things**. इलेवेन्थ ऑवर पर हम किसी को कोई काम सौंप दें, एनडीआरएफ में पांच लोग हैं, लेकिन वे एकदम क्या कर सकते हैं? **Are we cautioning people to take care of all these things? Cautioning is more important.** हवा में कार्बन डाइऑक्साइड 600 से 1000 साल तक रहता है। हम सौर पवन ऊर्जा की तरफ जा रहे हैं, यह अच्छी बात है लेकिन कोयले के यूज करने से भी तो प्रदूषण होता है। इस समय कालचक्र पीछे घूम रहा है।

मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार को केवल ओखी चक्रवात या उसके रेमीडियल मेजर्स पर चर्चा न करके यह देखना चाहिए कि ऐसी स्थिति पैदा ही न हो। **It is a threat to human life now.** पृथ्वी का विनाश हो रहा है और विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। हमारी विपरीत बुद्धि चल रही है और हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। हमें विनाश को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने चाहिए। सुबह मंत्री जी ने प्रश्न काल के दौरान अच्छे उत्तर दिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ सौखते हैं। क्लोरोफिल सन लाइट से मिलता है। **Since the leaves absorb the sunlight, they look green.** हम जितना जंगल बचाएंगे, पर्यावरण को उतना बचा सकेंगे। हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, वह बहुत खतरनाक है। आज खेती की तरफ कोई नहीं जा रहा है। हमने कानून बनाए हैं, अन्न सुरक्षा कानून बनाया है। यदि एक-दो दिन काम करके पूरे महीने का राशन मिल गया, तो महीने के बाकी दिन क्या काम करेंगे। **Plastic is most dangerous. It has got a life of 500 years.** हम जीने के लिए तरसते हैं और प्लास्टिक की लाइफ

500 साल की है। आज वाइल्ड लाइफ में बर्ड्स को देखना है। Can we watch sparrows now? Where have they gone? There are BTS towers of mobile. ध्वनि की जो लहर आ रही है, उससे पक्षी भाग जाते हैं। हमें इस स्थिति को देखना है। ओखी के विषय में आप जो भी कर रहे हैं, वह ठीक है। मैं इस बारे में कोई शंका नहीं कर रहा हूँ। प्रधान मंत्री स्वयं जाकर पैसे दे रहे हैं और भी कई काम कर रहे हैं। हुडहुड साइक्लोन के लिए क्या किया गया। इसका कुछ पता नहीं है। आज बुखार हुआ है, तो क्रोसीन दवाई ले लो। बुखार सिर्फ बुखार ही नहीं है, वह वायरल भी बन जाता है। मैं इतना ही कहना है कि मैंने इस चर्चा में भाग इसलिए लिया है कि जब तक हम क्लाइमेट चेंज के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम इस समस्या का सही ढंग से सामना नहीं कर पाएंगे।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I would like to participate in the discussion under Rule 193 initiated by Shri K.C. Venugopal, my dear friend.

At the very outset, I pay my heartfelt homage to the innocent fishermen in Tamil Nadu, Kerala and Lakshadweep. Not only fishermen, but many others also lost their lives during this natural calamity. First of all, I appreciate the Government that they have decided to discuss this issue. At the same time, the time that they have fixed is really unfortunate. You see that in the Treasury Benches or in the Opposition Benches, very few people are there because they want to leave to their own States. So, anyway the Government has taken this decision.

SHRI K.C. VENUGOPAL: We are moving an Adjournment Motion.

SHRI P. KARUNAKARAN: I have given the notice for the Calling Attention, I have given the notice for this 193 and all that. But the Government has to take an early decision because it is a serious issue.

Sir, I do not want to go into the controversies as some Members have stated. I fully agree with Shri Venugopal that information was received on 30th November. I do not want to go into the details of that as to whether we have received that information on 18th or 28th or 29th or 30th. As far as the report that we have got from the State Government or the State Secretary, they got it on 30th November. They might have given it on 28th or on 29th November, 2017. But that is a very serious issue. That may be in Lakshwadeep or in other places. Anyway, we will discuss as to what we can do especially in this very serious situation. So, I do not want to blame the Government of Kerala or the Central Government but we have to make all efforts to address the issue.

Sir, it was on the 13th November, 2017 that the cyclone 'Ockhi' had caused very serious disastrous effects in the coastal area of Kerala. It is true that it has affected other areas also, that is in Tamil Nadu and in Lakshwadeep. As we all know, the State of Kerala has a very long coastal area of 650 kilometres. So, either in tsunami or in the cyclone, when it affects, it affects to a large extent in all the coastal districts. The most affected area in this connection is Trivandrum and

Kollam districts. Other districts are also partially affected. It has seriously affected the fishermen who live on the basis of fishing. Some of them have already gone to the sea before the information was received. We know that in the coastal area there is no other livelihood as far as the fishermen are concerned.

Sir, the tears and pains as stated by other Members is unimaginable because they are still waiting and they do not know whether their parents will be coming back or not. Now, we have got the report that 76 persons have died. But at the same time, we have the information. We are getting the boats from Maharashtra or from Goa or from Karnataka. It is because of the strong wave that it has gone to some other destinations. Whatever may be the reasons, the people especially the fishermen in the coastal area are suffering much and 76 is the number of persons who have lost their lives.

As far as the houses are concerned, there are 30,000 houses partially damaged and 350 houses are fully damaged. As far as the students are concerned, they lost their parents and many of them have lost their lives. This is true as far as many of the families are concerned.

As far as the agriculture sector is concerned, the coastal area is fully damaged. Either it is the production or the cultivable area which is fully damaged. It was already stated by Shri K.C. Venugopal. It is painful to say that the students were not able to go to the schools just because they lost their parents and their houses. As stated by Bhartruhari Ji, when these natural calamities come, the most difficult situation that the State Government faces is the complete damage of infrastructure facilities. It is either electricity or the roads or other facilities that we have. So, it is imaginable that how much we have to address on this. The only livelihood that the fishermen have, as you said is to go to the sea. Due to the serious effects of the cyclone, many of the boats, though they have started from Kerala, have gone to Tamil Nadu or to Maharashtra or to some other place. The State Government has already declared Rs. 25 lakh to those who have lost their live and rupees five lakh was declared to be given to those who were severely injured. All medical facilities are extended to all the affected families and

persons. Some of the fishermen who are admitted in other hospitals either in Mangalore or in other States, we are extending our medical help to them also. We are giving free ration to all the families of the coastal area. We know that the financial assistance and the kind words would not compensate the big loss that we have to suffer.

Kerala has not experienced such a terrible situation for the last 100 years. So, my learned friend is unaware of Kerala. That is why, he has made such a wrong statement. I do not want to go into those details. So, for the last 100 years, we have not had such a terrible situation.

I appreciate that our Prime Minister has visited it; our Defence Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman has visited it; the President of the Congress Party, Shri Rahul Gandhi has visited and many other leaders have also visited, for it is really the duty of the political leaders to share the tears of these people. So, this is not the time to blame the Government as to what they do or what they do not do. According to reports, there is a big loss in the agricultural sector. There is a loss of 7,816 acres of land as a result of this big cyclone. The Chief Minister of Kerala has met the Prime Minister and other Ministers. We have already given the representation. We, the MPs of both sides, either the LDF or the UDF, met the Prime Minister and made our representation but we need an immediate assistance from the Central Government.

Sir, it is true that there is a Natural Calamity Fund. That can be given at any time. According to the rules of that Fund, Kerala has to get Rs.240 crore--75 per cent from the Central Government and 25 per cent from the State Government. But a small portion is now allotted by the Government and that is not at all sufficient to meet the demand.

So, considering all these facts, our Government of Kerala has taken up a comprehensive scheme. So, we have demanded Rs.7,345 crore because there is loss in the agricultural sector; there is loss of houses; there is loss of persons and there is loss of infrastructural facilities. So, it is a long-term process of action that we have to take. I fully agree with Shri Venugopal that on this issue we should

take a new chapter in our approach. It is not to blame any of the Governments because we have no modern equipment. We have got ordinary boats. Our fishermen have got the ordinary boats. Even for the Coastal Guards, it is insufficient to meet the demand. Also, we have to give the modern equipment. So, both the Central and the State Governments have to think about this. It is because whenever we experience the natural calamity, we think about it and after that we are forgetting it. So, this is the time to take it seriously.

Also, I strongly demand from the Government that this should be declared as a national calamity because there were such instances in Jammu and Kashmir; there were such instances in Mumbai and also in some other States. So, in such instances, we had declared it as a national calamity. So, here it is the question of the life of the people, life of the infrastructure; life of the wealth of the nation and also of the States. So, this is the time to declare it as a national calamity. The State Government has already requested the Central Government towards this.

The other issue I want to say about is, according to the norms prescribed by the CRF, you see, if we lost a house, we may get only Rs.96,000. We know that it is a very meagre amount. The Government of Kerala has decided to give houses to all the affected families in the coastal area. We have a scheme of 'The Life' to give house to a person who has no house or who has no land. Here the compensation that is fixed earlier is very, very meagre. Also, when a boat is lost, only Rs.9,600 is given as compensation. Really, its cost may be Rs.2 lakh or Rs.3 lakh. That is true as far as the net is concerned. It costs Rs.600 or Rs.1,000. But a boat costs about Rs.2 lakh or Rs.3 lakh. So, that also has to be reviewed.

So, in this situation, while I appreciate the visit of the Prime Minister—we also met the Prime Minister--we want to get a very, very immediate assistance because we have to give a compensation of Rs.25 lakh. I admire that the Central Government has declared Rs.2 lakh but it is very, very insufficient. It is not at all sufficient to meet their loss. So, considering all these issues, not as the issue of Kerala or Tamil Nadu or Lakshadweep, not as the issue of the blamed State Governments and the Central Government, this should be really considered as an

issue on humanitarian consideration, and the Central Government should take such a very, very serious efforts. We, the Members from Kerala, not only the Members of Kerala but also from other States also, request the Central Government—the affected places are Kerala, Tamil Nadu and Lakshadweep, and Lakshadweep is under the Central Government—to declare it as a national calamity and take all efforts to share the tears of these fishermen and restore the faith and trust of the people. That can be done only by action and not by words. I think that the Central Government should take such a serious measure on this issue. Thank you, Sir.

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA) : Hon'ble Chairman Sir, Indian philosophy teaches us to see god in every living being, whether it is in nature, or in human being. We see god in the heart of everyone. It is the real strength of our country. We have achieved a lot of progress in science and technology. Since the good old days one or the other form of natural calamities such as drought, flood, famine, cyclone is taking place in various parts of the country time and again. It is not a new phenomenon. But this time the 'Cyclone Ockhi' has shaken the entire southern part of the country, particularly the states of Tamil Nadu, Kerala and the Union Territory of Lakshadweep. These places were severely affected by this deadly cyclone Ockhi. It also affected my parliamentary constituency, Dakshina Kannada district in coastal region of Karnataka. It is very unfortunately as it has created havoc especially in Tamil Nadu, Kerala and Lakshadweep. At this juncture I would like to draw the kind attention of all that as soon as the information received, our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji has sent his cabinet colleague Smt. Nirmala Seetharaman ji to infuse confidence in the hearts and minds the affected people. Further, he himself visited all the affected regions in Tamil Nadu, Kerala and Lakshadweep and instructed the authorities concerned to take all measures to mitigate the agonies of the affected families and people. All these steps could ensure relief and rehabilitation measures reach the affected people without any delay. I would like to say that it is the example we set. Our NDA Government is not a "Soot-boot Government", our Government doesn't believe in words but in prompt actions. Our Government is for the farmers, our Government is for the fishermen, our Government does everything to protect the people, whenever they are in crisis. It is proven by our Hon'ble Prime Minister on many occasions. That is why I whole heartedly congratulate him and also express my gratitude to him on behalf of people of Southern India.

* English translation of the speech originally delivered in Kannada.

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): Most of the affected coastal area is under Kerala. That is the reason.

SHRI NALIN KUMAR KATEEL : The deadly cyclone Ockhi killed 87 people. 70 are from Kerala and 17 are from Tamil Nadu. More than 800 fisherman are still missing. As per the available statistics and reports more fisherman from Kerala were killed than Tamil Nadu. I would like to point out that the Government Kerala had not taken immediate measures to pass on the instructions given by the IMD to fishermen. And no adequate preventive measures were taken to shift the fisherman to safer places; if the Government of Kerala had taken the steps on the lines of Tamil Nadu and Lakshadweep, the number of casualties of Kerala fishermen could have been reduced. It is clearly the 'failure' on the part of Kerala Government. I would like to bring to the notice of the Hon'ble Members some earlier incidences that our Hon'ble Prime Minister was in aboard trip at the time of when the massive fire incident reported in Kollam. However, he curtailed his foreign trip and visited Kollam to take stock of the situation arising due to the unfortunate fire tragedy in Kollam. And also the immediate measures he took to rescue the fishermen in the Cyclone Ockhi ensure that the compensation reach the affected person in all the incidents or calamities in the country. Our beloved Prime Minister has set the best example to all the State Governments and Chief Ministers they should respond promptly to the situations such as natural calamities and fire accidents. I would request all the Hon'ble Chief Ministers of the State Governments that they must help to mitigate the agonies of affected people.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Hon. Chairman, Sir, I want to say that it is not right. He is not telling the right thing. In 2014, Dr. Manmohan Singh visited the affected areas the next week itself. He visited that place within three-four days. ... *(Interruptions)* He met the victims also. ... *(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please sit down. Nalin ji, please continue your speech.

SHRI NALIN KUMAR KATEEL : I would also like to point out that the Government of India has taken all possible steps. Essential materials and shelter etc were provided to the affected people in these regions. I would recall the services rendered by the Indian Navy. Coast guards and Disaster Management Authorities in rescuing the people affected to cyclone Ockhi. I congratulate them. I would like to request the Union Government to take all necessary steps to encourage our scientific community to conduct research and studies to provide accurate and clear information about the weather condition well in advance. So that it would help the authorities and the respective Governments to act in time to save precious lives of people, and protect the valuable infrastructure and properties of the country. More over it also help the farmers to save their standing crops and prevent losses.

I would further like to point out that the State of Karnataka has been facing the problems of various forms of natural calamities from the last one and a half decade. Some parts of the State are having drought and other parts are suffering from flood, etc., the state has lost thousands of crores of rupees due to vagaries of nature. For example since my Dakshina Kannada district is situated in coastal region, it has been facing the problem of “Sea Erosion” every year. Fishermen are forced to shift their dwelling units from one place to other, due to sea erosion. Huge number of fishermen facing difficulties.

Every year the Government is spending money on various measures to prevent soil erosion. But it is not yielding any desired result. Hence I would like to suggest that Government should take some effective steps to erect permanent walls to check the soil erosion using state of the art technology. The Government should use modern technology and also best available measures at the international level to put an end to this menace.

I hope that such permanent measures would protect not only fishermen but also common people, including farmers, women, and children from facing any

uncertainties. I would say that spending money on permanent measures to put an end to sea erosion would yield appropriate and desired result.

Apart from these measures the State Governments should take better decisions to utilize their own resources to prevent such problems instead of blaming the Government of India. If this is done, it helps to check the loss of public properties and infrastructures such as road, bridge, electricity etc. I would also request the State Governments to take measures for the Welfare of all the people as it is taken by the NDA Government under Hon'ble Prime Minister Shri Narendar Modi Ji.

I would like to say that if the Kerala Government would have shown the concern to save the lives of fishermen, as it was done by the Central Government. Many lives of fishermen were saved in Tamil Nadu, and Lakshadweep because of the prompt action of the State Governments. The Government of Kerala has taken all the steps to protect 'murderers' but not done enough in the case of fishermen suffering due to cyclone Ockhi.

SHRI P.K. BIJU : Has the Central Government given information about it to the State of Karnataka separately? ... (*Interruptions*) We got the bulletin from INCOIS for print and visual media and others concerned for public attention on 30/11/2017 at 1.30 pm. ... (*Interruptions*) We received a bulletin from IMD for public attention on 30/11/2017 at 9 pm. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

... (*Interruptions*)

SHRI NALIN KUMAR KATEEL: The State Government of Kerala was informed about the cyclone Ockhi and about the missing of hundreds of people. Even then these is no adequate steps taken by the State Government to trace out their missing fishermen. I would like to say that in Dakshina Kannada district of Karnataka the authorities have informed to fishermen about the warnings issued by the IMD, similarly Lakshadweep and Tamil Nadu Governments also issued

instructions to their fishermen. That is the reason why the number of casualties of fishermen is very low these. I would like to bring to the notice of the Hon'ble Members that two boats of Mangaluru were found in Lakshadweep. Soon, the Government has taken measures rescue and inform the concerned authorities in Mangaluru in Karnataka. So no tragedy is reported due to appropriate measures taken by the Government of Lakshadweep. Whereas Kerala Government has failed to take necessary steps in mitigating the tragedy. If the Kerala Government alerted the fisherman about the weather conditions as soon as it had received information from the Central Government, many precious lives of fisherman could have been saved.

SHRI P.K. BIJU : You cannot decide about it. We won 91 out of 146 seats in Kerala. ... (*Interruptions*) The people of Kerala believed in us, and will have faith in us in the future also. ... (*Interruptions*) There need not be any doubt about it at all. ... (*Interruptions*) You have tried to create a situation in Kerala, but it did not work out in Kerala. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down. He is speaking, and the hon. Member is on his legs.

SHRI NALIN KUMAR KATEEL : So, I would once again say that the NDA Government under the dynamic leadership of Shri Narendra Modi Ji has been successful in taking all kinds of welfare measures for fisher folk, farmers, labors and all the sections of the society. Had the Kerala Government followed the similar steps, fishermen and all people of Kerala, could have been rescued from the cyclone Ockhi. Our Hon'ble Prime Minister and our NDA Government has been successful in winning the hearts and mind of the people of Kerala.

SHRI P.K. BIJU : Sir, he is attacking and accusing the State of Kerala. ... (*Interruptions*)

SHRI NALIN KUMAR KATEEL: Before concluding my speech I once again express our gratitude to our Hon'ble Prime Minister Narendra Modi Ji, and Hon'ble Minister for Defence Smt. Nirmala Sitharaman Ji for showing concern for the people affected by cyclone Ockhi.

Thank you sir.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the natural calamity, the Cyclone Ockhi, which took place in South of India and affected the States of Kerala, Tamil Nadu and the Union Territory of Lakshadweep very badly. According to estimates, 120 people have died from Tamil Nadu and Kerala. In Kerala, it is reported that 77 people have died; 100 are missing; and about a thousand houses have been destroyed.

On behalf of the people of West Bengal, I extend my sympathies to the people of these States, and offer condolences to the families who have lost their people. It is a terrible thing to be caught in an open sea in a cyclone. It shows how helpless man is against nature! With small fishing boats to go out fishing, deep into the sea, and then, the cyclone strikes; the sea becomes unruly. Human beings are helpless. That is what happened in Kerala and Lakshadweep and Tamil Nadu, especially in the district of Kanyakumari, which I would describe a little later.

Sir, since the cyclone, the Kerala Government has announced Rs.25 lakh to those who have died; the Tamil Nadu Government has allotted Rs.20 lakh to the families of those who have died; and help is being extended. The Kerala and Tamil Nadu Governments have also submitted their demands to the Government of India. Even yesterday we learnt that the Centre has not yet sent its team. Only after the Team goes, makes its report; comes back to the Home Minister, then, the meeting will be held, and then the money will be released. At this point, we must reach succour to those who have been harmed by the Ockhi, those whose boats have been destroyed; those whose houses have been destroyed; and those who have lost the next of kith and kin.

But while we discuss Ockhi, one or two points needs to be mentioned that while nobody can prevent a natural calamity, what human beings can do is to give advance warning so that people can take precautions. Unfortunate thing is that the cyclone struck land, at its landfall, on the morning of 30th November. The Indian Meteorological Department issued its cyclone warning at noon on that day. Most of the people had gone into the sea by that time. So, the warning did not reach them.

Now, two points were cited. First is that people in the West Coast are not used to cyclones. People in Odisha, your State, or in Andhra or the eastern seaboard of Tamil Nadu are more used to cyclone. We had Phailin; we had Hudhud; and we had the worst supercyclone in Odisha in 1999. There, the early warning system is in place; in Kerala particularly, this early warning system failed. I do not want to go into accusation but the Kerala Chief Minister, Mr. Pinarayi Vijayan, whether he has done it politically or not, he has openly alleged that Kerala was not warned about the cyclone by the Centre. No advance warning on cyclone – Kerala CM. Shri Vijayam said that the first information the State Government got was on 30th noon. There is no advance information of cyclone Ockhi at all.

Our colleague, Dr. Shashi Tharoor has written a letter to the Centre to enquire into why there was this lapse in warning people. If they had issued warning in time, then much loss of lives could have been avoided, and maybe much damage to property could have been avoided. Sir, you will realise that the problem with the cyclone was that this originated in the South West of Sri Lanka. Normally what happens, cyclones travel upwards at the rate of 13-14 km. an hour.

14.00 hrs

People expected it to go towards Maldives. But, instead of going towards Maldives, it came towards the Lakshadweep and the Kerala side. People were taken totally by surprise. As I said, normally the Arabian Sea is cooler than the Bay of Bengal. As a result of this, less cyclones take place in the Arabian Sea than in the Bay of Bengal. That has led to a state of mind. What is immediately necessary is to look into the early warning systems in place in Kerala and in the Southern part of Tamil Nadu as also Lakshadweep. I had been to the picturesque Island of Lakshadweep. It is totally a small pearl in the middle of the sea. People are helpless in Lakshadweep and in Kavarati. This early warning system ought to be in place so that the routine is worked out properly.

Nobody knows as to how many people have been missing. Our Defence Minister Shrimati Nirmala Sitharaman went on the 4th of December. But, still the

Indian Navy is searching. There is also a complaint that there was a delay by the Coast Guard and the Navy is putting their ships into action. In Kerala and particularly in Tamil Nadu, fishermen have complained that they had told the Coast Guard personnel to take some local fishermen with them on the ship because they would know as to where the fishermen go to find the source of fishing. But, it was refused in the initial stage. So, in our inquiry, we must find out as to why there was no sufficient early warning. Why did the Coast Guard refuse to cooperate with the fishermen and their representatives?

The Centre has given Rs.325 crore up till now. The Kerala Government has sought a package of Rs.7,340 crore. The Prime Minister went to Tamil Nadu on 19th of December, almost more than two weeks after the incident. The Tamil Nadu Government also submitted their demand. The Home Minister is sitting here. In Tamil Nadu, the National Highway 98 and the State Highway 75 have been totally destroyed.

The cyclone warning systems have let down the fishermen of Kerala and Tamil Nadu. As it is, the Tamil Nadu fishermen are tortured. They are captured by the Sri Lankan Navy. Kerala fishermen suffer from the attack of the trawlers and again from the nature's fury. The nation must extend its helping hand to these people who brave the forces of nature to go out into the sea to catch fish and to help our people. I can well realise the sort of misery people in Dr. Shashi Tharoor's constituency Thiruvananthapuram because the tip of India was the most affected. Strangely enough, the Indian Space Research Organization has its headquarters in Thumba, Thiruvananthapuram, which is the affected area. That is the affected area. From a satellite, you can see clear images of cyclone forming but why Kerala, where ISRO is located, could not know is a tragic thing which has to be looked into.

There is a problem relating to disaster relief. Yesterday we discussed about floods in Bengal in the months of June, July and August. The money for these floods has not still been released. There is delay at the Central level. They say, 'You have got State relief fund. We will decide about the national disaster relief

fund later.’ But when such a cyclone or natural calamity takes place decisions should be taken in a jiffy, more quickly. There is an urgent need to review the deployment of search and rescue aircraft and vessels by Coastguard and the Navy in the vicinity of Thiruvananthapuram. All these matters need to be looked into.

You would be surprised that the wind was so strong that fishermen in Kerala went all the way up to the Maharashtra coast and took shelter there. You can imagine, they crossed the whole coast of Karnataka and went to Maharashtra! So, it was a really terrible thing. They should be compensated for the loss of boats. The Government should swing into action on this matter and we must have a figure from the Government of India telling us according to their reports exactly how many fishermen have been killed till now and how many fishermen are still missing because people in the coastal areas are searching for their relatives in Thiruvananthapuram and in all the other places.

I thank you for allowing this discussion. We are not from these areas but our heartfelt sympathies are there for the people of Tamil Nadu, Kerala and Lakshadweep.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak in this special discussion on the happening of the Ockhi cyclone.

First of all, on behalf of our State and our Party, we would like to extend our sympathies and concern to all the families which have lost their family members in this unfortunate event. On behalf of the State of Kerala, we would request the Central Government that whatever demand has been put forward, irrespective of the parties and irrespective of the places they come from, to take complete responsibility and hold up their right in serving justice to the State of Kerala, and also to Tamil Nadu and Lakshadweep.

I speak here because I come from the coastal region of Srikakulam in the State of Andhra Pradesh. We are not totally new to cyclones. If you take our history in the last five years, we have had major cyclones: in 2012, we had Cyclone Phailin; in 2014, we had Cyclone Hudhud; in 2013, we had Cyclone Laila. Recently in the month of November, we had an early warning of another cyclone which was missed but we had heavy floods in our region.

If you see in our region in the yearly calendar, between the months of October and December, there is no November for us; there is only the cyclone month. What comes after October is the cyclone month. At the end of October, it brings so much fear in the minds of farmers, fishermen and people in general that they keep wondering what cyclone might come and what natural disaster might come. It is at this time that we have to think of bigger challenges, not just one cyclone at a time, based on the experiences that we have faced especially from the Cyclone Hudhud which was devastating for the north coastal Andhra Pradesh, especially for the city of Visakhapatnam.

I would like to put forward some suggestions to the Central Government. Sir, whenever this kind of a natural calamity happens in the country the Central Government sends the teams to assess the damage. I have to put forward this suggestion, Sir, because there had been a very big delay in finding out the extent of the damage that had happened in these places. When Hudhud had happened,

the State Government within a week had assessed the primary damage and sent a list to the Central Government for the support of approximately Rs.16,000 crore. But the Central Government sent its own team. For a period of one month they went around the affected areas and came up with a different figure.

We appreciate the fact that the Prime Minister took time and visited the affected area. It helped us to build hope and confidence in the people but what was to be followed up was that sufficient amount of compensation reached the affected areas in a justified time. Like we say, 'justice delayed is justice denied', support delayed is also support denied. If you send any amount of money after six months or one year to these areas, when you have to send it within a week or two of its happening, it does not have the same effect. So, the Central Government should keep in mind that whatever support it intends to give to these areas, it has to be sent with immediate effect. That is one concern that I want to put forward to the Central Government.

There are a lot of Central Government schemes in terms of building up of infrastructure. We have the Housing Scheme, a special scheme of PMGSY for building up of roads and infrastructure. Whenever an event of such high magnitude happens, the Central Government should associate some of these schemes to these areas. The reason why I say this is, when Hudhud happened in my own constituency there were areas where the roads had been completely devastated. Till now we have not been able to lay down new roads in those areas. We have submitted sufficient proposals to the State Government as also the Central Government but sufficient support has still not been given. If they could have attached those areas with one of the already existing schemes then we could have a better chance of fulfilling the needs of that area. So, the Central Government schemes should be given priority in these kinds of affected areas. When that is done, the infrastructural loss that has happened in these areas can be covered up in a better way.

First of all, in these times, we have to remember the farmers and the fishermen community. They are the first ones to be affected. When it comes to

the farmers of Visakhapatnam, Vizianagaram and Srikakulam, which are completely rural areas, a lot of paddy growers are involved. November is the harvest time for all these farmers. When the crop is ready to be harvested, when it comes to their hand, it has been destroyed time and again by calamities like this. Recently also, it pains me to say that, in November we again had four days of heavy floods which actually have damaged the complete crop of our district and also the adjacent district of Vizianagaram. For this reason I would request the Central Government to take up a special plan, at least in the coastal areas, to build storage facilities for these farmers because in these times they are totally helpless.

If you consider my district, every year the production of paddy is up to 10 lakh metric tonne but the storage capacity that we have is just a mere 2.5 lakh metric tonne. What about the extra production that we have? Even if we want to send it to other districts or other States, it takes at least one or two months. What happens to this paddy? It just lies on the fields, just lies in front of their houses waiting to be damaged. So, the Central Government needs to come up with a special plan to build up storage facility, especially for the agricultural production that happens along the coastal areas.

Also, when it comes to the fishermen community, they all are registered under the insurance scheme but they get entangled in the paper work. When they start the paper work, it takes a minimum of two to six months. For one year they do not get the necessary compensation which otherwise they should get. So, there has to be an effective mechanism. In times like this and when people are facing such pain and horror, we have to take extra responsibility in reaching out to them and we need to simplify the measures and ways by which we can send the money to the bereaved families. So, the Central Government should take the responsibility in simplifying the measures and in offering the compensation to the families, especially to the fishermen community. I need five minutes. I come from an area which is being continuously affected by cyclone.

When it comes to the businesses also, the companies get affected by the infrastructure. They also apply for insurance. My suggestion to the Central

Government is this. The Central Government should, at least, give 50 per cent of the insurance claims immediately. It will help the companies to restart themselves. You know as to how much loss it is for the companies if they cannot run also. So, at least, from the insurance companies, if the Central Government takes the responsibility of offering them 50 per cent of the insurance in the immediate aftermath, then they can at least start their activity at the earliest.

What pinches me, time and again, is that we are terming all these disasters as natural disasters. But, what we have to keep in mind is that in some way, it is like a man-made disaster only. Whatever calamity has happened due to Ockhi cyclone, it is because of the warming of seas and it is associated with global warming, which is the doings of the humans itself. So, just by terming it as a natural disaster, we are resisting ourselves to look into the preventive measures which need to be taken on behalf of human beings itself. Instead of looking at remedial measures, we also need to look at the preventive measures and as to how to effectively counter these kinds of global climate changes. I am coming from a coastal place. I have one suggestion. If you do a lot of afforestation in the coastal areas, it will actually protect the coastal community and will also help in countering the global climate change that we have. So, there are some innovative, simple and creative ideas that we can do to counter it. It might look like a very big cyclone for us, but small steps which are taken today, can effectively counter it in future. So, the Central Government should sit down with all the related departments – whether it is agriculture, business, industry or commerce and chart out a proper plan when it comes to natural calamities. Just by having one discussion whenever a calamity happens and just by sending some amount to the respective States, will not help in the future. It is time that we should all sit down together and chart out a proper plan in countering these kinds of natural calamities in the future.

HON. CHAIRPERSON: Now, Shri A.P. Jithender Reddy.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, thank you very much for giving me an opportunity to discuss on the natural calamities in various parts of the country, with special reference to Ockhi cyclone in South India. On behalf of my party, TRS, I extend my heartfelt condolences to the families affected by the cyclone. Human being boasts that he can fight anything against the Universe. But, we should realize that no person can fight against the Nature. The example is Ockhi cyclone. The natural calamities are not under our control. That is why, we believe in Almighty God. I go to Tirupati often to pray to Lord Venkateswara.

Sir, in the year 2017, we have seen a record number of floods across various States including Assam, Gujarat and Tamil Nadu, which claimed hundreds of lives. When the current Government took power, they had promised to make the country more disaster resistant. However, three years since the Government is in power, the top post in the National Disaster Management Authority is lying vacant. In July this year, the hon. High Court of Delhi had to intervene and asked the Government to fill the vacant post in the National Disaster Management Authority and National Institute of Disaster Management.

The post of Vice Chairman and the post of Secretary were lying vacant in NDMA since 2014 and there were no efforts to fill them. To effectively combat a disaster, the management needs proper guidance and coordination from the top authorities. Vacancies of crucial top posts for a long period affects proper functioning of the organization. This should have been taken care of in a timely manner by the government.

Now, I would like to raise certain issues of my home State of Telangana which it faces. Telangana suffers from irregular and unseasonal rainfalls. We have had drought months in August and July and there was unseasonal excessive rainfall in the month of October of this year. We have a problem of drought which fortunately was not there this year but during the later part of monsoon season, there was the problem of excessive rainfall.

I would like to speak on the problems that arise due to such inconsistent rainfalls. During the initial period of monsoon season this year, there was an alarming crisis of drinking water due to deficit rainfall that had taken place last year. This acute shortage of drinking water is also caused due to pending issue of water sharing of Krishna River between erstwhile Andhra Pradesh and Karnataka. The Telangana Government sent an official letter to Karnataka Government in August of this year to release 15 TMC of Krishna water. Both the Water Tribunal and the Krishna River Management Board have been unsuccessful in settling the water sharing issue.

KRMB has been unable to even stop water diverting techniques used by Karnataka as well as by Andhra Pradesh. They have not been successful in convincing any of the States to divert water in times of acute need. In my own constituency, Mahbubnagar, there is a problem of drinking water shortage in many of the divisions. For 15 days in a month, water is not released from the Karnataka side.

This period of drought was followed by a period of excessive rainfall. Till mid-October of this year, around 98,000 hectares of sown land in Telangana was affected after two weeks of heavy unseasonal rainfall. In many places, the rainfall was way above the annual average. The State Agricultural Department assessed the damage caused and stated in the preliminary report that close to 1.3 lakh farmers got affected due to these rains. Now the farmers had sown cotton on over 49 per cent of the farm lands during the Kharif period. This cotton cultivation was spread over 1.9 million hectares. Out of this, around 73,000 hectares of cotton produce was damaged in the rains. Due to this, the farmers faced problems in selling their produce. There was no initial support from the Cotton Corporation of India. The cotton produced was of B Grade quality owing to the climatic conditions. We have to speak to the Minister of Textiles in this regard. She came to the rescue of cotton farmers this year. They supported in buying B Grade cotton also.

In cases of other commodities like paddy, there is procedure to purchase the produce in discoloured form if that is due to climatic conditions. Such a procedure should be extended to other produce such as cotton too. The Ministry of Textiles should take note of this. This time they have come forward and saved the farmers by buying the cotton. I would request Shri Radha Mohan Ji also to please help in buying the paddy and save the lives of the farmers when such an excessive rainfall is there.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I have been listening attentively to debate so far and I have to say that for me this is not a theoretical matter or second hand issue. I was there when the cyclone started. I was in Thiruvananthapuram, the night of the 29th and the 30th. I actually went out to the coastal area in the morning of the 30th. There were extremely heavy rains and howling winds. In fact, we were expecting the next day the visit of our party leader Shri Rahul Gandhi ji. I remember filming on my phone the posters and hoardings put up for him fluttering, flying about in the breeze and the tents that had been constructed for him for his function was already being ripped apart by the winds. I said that this function is not going to happen; this is going to get worse.

Having seen it from that point, I can assure you that what developed after that was a matter of intense personal concern because over the next few days I had the mortification, not just of watching it unfold and helping with some of the coordination of the response, including calling Shrimati Nirmala Sitharaman at home and pulling her out and she was extremely helpful and responsive, calling the Coast Guard officials myself. Apart from all of that there is also the fact that I then had to go to the homes of those who were bereaved, either who had lost people certainly or whose people were missing, whose loved ones were missing.

There is really something terribly sobering to go to village after village; there is a billboard with photographs and names of the people missing, very often young people, teenagers in some cases, husbands, fathers, brothers. I had gone to a make-shift shrine where four women were waiting for the return of their loved ones and I lit *agarbattis* and prayed with them. I went to homes of people in which both children, in some cases both brothers, had gone. There were cases in which one brother had come back and another had disappeared under the waves. I remember walking into a church where every inch was occupied by the families of wailing women waiting for news of their loved ones. Some had lost her father; some had lost their brothers and sons and some were in complete despair because

they had no place to go because their homes had also been shattered by the howling gust of wind.

This is a major national calamity and I urge the Government to recognise it for what it is. Frankly, in this part of the country hardly anyone paid attention because the Gujarat elections were on and that is what the media was focussed on. But the lives of hundreds of people have been affected. In Kerala 77 are certain, confirmed killed, still over a hundred missing almost certainly not likely to come back. In Tamil Nadu the numbers, particularly in Kanyakumari are also high. We have had lots of boats missing and a boat is not just a boat, and it is not just like using a car, it is a means of livelihood for poor people who have nothing else. Then you have the houses that have been damaged as well and the psychological trauma waiting for news of their loved ones. This really is a horrendous human tragedy that we in Parliament must truly grasp and understand the nature of.

I would like to say with deep respect to the Home Minister, who is here for us today, that there is no substitute for a serious enquiry into what happened. I have had the privilege of calling on the hon. Prime Minister both alone and subsequently with MPs from Kerala. When I met him alone I did say that it was extremely important that an enquiry be conducted so that we know exactly what happened. Take the debate that we had a little earlier today on the warning issues. Both sides, as you know, were shouting at each other here and I do not want to enter into that.

What I do want to say is that I have looked into this with some detail. I have the Indian Meteorological Department official's cyclone warning document - - The Standard Operating Procedures of the Indian Meteorological Department. According to that there are four stages. There is a pre-cyclone watch which would be for early potential disturbances; there is a cyclone alert which is supposed to be 48 hours before a cyclone; there is a cyclone warning 24 hours before and then post landfall outlook until the disturbances subside. Now, what have we got here? I have looked at the actual bulletins received in Kerala. I can tell you that there is only reference to a depression and deep depression. I have actually got the exact

wordings. I do not want to waste the time of this House. I have conveyed this to the hon. Prime Minister also. At 11.50 am on 29th it says that there is depression over South-West in Bay of Bengal of Sri Lankan Coast; 30th at 5.30 am, it says deep depression over the Comorin area, that is Kanyakumari area and neighbourhood; at 8.30 am on 30th it still says deep depression over Comorin area and cyclone alert for Lakshadweep islands and it is only at 12 noon on 30th it says that it is the cyclonic storm Ockhi.

By that time, the cyclone had hit. People had gone out to sea as late as the previous night. May be those who had gone out two or three days earlier could not have been saved. The sad thing is, people who went out literally until such time as the cyclone hit could not be saved. To my mind, there is something to be looked at as how we allowed this to happen, how could precious human lives have been lost. I leave the question of blame game between the IMD and the State Meteorological Department to them. I think the Central Government, as a neutral player, should definitely conduct an inquiry into this issue. But this is not the only issue. There is very seriously the question of protocols and the equipment for search and rescue.

I do not claim to be objective or neutral. I am basing myself on the complaints of the fisher people and the people in the fishing villages who have spoken to me. They say, for example, that on the 29th night, when they first got the distress signals from some of their fishermen, the Coast Guards were unwilling to go out. They also claim – the Coast Guard may not confirm this and we need to know what the truth is – that when the Coast Guard did go out on 30th they could find nobody. In fact, I believe in the entire day they only found one person. That was unacceptable when there were hundreds of people out in peril at that time. They also pointed out that when the Navy got involved – I am very pleased that the Defence Ministry responded as soon as an appeal was made to them – they did not know where to look. The Coast Guard has a territorial limit of 12 nautical miles. They cannot go beyond that. But the Navy can go much farther. In fact, they can go as far as they wish. But they did not know where to look.

According to fisher people, for four days no one agreed to take the local people on-board the ships to actually find them. When the Navy went out, one of the people who went on board the Navy ship told me that they found a body floating, but the Navy said, 'We cannot take this body because we have no facilities to keep the body on board. We not have no mobile ice boxes; we have no deep freeze facilities, etc. So, we cannot take the body'. This was a horrifying thing to the fisher people when families are waiting desperately for news of what happened to their loved ones.

I immediately called the Defence Minister from the village as soon as this news reached me. The Navy issued a statement saying that they have not refused to pick up anybody, but in the same statement they said that they are still in the process of acquiring mobile mortuaries. I think one can draw a very clear inference. They did not have it and the fishermen have no reason to tell a lie to me. So, these are very serious issues that also need to be the subject of a serious inquiry.

The third question is about the infrastructure. That also needs to be looked at. Prof. Saugata Roy very rightly mentioned about the Vikram Sarabhai Space Centre and the satellite. It is not just the question of satellite. The Central Government has spent Rs. 20 crore on a Doppler radar system, that is supposed to warn about cyclones. What happened to that? Did it work or did it not work? If it worked, where did the information go? Who is responsible for neglecting the information? I think there my hon. friend, Prof. Saugata Roy is totally correct. The Vikram Sarabhai Space Centre is based there, and that too in Thumba in Thiruvananthapuram itself, in my constituency. Yet the information did not reach the people whose lives, therefore, could not be saved. That too needs to be looked at. I hope that the investigation would cover this.

Are our existing protocols adequate? What about the Joint Typhoon Warning Centre that was set up in US? Can we participate? Are there financial issues preventing us? We are being increasingly subject to weather disturbances. Let us face it. Global warming is making weather all the more unpredictable. It

has been pointed out by an earlier speaker that normally typhoons are on the eastern side. They occur in Bay of Bengal not in the Arabian Sea side. Today we have seen a cyclone coming right from south-west Sri Lanka, pass Kanyakumari to Thiruvananthapuram and to Lakshadweep. This is news. We must prepare for this and if it means more expenditure please let us do this.

The fourth aspect of an inquiry must be deployment. Where are we deploying our search and rescue vessel capacity? I am sorry to say that there is very little in Thiruvananthapuram. The search and rescue aircraft and vessels that exist are actually in Kochi. That means we are losing half an hour to one hour each time even by air if we have to do any serious search and rescue. ... *(Interruptions)* There is nobody in this House who is more affected than me. My constituency is the most affected. Please give me five minutes more.

Sir, 77 people from my constituency have died. I suggested to the Prime Minister and to the Defence Minister that we set up, in our country, the marine equivalent of the Territorial Army. We have a Territorial Army. If one day, God forbid, there is a serious war, we will be pressing the Territorial Army into service. Why can we not do this at the level of the Coast Guard for our fisher people? We can hire people from the fishing community – people who understand the sea, people who understand the problems, they understand where the fisher people are going – give them one month's training, recruit them and thereafter they can go back to their normal profession and then, perhaps, whenever there is a natural calamity and search and rescue issue, we can bring them on board and get them to go. If the reason why the Coast Guard and the Navy initially did not accept these people is because they felt that they are not professionally trained, then my suggestion to the Home Minister would actually respond to this need because you would be able to train them and as trained people, they would be able to go on these Naval Ships and guide them to rescuing lives. This is my humble request to the Government.

I finally want to end on the issue that everybody has already spoken about because I realise there is not much new to be said and that is the question of

compensation. The fact is that when the Finance Minister replied yesterday to the discussion on the Supplementary Demands, I suggested that there should be a serious compensation package. But he only referred to the existing national disaster funds that are administered by your Ministry. Now you know, Sir, that that is not adequate. The entire Prime Minister's Relief Fund is only Rs. 153 crore whereas for this crisis alone, we have got, from the Kerala Government, a request for Rs. 7,348 crore and from the Tamil Nadu Government, I believe the request is for about Rs. 9,000 crore. Frankly, it needs, if necessary, a separate appropriation to deal with this calamity. Let me stress that it is not just compensating the families of those who have lost their lives or those who have been injured. There, you can give Rs. 25 lakh as the Kerala Government is giving or Rs. Five lakh to the injured and you can add some money to rebuild houses. But this is not enough. We need some structural steps to be taken so that the money that we are asking for from the Central Government can be used constructively.

My colleague has mentioned about *Pulimuttu*, sea walls that break the force of the water. That is one thing certainly on which resources have not adequately been devoted. I can assure you about this because I go up and down my coastal areas. We do not have enough of these and, in fact, whatever building occurred, it occurred many years ago and there have not been resources available. I would go beyond that. I would say that your team should go at the earliest and look not only at immediate needs prompted by the disaster, but also at medium term and long term needs. Amongst the medium term needs, I would stress very much the necessary infrastructure that I have just mentioned. But equally in the longer term needs, I would like to request that this is the time when we have to think in a visionary way. Can we live in a society in which the children of fishermen are condemned to only being fishermen? Can we not give them serious vocational training and skill development so that many of them can move away from this profession? I would say that both agriculture and fishing are now in a position where more people are trying to live from these professions than the professions are able to sustain. This is a very serious challenge facing our country. If we

approach it with vision, we have to say that we do not need so many people on the farms, we do not need so many people out at sea. There is so much desperation. As an MP, I have had cases of the boats of the fishermen from my constituency being arrested in Diego Garcia by the British. They have gone that far because they cannot get adequate fish in the waters closer to India. We have over-fished these waters. So, the livelihood issue is serious and, I believe that we should take the opportunity of this disaster to approach the matter with vision and conviction and come up with a solution that will give us a long term solution to the problems of the entire fishing community.

I do want to add one final word of appreciation. I do realise that when we, in Parliament, seem to be critical, it is because the criticisms are coming to us that we are also, perhaps, coming across as ungrateful. I want to place on record our gratitude to all the men and women of the Coast Guard and the Navy. I have spoken to some of them and they have done as much as they could, I am sure, and with the best heart. I do not want anyone to think that we are ungrateful or that the fishing community is ungrateful. So, I appreciate, as I said earlier, the responsiveness of the Central Government.

I spoke to Nirmala ji on 30th and by 4th of December, she was there personally. The Prime Minister had been there a couple of days ago. This is good and we appreciate the fact that the Central Government is giving importance to this issue. We will not say the importance it deserves because for us there it deserves even more and more urgent importance but there is some importance. I will be very grateful, if, in addition to the gratitude, the long-term outcomes reflect your commitment to resolving this. Thank you, Mr. Chairman, Sir.

MOHAMMED FAIZAL (LAKSHADWEEP): Sir, thank you very much for allowing me to participate in this discussion on Ockhi cyclone affected areas under Rule 193.

On 29th, we got the information that there is a huge cyclonic effect going to happen. On the same day, I think, in the evening, I spoke to the hon. Home Minister Shri Rajnath Singh *ji* over phone. He was very well available on phone and we spoke to each other. I updated him about the situation. Immediately, he said: “The Home Ministry is there with you for all support.” On the very next day, on 30th, under the Chairmanship of our Administrator Farooq Khan, we had a meeting with top officers. We passed the information to all the Islands, the sub-Divisional offices, took precautionary measures as the cyclone was likely to hit Lakshadweep, especially, Minicoy and Kalpeni Island, etc. With these precautionary measures, thanks to God, no causality happened in Lakshadweep. On the 30th night, around 2.30 a.m., it started hitting Kalpeni and Minicoy Islands very badly. To my knowledge, after 1968, we had a big hit of cyclone in Kalpeni, after that this is the most dangerous one that Lakshadweep has ever witnessed. Since the precautionary measures were very good, we had closed schools by declaring holidays. All the schools were opened as rehabilitation centres. People who had taken shelter at sea shores, we rescued and rehabilitated them in schools. I would like to extend my thanks to the people of Lakshadweep who have cooperated with the Lakshadweep Administration very well. Normally, what happens is that people never leave their houses to come to rehabilitate areas. Therefore, once again, I would like to extend my thanks to the people of Lakshadweep for their cooperation. On the very next day, the 30th night, at around 2.30 a.m., this cyclone had hit these two islands very badly. I was not able to communicate back to those islands because the communication measures were damaged. There was no electricity. There was no source of communication available. So, I personally took this matter again to the Home Minister saying: “Sir, this is the issue and we are not in a position to contact the people over there, especially, the people of these two Islands.” By God’s grace, around 10 o’clock, I

got connected with the people. Then I got the visuals of these Islands. You cannot imagine the force of water flushing inside the Islands. It has crossed half of the Island too. It has damaged all the compound walls. Nearly, one lakh coconut trees were uprooted.

When you speak about the fishermen and their fishing boats, in Minicoy Island, I personally walked into all the houses of the affected areas. In Minicoy Island, where nearly 15 fishing boats are there, which are most sophisticated and which cost nearly Rs. 30 lakh to Rs. 40 lakh per boat, by seeing with their naked eyes, they could not do anything. That was supposed to be the safest area, lagoon area, I would say, even in that area, they were not in a position to save their boats. When I stepped into their houses, they asked me: एमपी साहब अब हम क्या करेंगे? हमारी सोर्स ऑफ इनकम यही था। हमने पिछले साल लोन लेकर इस बोट को खरीदा था और यही हमारी आमदनी का सोर्स है। अब हम क्या करेंगे, हमारी फिशिंग बोट खराब हो गयी है। मिनीकॉय और कल्पेनी द्वीप में तीन करोड़ रुपये का नुकसान फिशिंग बोट का हुआ है।

When we talk about coconut trees in Minicoy, one lakh coconut trees have been uprooted there. Rest of the coconut trees standing now seem to be non-fertile. It is because, the wind which was blowing to Minicoy Island was blowing at the speed of nearly 135 kilometres per hour. You can imagine, wind blowing at the speed of 135 kilometres per hour for eight hours continuously and going like a round. The fertility of coconut trees are damaged. Now, entirely, the Minicoy Island is not in a position to get coconut. Now we have to transport it from other islands to Minicoy Island. That itself is a very huge damage.

Thirdly, in Minicoy, several houses partially got damaged. All roofed houses have been taken away by wind. Wind has taken away all the roofs of houses. Falling of coconut trees on houses has completely damaged them. The amount of damage to these two Islands has contributed nearly to Rs. 150 to Rs. 300 crore. When we took a meeting of Parliamentary Standing Committee on MHA yesterday, Lakshadweep Administration is yet to give the correct quantum of assessment of loss happened so far. The Lakshadweep Administration falls

under the direct control of the Home Ministry. So, I would request the Home Minister to take initiation to get the assessment as quickly as possible and also the compensation thereof. As was said earlier, the fishermen who had their fishing boats there, their livelihood has stopped now. The solace which the Government is envisaging to give, that should be given in a very fast mode and it should not be delayed.

I have to put some suggestions for the future aspect of Lakshadweep. As you know, Lakshadweep is surrounded by seawater. There is no shelter for anything. There is no protection wall as of now constructed. A total of 26 islands are there out of which 10 are inhabited. The 10 inhabited islands would constitute nearly 100 kilometres area. We have requested even the Prime Minister also. When he visited Lakshadweep, he had a serious view on these Islands. He had a discussion with the elected representatives also. In that also, I have requested the hon. Prime Minister – I am requesting the Home Minister also – to have a retention wall, a protection wall around the islands so that they can be protected against the force of water to a certain extent. At the same time, we need shelter in all the islands. Whenever such huge cyclonic effect is happening in the islands, we need to have a shelter, a breakwater type of a thing so that our boats, motor sailing vessels can be sheltered inside the island very safely.

I would like to mention one more thing. In the capital island, Kavaratti Island, on the 30th night, a motor sailing vessel which we call dhow, which carried around 150 metric tonnes, which is an active transport for the livelihood of people from Mangalore and Calicut to Island, this dhow was there in the eastern side of Kavaratti Island. Before the cyclone hitting Kavaratti Island, it was very well available in Kavaratti. But we could not do anything. Even the presence of Coast Guard and Navy was there in the Island but they could not do anything to save this vessel. For the whole day, the vessel was in the mid sea. Finally, by God's grace, there was a ship of Lakshadweep Administration, in outer named MV Kodithala. They went and rescued the persons from the boat. They had to abandon the ship. So, taking all these aspects into consideration, I would urge upon the Home

Ministry to release the solace, the help as quickly as possible so that especially the fishermen who have lost their boats, who have lost their source of income, could get relief. Please look into that matter and release the grant as quickly as possible.

Thank you very much, Sir.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका) : सभापति महोदय, यदि आपका आदेश होगा तो मैम्बर्स बोलेंगे नहीं तो नहीं बोलेंगे। हमारी पार्टी को भी पांच से सात मिनट का समय मिलना चाहिए।

महोदय, सदन में एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। देश में जो प्राकृतिक आपदा (नेचुरल कैलामिटी) आई, उस पर सदन में चर्चा हो रही है। पूरे दक्षिण भारत में खासकर केरल और तमिलनाडु में इसके कारण परेशानी पैदा हुई है, उस पर होने वाली चर्चा में मैं हिस्सा ले रहा हूँ। प्रकृति ने देश को बहुत कुछ दिया है, जहां प्रकृति ने हमें हंसने का मौका दिया है, वहीं कभी-कभी हमारी खुशियां छीनकर हमारी आंखों में आंसू लाने का काम किया है। अभी जो तमिलनाडु और केरल के इलाकों में देखने का मौका मिला, जो आदरणीय श्री शशि थरूर जी का क्षेत्र है, सम्पत जी का क्षेत्र है और हमारे भाई, जो लक्षद्वीप से आते हैं, उनका क्षेत्र है। हम सभी इस दुख की घड़ी में उन इलाकों के अपने भाइयों के साथ हैं। मुझे लक्षद्वीप जाने का मौका मिला था, वह बहुत अच्छी जगह है।

मैं सबसे पहले मांग करूंगा कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। यहां माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। यहां जान-माल का भारी नुकसान हुआ है और लोगों को बहुत परेशानी हुई है। इसलिए यहां के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाई जाए तथा लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। उस इलाके में 125 वर्षों के बाद यह सबसे दुखद घटना घटी है। यहां के अनेकों लोग लापता हैं। मैं समझता हूँ कि यहां संचार की व्यवस्था होनी चाहिए तथा पहले से चेतावनी देने और लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, बेहतर नावों की व्यवस्था होनी चाहिए तथा यहां जो मौसम का मिजाज अचानक बदलता है, उसकी पूर्व सूचना इलाके में मिलनी चाहिए। इसके अलावा समूचे देश में चाहे वह आसाम हो, बिहार हो, बंगाल हो या उत्तराखंड का इलाका हो, ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं तथा दक्षिण भारत में भी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। इसके लिए चाक-चौबंद इंतजाम होना चाहिए। अभी मैंने केरल और तमिलनाडु की दुखद घटना की चर्चा की। हम लोग भी बिहार के उस इलाके से आते हैं, जो हमारा बांका संसदीय क्षेत्र है। यह गंगा नदी के पाट के इलाके में बसा हुआ हमारा क्षेत्र है। जो हमारे सुलतानगंज, भागलपुर, कहलगांव, पीरपेंती, मुंगेर, बरियारपुर तथा झरुआ-बहियार के इलाके हैं, उन इलाकों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तथा जान-माल की हानि होती है। हम यहां नमामि गंगे की बात करते हैं, गंगा की सफाई की बात करते हैं, लेकिन जब यहां गंगा में बाढ़ आती है तो लोगों की कई परेशानियां बढ़ जाती हैं, यहां लोगों की सुरक्षा नहीं हो पाती है। चाहे कोसी, घाघरा, गंडक या गंगा नदी हो, इनसे यहां बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि होती है। फसल तथा फलदार वृक्षों की बरबादी होती है। इस सारी तबाही और बरबादी से सारे इलाके परेशान हो जाते हैं। हमारा क्षेत्र सुलतान गंज का इलाका, श्रीरामपुर का इलाका तथा अकबरनगर के अलावा और भी कई इलाके हैं, जो इसकी चपेट में आते हैं।

मेरी मांग है कि वहां दवाइयों की व्यवस्था होनी चाहिए, नावों की व्यवस्था होनी चाहिए, गोताखोरों की व्यवस्था होनी चाहिए तथा समूचा सूचना तंत्र मजबूत होना चाहिए। अभी यहां लक्षद्वीप आदि इलाकों की चर्चा की गई। वहां रहने वाले लोगों को बहुत तरह की परेशानियां हुई हैं।

सभापति महोदय, अंत में मैं यहीं कहना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनसे देश के कई कोनों में बड़ी आपदाएं आती हैं, जान-माल की हानि होती है। जैसे अभी दक्षिण भारत, केरल और तमिलनाडु में हुई। हम लोग उनकी तकलीफ में उनके साथ हैं। मेरा निवेदन है कि वहां सरकार द्वारा अधिक से अधिक धनराशि मुहैया कराई जाए जाए, लोगों की सुरक्षा की जाए तथा बिहार में गंगा नदी और हमारा क्षेत्र जो सुलतानगंज का इलाका है, उन इलाकों को भी सुविधा देने की व्यवस्था की जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you Sir for giving me this opportunity to intervene in this debate.

First of all, I would like to pay my tributes to the persons of poor fishermen who lost their lives and also pay my condolences to the family members of the bereaved families.

Sir, as rightly, just now, Mr. Shashi Tharoor, has narrated the incident in a well structured way, I would also like to submit before you the second worst affected district in the State of Kerala which is my constituency, the Kollam constituency. Kindly permit me some time so that I can substantiate my points just before the hon. Minister.

Sir, this is the second tragedy which my Constituency had to face. In 2016, there was a Puttingal Temple tragedy. In that, 108 precious lives were lost. And, this is the second tragedy which we are facing. So, the first submission which I would like to make is, this has to be considered as a national calamity. I know the hon. Minister may also reply that according to the National Disaster Management Act there is no provision for declaring it as a national calamity. Since 2000, the Act has come into force and there is no such provision. Even then, it is our humble request beyond all the political barriers that we, the people from Kerala as well as Tamil Nadu, Lakshadweep and all the States, are demanding unanimously that this should be considered as a national calamity and such a significance and importance should be given in giving the rehabilitation package and doing the relief measures. That is the first submission which I would like to make.

Regarding the condition of the fishermen in the coastal area, rightly Shri Venugopal has said that we are giving so many amenities, facilities, rights and privileges to the Adivasi and the Tribal people who are living in the forests and we have enacted a law also, that is, the Right to Forest Act. But if you see the living conditions of the poor fishermen in the coastal area, it is also in a very bitter shape. So, these fishermen in the coastal area should be compared and they should be considered as equal to that of the Adivasi people in the forest areas. If the Tribal people or the Adivasi people are having the right to forests, similarly the

fisherman is having the right to sea or right to enjoy the sea. Such a privilege and right should be given to the fishermen. That is the second submission which I would like to make.

Regarding the other pathetic situation, I am not going to narrate it. I was there on 30th and on 1st and for the five days, I was in the coastal area, involved in the relief and rescue operations and visited so many houses and all that. We were all fully actively involved in this. Sir, regarding the disaster management, according to me, on perusal, there are mainly three stages. The first stage is to mitigate and minimise the impact of disaster by giving warning or by giving alert warning. The second stage is the relief and rescue operations, and the third stage is the rehabilitation. These are the precautionary and preventive measures which have to be taken at the first stage, that is, what is called the 'alert warning'.

Sir, what is happening in this House and outside the House also is that a big political blame-game is going on. The Government of India is saying that sufficient warning has already been given to the State Governments but the State Governments have not acted upon the warnings given by the Indian Meteorological Department of the Central Government. That controversy is still there. When I hear my learned friend, Faizal, he is saying that in Lakshadweep they have taken all precautionary measures so as to prevent or mitigate the calamities or the casualties. So, as rightly Dr. Shashi Tharoor has pointed out, in order to clear the cloud of suspicion, an inquiry is highly essential and the responsibility has to be fixed. Who is responsible for this? The Government of India is saying that they have given intimation on 28th, 29th and 30th but the State Government is saying and even the Chief Minister has specifically and categorically stated in the Press Conference that the State Government of Kerala has received the cyclone message only by the noon of 30th of November. Which is the truth? The country wants to know at whose fault it has happened.

Suppose on 29th sufficient warning is given to the fishermen or on 30th sufficient warning is given to the fishermen, so many lives of poor fishermen could have been saved. So many lives of the poor fishermen could have been

saved if sufficient warning has been given in the proper time. Unfortunately, that has not been done. So, my third point which I would like to make is that some responsibility has to be fixed so that it shall not happen in the future. So, those precautionary and preventive measures have to be taken.

Coming to the fourth point, that is, regarding the rescue and relief operations, the effort of the Government of India is clumsy. I was witnessing these operations in all these places. I also tried to contact the hon. Minister's office. I could get his Private Secretary and I had detailed all these issues also. I would say that for the first three days, the rescue operations were in a very bad shape. I can very well say and I could very well witness it. Even the Navy, the Coastguard, the Marine Enforcement—all these forces were not active for the first 2-3 days

15.00 hrs

After three days, we do admit that they did a wonderful service. We are not disputing that. But on the first three days of the calamity when the people were facing a lot of problems, these services were in a very bad shape and there was no coordination.

Sir, when the cyclone hit heavily, there was no warlike mobilization and action. That is the hallmark of disaster management! When a calamity takes place, an immediate warlike mobilization and action is required. Unfortunately, in the Ockhi cyclone, such an action was not seen. No coordination was there. As a result of this, many precious lives were lost.

Sir, we are having the Disaster Management Act, 2005. The National Policy on Disaster Management, 2009 is there. There is also a Disaster Management Plan of 2016. Then, a National Response Force is also created by the Government of India. But, unfortunately, the services of these Forces were not satisfactory and upto the mark.

My next point is about rehabilitation.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I will conclude in just two minutes. We will finish it before 3.30 pm before the Private Members' Business....
(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, you please conclude it. Hon. Minister is here to reply on it.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Do you not want the reply of the hon. Minister?.... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, we want the reply.

SHRI ANANTHKUMAR: Shall I tell you one thing! You know the limitation. At 3.30 we have to start the Private Members' Business. I request you to be brief, please.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I thank the hon. Chair and the hon. Minister.

Regarding rehabilitation package, yesterday we intervened and said that disaster management and relief package is not sufficient. A separate relief package is required just like the Tsunami Rehabilitation Package. The Tsunami Rehabilitation Package is not according to the provisions of the Disaster Management Act. It is entirely different. So, in this case also, a separate package is required.

My last point is about certain suggestions. They are very important suggestions. ... (*Interruptions*) The coastal States should be empowered with sea disaster management systems. A Coastal Rescue Force has to be constituted.... (*Interruptions*) Warning systems should be revamped. Coastal protection should be given prime importance by constructing sea walls... (*Interruptions*) A separate Fishery Ministry is highly essential. With these words, I conclude my speech.

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): Thank you, Sir, for allowing me to participate in this discussion. On November 29th and 30th the country saw and especially most of the South Indian States saw the most devastating cyclone in South India, mainly in the State of Kerala. It has taken the life of almost more than 75 people and more than 300 fishermen are still found missing. After Tsunami, perhaps, this cyclone has been the most devastating one during the last two decades.

Here, I just want to be precise and make a point for submission and as the hon. Member, Shri Premachandran said, since it hit many people in most of the States, the Centre should declare it as a national calamity and there should be a comprehensive package for the fishermen.

Then, regarding lapse, I do not want to blame the Central Government or the State Governments, but definitely there has been a lapse with regard to the disaster management system; there has also been a lapse on the part of the Meteorological Department. If you take, for example, the case of advanced countries like America and Europe, whenever such a calamity takes place, a warning or an alert is given to the cyclone prone areas many days or sometimes weeks before. But here, what we find is that, the related warning is given just one or two days before its occurrence. It takes two to three days for fishermen to go for a catch into the deep sea and there is no way to communicate with them in such a short time when the calamity takes place.

Sir, as you know, with regard to information and technology, India is far ahead than any other country in the world. But still we do not have a system to warn and issue alert about such calamities well in advance.

Sir, another major point which I would like to mention is that the Fisheries Department nation-wide has given about Rs. 35,000 to the nation as revenue. There is a high demand that the Fisheries Department should be converted into a separate Ministry, the Fisheries Ministry. As one of my colleagues mentioned, before the election, the BJP manifesto had mentioned that when they come to

power, the Fisheries Ministry will be formed, but it has not been formed till date. My submission would be to form a separate Fisheries Ministry.

My last submission is that whenever such incidents take place, a team from the Centre visits the area which is affected. Generally, it takes months together or maybe years. But what we need is that immediate attention should be paid to it and immediately a team should visit the affected area, and assistance should be given as early as possible.

Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, as there is no member from the Panel of Chairmen available at the moment and I have to go for some urgent work, I request the senior Member Prof. Saugata Roy to preside over.

1517 hrs (Prof. Saugata Roy *in the Chair*)

HON. CHAIRPERSON : Now, there will be reply by the hon. Home Minister, Shri Rajnath Singh.

... (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Sir, I was also supposed to speak. ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति: टाइम नहीं है। We have to take up Private Members' Business at 3.30 p.m. If the Minister cannot speak now, no reply will be given.

I know that you have many important points to raise.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let the Home Minister speak. Let him finish by 3.25 p.m. If you have any questions, you can ask them.

I will allow one question per Member.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You can ask clarificatory questions. Yesterday, you asked questions to the Finance Minister.

The Home Minister is on his legs. So, it does not look nice.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJNATH SINGH): Salimji, I will mention the name of West Bengal in my reply.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: It is true, but Parliament is bound by rules. At 3.30 p.m., we have to take up the Private Members' Business. What can we do? The Home Minister has to reply also.

Hon. Home Minister.

श्री राजनाथ सिंह: सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसी बड़ी ट्रेजडी के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस ट्रेजडी के बारे में बहुत डिटेल में बताने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमारे एक सम्माननीय सदस्य श्री प्रेमचन्द्रन ने कहा कि इसे एक 'नेशनल कैलेमिटी' डिक्लेयर किया जाना चाहिए, तो मैं प्रेमचन्द्रन जी से बहुत ही विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि हमारी कुछ कम्प्लेक्स हैं, हमारी गवर्नमेंट की भी कम्प्लेक्स हैं और किसी भी गवर्नमेंट की कम्प्लेक्स हो सकती हैं। जो भी इस समय रूल्स, रेगुलेशंस अथवा प्रोवीजंस हैं, उनके तहत हम इसे 'नेशनल कैलेमिटी' डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि the scheme of SDRF and NDRF does not contemplate declaration of any natural disaster as a natural disaster or calamity, but I would like to say that the disaster has already been considered by our Government as a disaster of severe nature for all practical purposes. The Central Government stands shoulder to shoulder with the State Government for managing this disaster of Ockhi.

सभापति महोदय, मैं इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में देश के कई भागों में, चाहे वह फ्लड हो, चाहे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हों, जैसे बहुत सारे नैचुरल डिजास्टर्स से कई क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग दो हजार से अधिक लोगों की जानें गई हैं। इससे इम्पूबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का भी बड़ा लॉस हुआ है।

देश के सदरन स्टेट्स में हाल में ही साइक्लोनिक स्टॉर्म आया, जिसे हम 'ओखी' कह कर पुकारते हैं, उसने भी बहुत बड़ी तबाही मचाई है। इस 'ओखी' साइक्लोनिक स्टॉर्म ने तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के कई भागों में नुकसान पहुँचाया है। सबसे पहले इस स्टॉर्म में साउथ तमिलनाडु और साउथ केरल के कोस्टल एरिया को 13 नवंबर को दोपहर बाद ही प्रभावित किया था। लक्षद्वीप में यह तूफान लगभग एक दिसम्बर को पहुँच पाया था। इसके बाद, यह नॉदर्न कोस्टल महाराष्ट्र और सदरन कोस्टल गुजरात से लगते हुए इलाके में पहुँचा; लेकिन जब तक यह महाराष्ट्र और गुजरात के इन क्षेत्रों में पहुँचता, यह तूफान बहुत ही वीक हो चुका था और अब इसका कोई साइक्लोनिक इफेक्ट नहीं रह गया था।

हमारे बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने यह पूछा कि समय से इसकी सूचना नहीं दी गई। इसके संबंध में, मैं कहना चाहूंगा कि मिट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 29 नवंबर को पूर्वाह्न 11:50 मिनट पर एक वार्निंग जारी की और हर तीन घंटे के बाद बुलेटिन जारी किया, जिसमें स्टॉर्म की विभिन्न स्थितियाँ, जो डीप-सी में साइक्लोनिक स्टॉर्म से और अधिक हाई इंटेन्सिटी वाले साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दिल होने के बारे में बराबर जानकारियाँ दी जा रही थी।

वास्तव में, पहली सूचना इस डिप्रेशन के बनने के बारे में थी, जो कि अगले 48 टू 72 ऑवर्स के दौरान होने वाला था। यह सूचना ट्रॉपिकल वेदर 'आउटलूट' में बारह बजे 28 नवंबर को ही जारी की गई। मिट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि इस ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो इक्वेटर के निकट डेवलप हुआ था, अपने आप में एक रेअर इवेंट था और यह स्टॉर्म वास्तव में रेअर था; क्योंकि यह डिप्रेशन से डेवलप हुआ और 24 घंटे के भीतर लेथल साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गया। इसने बे ऑफ बंगाल के साउथ वेस्ट में डेवलप होकर एक एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी रास्ता अपना लिया और यह गुजरात के निकट वेस्टर्न कोस्ट पर जाकर समाप्त हो गया।

इस समुद्री तूफान के वर्ष 1891 से वर्ष 2016 तक के ऐतिहासिक आँकड़ों की तुलना करने पर पता चलता है कि यह एक ऐसा केवल चौथा साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो 125 इयर्स में केरल के कोस्ट एवं लक्षद्वीप तक पहुँचा। इसके पहले, वर्ष 1912 में दो तथा वर्ष 2025 में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म कॉमरीन-सी में उत्पन्न हुआ था, मगर साइक्लोनिक स्टॉर्म 'ओखी' ऐसा पहला तूफान है, जिसकी रैपिड इंटेन्सिफिकेशन मात्र छह घंटे में डीप डिप्रेशन से साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गई।

इसकी एक अन्य स्थिति यह है कि बे ऑफ बंगाल में इक्वेटर के निकट से शुरू होकर, यह साइक्लोन स्टॉर्म वेस्टर्न कोस्ट में गुजरात तक बढ़ा। ऐसी भी कुछ रिपोर्ट है कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार सही समय पर चेतावनी जारी नहीं की गई।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार मिट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मौसम के खराब होने से 48 ऑवर्स पहले साइक्लोनिक स्टॉर्म का अलर्ट और 24 घंटे के पहले साइक्लोनिक स्टॉर्म की वार्निंग जारी करनी होती है। यह प्रोटोकॉल के अनुसार करना होता है, फिर भी इस मामले में बुरे मौसम की चेतावनी लगभग 24 घंटे पूर्व अर्थात् 29 नवंबर को पूर्वाह्न 11:50 पर जारी कर दी गई थी और फिशरमैन को भी अलर्ट कर दिया गया था। साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में अलर्ट 30 नवंबर को प्रातः 05:30 एएम और वार्निंग 30 नवंबर को 11:55 नून में दी जा चुकी थी।

साथ ही साथ, इंडियन मिट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बुलेटिन के आधार पर एनडीएमए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कंट्रोल रूम से भी रेगुलर्ली बुलेटिन जारी की गई। मिट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने स्पष्ट किया है कि यह कॉमरीन-सी में मात्र छह घंटे में एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी इंटेन्सिफिकेशन के कारण अलर्ट हो अथवा वार्निंग, 30 नवंबर के फोरनून से पहले जारी नहीं किया जा सका। यह ओपन सी में साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की इंटेन्सिटी से काफी अलग है, जो जनरली वे ऑफ बंगाल के सेंट्रल पार्ट और अरेबियन सी में होता है, जिसमें सामान्यतः एलर्ट अथवा वार्निंग जारी करने के लिए करीब 72 घंटे का समय उपलब्ध रहता है, क्योंकि डीप डिप्रेशन में साइक्लोन बनकर कोस्ट पहुंचने में कम से कम करीब 72

घंटे का समय लग जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं, मैं बहुत ही संक्षेप में यहां पर उनकी चर्चा करना चाहूंगा।

केन्द्र सरकार ने तत्काल समुद्र में जो भी ऐसे हमारे फिशरमेन पड़े हुए थे, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इंडियन एयरफोर्स, नेवी एवं कोस्ट गार्ड के एरोप्लेन्स, शिप्स और हेलीकॉप्टर्स जो भी उपलब्ध थे, वे तैनात कर दिए। एनडीआरएफ की सात टीमों को तमिलनाडु और केरल के साइकलोन अफेक्टेड एरियाज में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रेस्क्यू आपरेशन और मछुआरों की सर्च और उनका बचाव करने तथा सहायता देने के लिए तैनात कर दिया गया। राज्य सरकारों और साथ ही साथ यू.टीज. का जहां तक सवाल है, उसके साथ-साथ रक्षा मंत्रालय और केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ निकट और नियमित कोआर्डिनेशन बनाए रखा गया। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में भी पहली दिसंबर और चार दिसंबर को दो बार नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई। राज्यों के मुख्य सचिवों से भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस चर्चा में शामिल होने को कहा गया और वे शामिल हुए और उनकी आवश्यकताओं के बारे में यह पूछा भी गया। जो कुछ भी उन्होंने कहा, जितना सम्भव हो सकता था, सहायता भी उन्हें उपलब्ध कराई गई। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने फिशरमेन को चेतावनी और एडवाइजरी जारी की थी, यह स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरीज ने भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान बताया।

मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, वह यह है कि फिशरमेन जो बहुत दूर गहरे समुद्र में चले जाते हैं, वे 15 या इससे भी अधिक दिनों के लिए बाहर रहते हैं। वे 2 हजार नॉटिकल माइल्स तक अन्दर चले जाते हैं। डीप शी में जाने के लिए 10 दिन का समय लगता है और 10 दिन तक वे फिशिंग का काम करते हैं तथा वापस आने में भी उन्हें 10 दिन का समय लग जाता है। इसलिए यह जो अवधि होती है, वह लगभग एक माह की हो जाती है। इस तरह से उन फिशरमेन को इतनी दूर तक जाने से रोकने की चेतावनी देना सम्भव नहीं हो पाता है। दूसरी सबसे अच्छी स्थिति यह हो सकती है कि उन फिशरमेन की सर्च और उनका बचाव करने के लिए सभी सम्भव संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए। यह इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और वायु सेना की मदद से किया जा सकता है।

जहां तक उन सारी बोट्स को आइडेंटिफाई करने का सवाल है, एक स्टेप हम लोगों ने और उठाया है कि लो कॉस्ट ट्रांसपॉन्डर्स की व्यवस्था की जा रही है और उसका ट्रॉयल हो चुका है। मैं समझता हूं कि उसमें आवश्यकता इस बात की रहती है कि जो फिशरमेन हैं, उनके पास मोबाइल होने चाहिए, लेकिन अभी इसे डिप्लॉय नहीं किया गया है, अभी इसका केवल ट्रॉयल हुआ है। हम इसकी व्यवस्था आगे कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और जितनी स्टेट एजेंसीज हैं, लोकल फिशरमेन को उनकी बोट सहित अपने साथ ले गई हैं तथा उन्हें उन सम्भावित स्थानों के बारे में गाइड किया जा सकेगा, जहां वे आम तौर पर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं।

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनन्तपुरम) : चार-पांच दिन के बाद ले गए, पहले चार-पांच दिन ले जाने के लिए नहीं थे। ... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : मैं इसकी जानकारी कर लूंगा। अब तक कठिन समुद्री परिस्थितियों के बावजूद 845 फिशरमेन को केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में बचाने में हमारी इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और एन.डी.आर.एफ. कामयाब हुए हैं। जैसा शशि थरूर साहब ने कहा है, वे सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक बहुत ही रिमार्कबल यह काम किया है। सर्च और रेस्क्यू कार्य के लिए जहाज 700 नॉटिकल माइल्स तक चले गए यानी शिप्स 700 नॉटिकल माइल्स तक गए हैं। 21 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में 18 और केरल में 74 डेथ की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तमिलनाडु के 274 और केरल के 215 फिशरमैन अब भी लापता हैं, यह जानकारी प्राप्त हुई है। मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि तमिलनाडु ने गुमशुदा व्यक्तियों की संख्या पहले 433 रिपोर्ट की गई थी अब मछुआरों के वापस आने, बचाव और समुचित पहचान के बाद इनकी संख्या घटकर 275 रह गई है। अभी भी जो फिशरमैन लापता हैं, उनकी तलाश करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि शिप और एयरक्राफ्ट जिसने सर्च का काम किया है उन्होंने लगभग 14,20,383 स्क्वायर किलोमीटर तक फिशरमैन की सर्च करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। बोइंग एयरक्राफ्ट से सभी जगहों पर जाकर निगरानी की। जहां-जहां पर फिशरमैन दिखें, चाहे कोस्ट गार्ड की शिप हो अथवा इंडियन नेवी की हो, उनको डायरेक्ट किया ताकि मछुआरों को पिक-अप किया जा सके और उनकी जान को बचाया जा सके। अब भी नेवी और कोस्ट गार्ड की 18 शिप सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं जबकि आज 22वां दिन हो गया है। एयरक्राफ्ट ने 400 घंटे से भी ज्यादा देर तक उड़ान भरी है, नेवी और कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू और ऑपरेशन के लिए लगभग 759 घंटे की उड़ान की है। अगर दिनों के हिसाब से देखें तो कोस्ट गार्ड ने 190 दिन और नेवी ने 180 डेज तक इस काम को किया है, आपस में इनका कॉपरेशन बना हुआ है। जहां तक लक्षद्वीप का सवाल है, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के काफी बोट्स और शिप को सेव करने में कामयाबी मिली है। मैं मर्चेन्ट शिप के बारे में भी कहना चाहूंगा, इसमें मर्चेन्ट शिप को भी एक्टिव किया गया, मर्चेन्ट शिप को लगभग 29 लाइव्स को सेव करने में कामयाबी हासिल हुई। मछुआरों को ढूंढने के लिए चाहे इंडियन नेवी की शिप हो या दूसरी शिप्स हों, ये सारी लगी हुई हैं।

माननीय सभापति : गृह मंत्री जी, वेणुगोपाल जी आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहते हैं।

SHRI K.C. VENUGOPAL: Hon. Minister, we are raising a serious issue of early warning system. As you rightly pointed out, the Central Government agency has given three, four warnings to the Government of Kerala about deep depression. But as per your records, the message about cyclone was given only on 30th November at 12.30 p.m. Therefore, there is a need for an enquiry into that. Had the warning been given at an early date, things would have been different. But, both the Central Government and the State Government failed in this regard. It is not the fault of the fishermen. We could have saved the fishermen. This is a special case. It is a national calamity. Therefore, there is a need for a separate package for this purpose. There is also a need for an enquiry into this matter. I would like to know whether the Home Minister is going to reply on that.

श्री राजनाथ सिंह : मैंने पहले ही कहा कि यह साइक्लोन रेयर नेचर का था, जैसे सामान्य तौर पर स्टार्म आता है उस तरह का नहीं था, अपने आप कुछ विशेष प्रकार का था, इस कारण से इसकी सूचना नहीं आई थी। मैंने इसकी जानकारी पहले ही आपको दी थी।

सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जाकर केरल और लक्षद्वीप का दौरा किया, डिफेंस मिनिस्टर और लोकल मिनिस्टर पॉन राधाकृष्णन भी लगातार सात-आठ दिनों तक मौजूद रहे, जो तूफान से प्रभावित परिवार थे उनके साथ संबंध बनाए रखा है।

जहां तक असिस्टेंस प्रोवाइड करने का सवाल है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अंतर्गत सहायता के अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र 325 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता एसडीआरएफ की दूसरी इंस्टालमेंट के रूप में तमिलनाडु को दिए गए 280 करोड़ रुपए और केरल को दिए गए 76 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त है, उसमें शामिल नहीं है। यह भी घोषणा की गई है कि साइक्लोन ओखी से पूरी तरह नष्ट हो चुके 15,000 घरों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार सहायता प्रदान करेगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को नए घर के निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपए की सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनियों को भी कहा गया है कि प्रभावित व्यक्तियों को जल्दी से जल्दी इंश्योरेंस का जो भी एमाउंट है, भुगतान कर दिया जाए। मृतक के निकट संबंधी को दो लाख रुपए की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि की मंजूरी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंतर्गत दी गई है।

केरल से 20 दिसंबर और तमिलनाडु से 21 दिसंबर को जो मेमोरेंडम राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होना चाहिए था, वह मेमोरेंडम प्राप्त हो चुका है। भले ही आप यहां अधिक डिमांड कर रहे हों लेकिन केरल सरकार ने 442 करोड़ रुपए की डिमांड की है। तमिलनाडु ने 876 करोड़ रुपए की राहत राशि की डिमांड की है। इन दोनों राज्यों की सरकारों से मेमोरेंडम प्राप्त हो जाने के बाद सेंट्रल टीम तैयार है, सेंट्रल टीम 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक केरल जा रही है और उसके बाद तमिलनाडु में जो भी लॉसिस हुए हैं, उनको एसेस करने के लिए जा रही है।

‘ओखी’ के दौरान ज्यादातर मौतें समुद्र में खतरनाक साइक्लोन के कारण हुई हैं। मैं समझता हूं कि कोस्ट और लैंड पर कम्पेरिटिवली कम नुकसान हुआ है। बहुत से पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली के खंभों को बहुत क्षति हुई है। प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केरल राज्य को 76.5 करोड़ रुपए और तमिलनाडु को 280 करोड़ रुपए की एडवांस फंडिंग एसडीआरएफ की दूसरी इंस्टालमेंट केंद्र सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है। जैसा कि मैंने बताया है कि प्रभावित राज्यों में फॉर्मल मेमोरेंड प्राप्त हो चुका है और सेंट्रल टीम वहां जा रही है।

15.27 hrs

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

इस समय इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ में बहुत ही म्युचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मैं सदन को यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि इन सब में बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बना हुआ है।

A control and co-ordination centre has been already set up at the Joint Operation Centre of Navy at Kochi. This includes State Government representatives from Tamil Nadu and Kerala; the Lakshadweep Administrator is also in this Committee; the members from Tamil Nadu and Kerala Fisheries are also there. The coastal police and the State Disaster Management Authorities are also members of the Joint Operation Centre. All inputs of missing fishermen are collected by the State Governments. I would not go into much detail now.

I would now like to say something regarding the issues raised by Dr. Shashi Tharoor. Dr. Tharoor asked me regarding the protocol for search and rescue operations. An immediate response by the Navy and Coastguard was given. On 29th November, 2017, three of the ICG ships sailed in the night. On the 30th November, 2017, both Navy and ICG ships sailed out. Aircraft searches were launched. Search by aircraft depends on prevalent weather. Flight safety requires

aircraft to launch if weather conditions permit. However, as early as possible, aircraft were launched on 30th November, 2017 itself. Both Navy and Coastguard, on 30th November, 2017, rescued and assisted 136 fishermen at sea, of both Tamil Nadu and Kerala. 'Where to rescue-where to search' – Navy and Coast Guards searched....

माननीय सभापति : मंत्री जी, आप एक मिनट बैठ जाएं।

माननीय सदस्यगण, मंत्री जी के उत्तर के पश्चात् निजी संकल्प को लिया जाएगा।

श्री राजनाथ सिंह : मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करूंगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : सभापति जी, मेरा एक क्लैरीफिकेशन है। एनडीआरएफ की टीम केरल, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में भेजी गई। सबसे ज्यादा नुकसान केरल में हुआ और वहां आपने चार टीम भेजीं। तमिलनाडु में आपने तीन टीम भेजीं। गुजरात में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां आपने सात टीम भेजीं।... (व्यवधान) क्या यह आफिसर की गलती है या असेसमेंट ठीक नहीं था या वे साइक्लोन को ठीक से समझ नहीं पाए।... (व्यवधान) यह आपकी ही रिपोर्ट है। आपने गुजरात में सात टीम भेजीं, जहां किसी की जान नहीं गई और कोई नुकसान नहीं हुआ।... (व्यवधान) आपने गुजरात में ज्यादा टीम भेजीं, यह ठीक है, लेकिन केरल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा टीम केरल में भेजनी चाहिए थीं, उसके बाद तमिलनाडु में ज्यादा नुकसान हुआ, वहां भी आपको एनडीआरएफ की ज्यादा टीम भेजनी चाहिए थीं। शशि थरूर साहब ने बिना तथ्य देखे ही आपको सर्टीफिकेट दे दिया है। इस तरह से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आपातकाल सभी के लिए एक जैसा है। इस बात की इन्क्वायरी होनी चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : सभापति जी, मैं समझता हूँ कि किसी तरह की इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इतनी इनट्यूमन नहीं हो सकती है।... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL : This is as per your Report.... (*Interruptions*) As per your Report, seven teams were deployed in Gujarat.... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : हमारी सरकार बहुत सैंसटिव सरकार है। जहां तक एनडीआरएफ की टीमों को भेजने का सवाल है, पहले से ही दो टीम तमिलनाडु में थीं, ऐसे ही दो या तीन टीम पहले से ही केरल में थीं। बाद में केरल और तमिलनाडु में कुछ एडिशनल टीम आवश्यकता के अनुसार भेजी गई थीं, क्योंकि तमिलनाडु और केरल में हमारी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड इस काम को वहां आलरेडी कर रही थी।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए, उसके बाद प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Our fishermen are missing.... (*Interruptions*)

SHRI RAJNATH SINGH: This is wrong. These are false charges. (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : You only wish to protect Gujarat. We are also part of India.... (*Interruptions*)

श्री राजनाथ सिंह : शशि थरूर जी ने डोपलर वैदर रडार के बारे में जानकारी पूछी है। Doppler Weather Radars were operational at Thiruvananthapuram and Kochi during cyclone period and data from these two radars was utilized along with satellite ground-based observing system and the models for monitoring and forecasting. The Doppler Weather Radar, Thiruvananthapuram could detect the cyclone on 30th November, 2017 only.

अन्य राज्यों, चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, जहाँ फ्लड अथवा दूसरी प्रकार की केलेमिटी आयी थी, के संबंध में भी केन्द्र सरकार ने क्या किया है, इसके बारे में भी माननीय सदस्यों ने जानकारी चाही है। इसके बारे में, जानकारी काफी विस्तृत है। मैं 14 राज्यों के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकता हूँ। ये राज्य मिजोरम, मणिपुर, असम, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, केरल और तमिलनाडु हैं। यदि इन राज्यों के बारे में, मैं विस्तृत जानकारी दूँगा, तो बहुत समय लगेगा। लेकिन, यदि इजाज़त दें, तो मैं इसकी जानकारी दे सकता हूँ।

मैं पश्चिम बंगाल के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 15,924.7 करोड़ रुपये की डिमांड की गयी है। वहाँ पर 10 से 14 अक्टूबर के बीच सेन्ट्रल टीम विज़िट कर चुकी है और upon receipt of report from the Inter-Ministerial Committee, it will be processed for placing before the National Executive Committee and thereafter, this report will come before the High Level Committee. Then after that, we will take the decision as to what assistance we have to provide.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मंत्री जी, इसमें कितना समय लगेगा? ... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : इसका प्रोसेस थोड़ा लम्बा है। मैं समझता हूँ कि इस दिसम्बर तक या 15 जनवरी के पहले इस पर फाइनल डिस्सिज़न हो जाएगा।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाँ। मंत्री जी को जवाब पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : मंत्री जी की बात के अलावा अन्य किन्हीं की बात कार्यवाही में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह : एनडीआरएफ से संबंधित जवाब के अतिरिक्त आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ।

मैं श्री खड़गे जी को बताना चाहता हूँ कि एनडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट राज्य सरकार के रिक्विजिशन पर होता है या उसके कंसलटेशन से किया जाता है। उनकी आवश्यकता के अनुसार ही एनडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया। एनडीआरएफ का ऑपरेशन लैंड बेस्ड होने के कारण इसके उपयोग की आवश्यकता तमिलनाडु और केरल में बहुत ही कम थी। इस कारण से वहाँ पर कम एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय की गयी। तमिलनाडु एवं गुजरात में एनडीआरएफ की एक-एक बटालियन का मुख्यालय है। उनकी माँग पर एनडीआरएफ की तैनाती की गयी थी। यदि उनकी तरफ और रिक्विजिशन होती, तो और एनडीआरएफ टीम की तैनाती वहाँ पर की जाती।

श्री सलीम साहब, मैं पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि वहाँ की राज्य सरकार ने अपना मेमोरेंडम पुनः रिवाइज़ कर दिया है। हम लोग इसलिए डिजीजन नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ सरकार ने जो मेमोरेंडम पहले भेजा था, उसको फिर से रिवाइज़ करके भेजा गया, जिसके कारण विलम्ब हो रहा है, नहीं तो सहायता राशि मिल गयी होती।

श्री मोहम्मद सलीम: पश्चिम बंगाल सरकार ने मेमोरेंडम कब भेजा था और पुनः रिवाइज़्ड मेमोरेंडम कब भेजा?... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: हम उसके लिए भी जल्दी ही सेन्ट्रल टीम वहाँ भेजेंगे। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: पश्चिम बंगाल सरकार ने आपसे कितनी राशि की माँग की थी?... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी तक एसडीआरएफ में एनुअल सेन्ट्रल कंट्रीब्यूशन के रूप में वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्र सरकार ने केरल सरकार को 153 करोड़ रुपये और तमिलनाडु सरकार को 561 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। ... (व्यवधान) राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 'ओखी' साइक्लोन से प्रभावित लोगों को राहत सहायता देने के लिए केरल की एसडीआरएफ एकाउंट में 175 करोड़ रुपये की राशि और तमिलनाडु

* Not recorded

के एसडीआरएफ एकाउंट में 550 करोड़ रुपये की राशि इस समय उपलब्ध है।... (व्यवधान) जहाँ तक लक्षद्वीप का सवाल है, लक्षद्वीप प्रशासन के पास इस समय यू.टी. डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड के अधीन 10 करोड़ रुपये की राशि है।... (व्यवधान) मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इन सभी राज्यों से जो भी मेमोरेन्डम प्राप्त हुए हैं, हमने उनके आधार पर उन राज्यों के लिए सेंट्रल टीमस कॉन्स्टिट्यूट कर दी हैं।... (व्यवधान) सेंट्रल टीमस जल्द ही इन राज्यों में विज़िट करने वाली हैं।... (व्यवधान) जब ये टीमस वहाँ से विज़िट कर के लौटेंगी, तो उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट्स के आधार पर इन राज्यों को जो और अधिक असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है, वह हम करेंगे।... (व्यवधान) मैं सदन को इतना आश्वस्त करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब हम आइटम नंबर-29 लेते हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : इसमें फाइनेंशियल पैकेज नहीं है।... (व्यवधान) वहाँ हैलप करने में भी आपने डिस्क्रिमिनेशन किया। आपने एन.डी.आर.एफ. की टीमस में भी डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। वहाँ जो तत्काल रिलीफ भेजी जानी थी, वह भी आपने नहीं भेजी। मंत्री जी, आपका उत्तर समाधानकारक नहीं है। हम आपके उत्तर का प्रोटेस्ट करते हैं।

श्री अनन्तकुमार: सर, यहाँ जो हो रहा है, वह बहुत अनफॉर्च्युनेट है।... (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी के नेतागण ऐसी आपदा के विषय पर चर्चा के समय भी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा करना उन्हें शोभा नहीं देता है।

भारत सरकार ने माननीय राजनाथ सिंह जी की अगुवाई में इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए जितनी राहत देनी चाहिए थी, उतनी राहत देने का काम किया है।... (व्यवधान) हमने केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के त्रासदीग्रस्त लोगों और मछुआरों के पास राहत पहुँचाने का कार्य किया है।... (व्यवधान)

इस विषय में गलती यह हुई है कि केरल सरकार ने आपदा की पूर्व सूचना देने में देर की थी, जिस कारण वहाँ यह समस्या उत्पन्न हुई है।... (व्यवधान) यह बात केरल सरकार और वहाँ के प्रशासन को समझनी चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी जी इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों में होकर आए हैं।... (व्यवधान) उन्होंने उस क्षेत्र का पूरा निरीक्षण किया है और वहाँ जो मदद, सहारा और राहत देनी चाहिए थी, वह उन क्षेत्रों के लिए दी है और मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि हम आगे भी इस प्रकार वहाँ के लिए सहायता देंगे।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आइटम नंबर-29 लिया जाएगा, श्री थांगसो बाइटे।

15.42 hrs

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS
AND RESOLUTIONS
36th And 37th Reports

SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): I beg to move the following:

“That the House do agree with –

- (1) the Thirty-sixth Report of the committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on 10 August, 2017, subject to modification that para 5 and sub-para (ii) of para 6 containing recommendations relating to allocation of time to Resolutions and classification and allocation of time to Bill at Sl.No.2 by Dr. Satya Pal Singh, M.P. in Appendix – II be omitted; and
- (2) the Thirty-seventh report of the Committee presented to the House on 20.12.2017.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा-

- (एक) 10 अगस्त, 2017 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन से इस उपांतरण के अध्यक्षीन सहमत है कि पैरा 5 और पैरा 6 का उप-पैरा
- (2) जिसमें परिशिष्ट-दो में संकल्पों और वर्गीकरण से संबंधित समय का आवंटन और डॉ. सत्यपाल सिंह, संसद सदस्य द्वारा क्रम सं. 2 पर विधेयक के समय के आवंटन से संबंधित सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं, का लोप किया जाए; और

- (दो) समिति का 37वां प्रतिवेदन 20.12.2017 को सभा में प्रस्तुत किया गया।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15.49 hrs

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

(i) Renovation of buildings located in the vicinity of various defence Establishments...Contd.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति जी, एक बार फिर मुझे अपने मतदान क्षेत्र के नहीं, मुंबई के नहीं और महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोगों को हमारे देश के डिफेंस इस्टैब्लिशमेंट्स से जो परेशानियाँ होती हैं, उसके बारे में बोलने का मौका मिला है। आज लोग अपने मकाने और दुकानें रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के पास उनके बाप-दादा की जमीने हैं, वे उन जमीनों का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं।

सन् 2011 में जो सर्कुलर निकला था, उसे हमारी सरकार के आने के बाद मनोहर पर्रिकर जी ने बहुत प्रयासों के बाद सन् 2016 में विदग्ध किया था। लेकिन उसमें एक छोटा सा टेक्निकल एरर रह गया था। वह सर्कुलर सेना के तीनों अंगों के लिए निकला था लेकिन जो एनक्सर जोड़ा गया था, वह केवल नेवल स्टाफ की जगहों का उल्लेख होने की वजह से नेवल स्टाफ के लोगों ने अडंग्गा डालना प्रारम्भ किया। मैंने जैसा आपको बताया कि 28 जुलाई 2017 को प्राइवेट मेम्बर्स बिल के माध्यम से मैंने इस सभाग्रह में आवाज उठायी। इसको आज 6 महीने हो गए हैं। इन 6 महीनों में मुझे पूरे देश भर से परेशान लोगों की तरफ से कागज-पत्र प्राप्त हुए हैं। मैं इन 6 महीनों में हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष भामरे जी को मिला था। मेरी जानकारी के अनुसार हमारे नेवल स्टाफ के अधिकारियों के साथ उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं। मैं यह मानता था कि संसद का जो यह सत्र प्रारम्भ हुआ है, इससे पहले कोई अच्छा हल निकल जाएगा। काम करने की एक पद्धति होती है। पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में जो समय था, उसे भी गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि लोकशाही में हम लोगों का काम करने के लिए यहां आते हैं। यदि लोगों को हमारी वजह से एक दिन भी परेशानी होती है तो यह अच्छी बात नहीं है। यह जल्दी करना चाहिए था, लेकिन यह एक बड़ा विषय है और इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए हम समझते हैं कि डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के बारे में हमारे देश के लोगों में श्रद्धा है। लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं। मैं उन सारी बातों को ध्यान में रखकर रक्षा राज्य मंत्री इस समय सभा में मौजूद हैं और मैं चाहता हूँ कि वह इस बारे में कोई सकारात्मक बात सदन के सामने रखें। मेरे पास जो पेपर्स हैं, उनमें देश भर के लोगों की बात बहुत ही तीखे ढंग से रखने वाला हूँ। इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि मंत्री जी का इस बारे में क्या कहना है?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : महोदय, मैं शेट्टी साहब के रेजोल्यूशन का समर्थन करता हूँ। शेट्टी साहब ने जो कहा है, उसके साथ हमारी भी भावना जुड़ी हुई है। जिस सर्कुलर के बारे में उन्होंने यहां बात

रखी है, उसमें नेवल एरिया में इस पर गौर नहीं किया जाता है। लोगों को सही मायने में इन एरियाज़ में बहुत तकलीफ होती है। कोलकाता में भी ऐसे बहुत सारे डिफेंस एस्टिब्लिशमेंट हैं जहां इन सर्कुलर के कारण लोगों को तकलीफ होती है। ये सर्कुलर एक बात करता है तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री दूसरी बात करती है। हम चाहते हैं कि दोनों में कोऑर्डिनेशन हो। यह जो सर्कुलर जारी किया गया है, इसके मुताबिक आर्मी, एयर फोर्स और नेवल काम करे। आम लोगों को तकलीफ न हो और रियल एस्टेट में जो वृद्धि हो रही है, उसमें भी दिक्कत न हो। जितने डिफेंस के एरियाज़ हैं वहां ठीक से रखरखाव हो, यह मैं चाहता हूं। शेर्टी साहब के रेज़ोल्यूशन का मैं समर्थन करता हूं।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष रामराव भामरे) : महोदय, इस मामले को प्राइवेट मेम्बर्स बिल के तहत 20 जुलाई 2017 को उठाया गया था। माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी थी।

The Ministry of Defence, under the chairmanship of Brigadier Pokhriyal, appointed a Committee to examine the risk assessment of certain Army establishments and to determine the minimum safety distance. After a lot of deliberation, this Committee submitted its Report in respect of those Army establishments. The Ministry of Defence had issued different guidelines in 2011, in 2015 and the latest one was issued in 2016. The implementation issues were deliberated in the meeting. This has kept in mind the concerns expressed and the suggestions made by hon. MPs during the discussion on 28th July, 2017 on the Private Members' Resolution. During that meeting it was decided, in the presence of RM, that the three services, the Army, the Air Force the Navy and the Coast Guard shall carry out threat assessment of their installations and establishments and categorise them into high risk, medium risk and low risk. Depending upon the risk factor involved, they will work out the minimum safety distance for the imposition of restriction on the use and enjoyment of land, building, etc. While stipulating the minimum safety distance, all the services were given the instruction, that efforts should be made to ensure that they are not unduly restrictive and at the same time do not compromise the security of the defence establishments. ... (*Interruptions*)

I am coming to that. We have addressed all the concerns expressed by Members. I am coming to what you want to say. After this instruction, this Committee submitted the Report. The Army Headquarters has already submitted a list of more than 400 establishments along with risk categorization and corresponding restriction to be imposed on the construction and repair work in the vicinity of these establishments. All your concerns have been taken care of in that. Similarly, the Navy has also forwarded a list of more than 80 naval establishments, including those of Mumbai. This is regarding the amendment in the NoC guideline. The hon. Member is from Mumbai and he knows it. The Air

Force and the Coast Guard have carried out similar exercise in respect of their establishments. This list of installations received from the Army, the Air Force, the Navy and the Coast Guard along with their categorization and the restrictions recommended for imposition, both in terms of construction and repair of existing buildings as well as height restriction is presently being examined in the Ministry. The exercise requires due diligence so as to ensure that on the one hand the security of these establishments does not get jeopardized and on the other hand people are not inconvenienced in undertaking repairs, renovation of the existing buildings and new constructions. This is what I want to submit. So, positive things are happening. As I said, this exercise requires due diligence so as to ensure that the security of these establishments does not get jeopardised and at the same time to ensure that people are not inconvenienced. Thank you.

श्री गोपाल शेट्टी : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। उन्होंने सकारात्मकता तो बताई है, लेकिन आज मैं इसको अगर विद्वद्ध भी करता हूँ तो हमारी ब्यूरोक्रेसी के काम करने का जो सिस्टम है, उस कारण से इसमें बहुत देशी लगने की संभावना है। हम सभी भुक्तभोगी लोग हैं। हम जो यहां पर चुन कर आते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए आते हैं और सन् 2014 के चुनावों में तो लोगों ने बहुत ही आशा से पुरानी सरकार को बदल कर नई सरकार को लाने का काम किया है। इसलिए हमको सारी आशाओं पर खरा उतरना है। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि डिफेन्स इस्टैब्लिशमेंट का हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। डिफेन्स इस्टैब्लिशमेंट को जो भी आवश्यकता है, व सारी हम पूरा करेंगे। रिक्विज़िशन का कायदा है, एक्विज़िशन का कायदा है, उनको जितनी भी जमीनें चाहिए, उनकी इस्टैब्लिशमेंट के अगल-बगल में जितने भी जूने(पुराने) मकान हैं, जमीनें हैं, वे आपको सब लेना हो तो सब ले लो, लेकिन सहब, देश में एक कायदा बना हुआ है। जिनकी जमीनें हैं, उनको पैसे दे दो, उसके लिए भी एक नियम बना है, गाइडलाइन बनी है। साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों की भावना यहां पर व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके बच्चों की शादी नहीं होती है। माँ-बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते-लिखाते हैं, वे वैल टू डू हो जाते हैं, इंजिनियर हो जाते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं, आर्किटेक्ट हो जाते हैं, उसी जूने(पुराने) घर में पेट-काट कर इतने सारे प्रोसेस पूरे कर के ये सारी उपलब्धियाँ हासिल करते हैं, लेकिन जब उनकी शादी होती है, तो उनको शादी उसी घर के लैवल के साथ करनी पड़ती है। साहब, इसके बारे में कौन सोचेगा। माँ-बाप ने पूरा जीवन लगा दिया, सारा पैसा लगा दिया, बच्चों ने मेहनत कर ली, डिग्रियाँ हासिल कर लीं, लेकिन एक झोपड़ी में रहने वाला लड़का अगर एक अच्छी बिल्डिंग वाली लड़की को माँगता है तो उसका बाप कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, झोपड़े में रहते हो, किस काम की है ये डिग्री, किस काम का है कि माँ-बाप ने इतने पैसे खर्च कर दिए। यह सिर्फ हमारी नकारात्मक सोच के लिए है।

इसलिए मैं चाहूँगा कि कोई भी इफ एण्ड बट न रखते हुए, ब्रिटिशों के जमाने में, सन् 1903 का बना हुआ जो कायदा है, वह कायदा बहुत स्पष्ट है। ब्रिटिशों को आज भी किसी बात के लिए अगर लोग याद करते हैं, तो इन सारी बातों के लिए याद करते हैं। उनकी गलतियों को हमने सुधारा नहीं है, ये हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है। उसमें लिखा कि अगर आपको जमीन चाहिए तो आप एक्वायर कर लो, जितनी चाहिए, उतनी एक्वायर कर लो। देश के पास जितना पैसा है, उसके मुताबिक एक्वायर कर लो। देश में पैसा कम पड़ता है तो अपील कर दीजिए। हमारे संत मुरारी बापू जी ने सूत में सभा की और डिफेंस में जो शहीद हुए, उनके लिए लोगों से अपील की थी। आप सबको आश्चर्य होगा कि ढाई सौ करोड़ रुपये लोगों ने दिए। भारतीय संस्कृति का पालन करने वाला एक संत मुरारी बापू एक कथा कर के डिफेंस के लोगों के लिए मदद माँगते हैं हमारे सूत के और गुजरात के अन्य लोगों ने 250 करोड़ रुपये इनके वेलफेयर के लिए दिए। देश देगा, जितना पैसा लगेगा, उतना पैसा देंगे, हमारे देश में पैसे की कोई

कमी नहीं है। सरकार डैफिसिट में होगी, लेकिन लोगों के पास तो पैसे हैं और यह पैसा किस काम का अगर हमारे देश के काम नहीं आएगा। हमारी सुरक्षा के काम में नहीं आएगा तो यह पैसा किस काम का है। पैसे देंगे, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वह इस प्रकार से अगर लोगों को परेशान करेगी तो मुझे लगता है कि यह ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि कोई भी इफ एण्ड बट न रखते हुए, इस बात को निकालना चाहिए।

महोदय, मैं मुंबई शहर से आता हूँ, मैं एक बार फिर हमारी मुंबई महानगर पालिका के ...* का नाम यहां लेना चाहूँगा, वे अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं और अच्छे अफसर हैं, लेकिन अगर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो ऐसी अच्छाई की इस देश को क्या आवश्यकत है। यह अच्छाई तो सब लड़की लेते समय और देते समय और उसके बाद अगर हम डेलिवरी नहीं करेंगे तो वह अच्छाई किस काम की है। मुंबई महानगर पालिका एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनके लिए एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया हुआ है, कायदा बना कर दिया है, उस कायदे के मुताबिक उनको काम करना चाहिए, लेकिन कायदे में होते हुए भी हमारे डिफेंस इस्टैब्लिशमेंट के लोग अगर बिल्डिंग का प्लान पास नहीं करते हैं, किसी को रिपेयर करने की परमिशन नहीं देते हैं तो हमारे कमिश्नर भी बोलते हैं कि हम क्या करेंगे डिफेंस इस्टैब्लिशमेंट का है तो हम उनका सम्मान करेंगे न। मैं चाहता हूँ कि कोई डिफेंस अफसर आ कर कह दे कि गोपाल शेट्टी जी मुझे एम.पी. बना दो और आप यहाँ पर बंदूक पकड़ लो तो मैं आज अभा यहां पर रज़ामंदी दे देता हूँ और मैं बंदूक पकड़ लेता हूँ आप यहां आ कर यह काम करो, लेकिन जो काम आपको गया दिया है, वह आप कीजिए और हमें जो काम दिया गया है, वह हम करेंगे। यह ऐसे कैसे चलेगा। आप एक्ट के बाहर जा कर काम करते हो। हमारे अफसरों को भी आवश्यकता से ज्यादा सारा मिलता है, तो उनको क्या लेना-देना है कि किसी का घर बना या नहीं बना किसी को रिपेयर करने की परमिशन मिली, नहीं मिली।

16.00 hrs

अधीर रंजन जी, आप भाषण करने वाले हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ। गलतियाँ होती हैं, एक आदर्श का मामला हो गया, उस आदर्श के मामले के मुताबिक हमारे जूनियर रक्षा मंत्री ने एक सर्कुलर निकाल दिया। सर्कुलर निकालना चाहिए, कोई घटना होती है तो तुरन्त हमें उसके ऊपर एक्शन करना पड़ता है, लेकिन साहब तीन साल तक आपकी सरकार थी, आपने सर्कुलर को विदद्दा नहीं किया। मैं अच्छे की बात करता हूँ, एंटोनी साहब रक्षा मंत्री थे।... (व्यवधान)

* Not recorded

श्री अधीर रंजन चौधरी : अब तो वर्ष 2017 आ गया है, वर्ष 2014 से आप भी सरकार में हैं। आपकी जो दिक्कत है, वह आपके तीन साल में भी समाप्त नहीं हो सकी है। उस समय आप लोगों ने आदर्श घोटाले को लेकर इतना शोर-शराबा मचाया कि हम लोगों ने सोचा कि 1903 में, जिसकी आप बात कर रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री गोपाल शेट्टी : मैं वही बता रहा हूँ।... (व्यवधान)

महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : गोपाल शेट्टी जी, आप बोलिए।

श्री गोपाल शेट्टी: महोदय, मैं यही बता रहा था कि वर्ष 2011 का निकला हुआ सर्कुलर आपकी सरकार ने वर्ष 2014 तक बदली नहीं किया। लोगों ने सरकार बदल दी। हमारी नई सरकार वर्ष 2014 में आई और वर्ष 2015 में पहला सर्कुलर निकला।... (व्यवधान) वर्ष 2015 को एक सर्कुलर निकला, वह अधूरा था।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : गोपाल शेट्टी जी, आप बोलिए।

श्री गोपाल शेट्टी: महोदय, उनका माइक चालू है। उनका माइक चालू नहीं होना चाहिए।... (व्यवधान) इसी को एन्क्रोचमेंट कहते हैं। आपका आदेश हुए बिना उनका माइक चालू ही नहीं होना चाहिए। हमारे माइक आपरेटर्स को यह ध्यान रखना चाहिए। जब तक आप आदेश नहीं देते हैं, तब तक कोई भी खड़ा होकर बोले, उसका माइक चालू नहीं होना चाहिए।... (व्यवधान) मैं यह बता रहा था।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

माननीय शेट्टी जी के अलावा किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदय, अधीर साहब ने सुखना और आदर्श की बात कही। इस डिबेट में यदि मैं पार्टिसिपेट करता तो मैं उन बातों को रखता। यह स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। वह कहती है-

“The Committee disapprove the way the Ministry has tried to sidetrack one of their important recommendations for having an independent regulator for defence land. Even when various land scams such as, Sukna Land Scam and Adarsh Housing Scam are being reported, ये आपके समय में हुए, the Ministry consider the existing framework as adequate for management of defence land. The Committee strongly emphasize that reporting of such land scams affects the overall image of the armed forces.”

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आज ही मेल टूडे में एक बड़ी अच्छी न्यूज छपी है कि उस वक्त के जो तत्कालीन आर्मी चीफ थे और जो अभी प्रजेंट एनडीए सरकार में मंत्री

हैं, जनरल वी.के.सिंह साहब, उन्होंने एक आदमी को डिस्मिस किया था। कोर्ट ऑफ इंकवायरी हुई और कल उसका फैसला आया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अधीर रंजन चौधरी साहब को कहना चाहता हूँ, उसने यह कहा कि सुखना में स्कैम हुआ था और जनरल वी.के.सिंह ने जो बातें कहीं, वही बातें प्रूव हुईं। उसके बारे में आपका क्या कहना है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जो शेट्टी साहब कह रहे हैं।

माननीय सभापति : अब हो गया, संक्षिप्त में कहिए, क्योंकि अब किसी प्रश्न का उत्तर मंत्री जी नहीं देंगे, क्योंकि उनका उत्तर हो चुका है।

श्री निशिकान्त दुबे : महोदय, इसके बाद इसका जवाब तो देंगे।

माननीय सभापति : नहीं-नहीं, कोई भी पूछ लीजिए, वे अब किसी का जवाब नहीं देंगे।

श्री निशिकान्त दुबे : मैं यह कह रहा हूँ कि इर्रेग्युलेटरी जो मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड ग्रांट्स है, इसके बारे में मंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि वह तो रिपेयर होना है, वह सिविलियन का होना है। कई एक जगह ओल्ड ग्रांट्स दिये हुए हैं और उन बंगलों की स्थिति बहुत ही बुरी है। उसके बारे में मंत्री जी का क्या कहना है। धन्यवाद।

माननीय सभापति: आप बैठ जाइए। शेट्टी जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। मंत्री जी का जवाब हो गया है। अब आपको दो-चार बात कहकर इसको समाप्त करना है। आपको अब लम्बा भाषण नहीं करना है।

श्री गोपाल शेट्टी: महोदय, मैं बिल्कुल भाषण नहीं करता हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब लोकशाही में लोग सरकार बदलते हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: अधीर जी, बैठिए। मंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं होगा। अब कोई मौका नहीं मिलेगा।...(व्यवधान)

श्री गोपाल शेट्टी: जब नयी सरकार आती है, तो नयी सरकार की सोच के हिसाब से अधिकारियों को काम करने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ।

माननीय सभापति : शेट्टी जी, आप पूरा मत कीजिए। आप केवल इतना बताइए कि आपके सामने यह प्रस्ताव है, आप इस प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आप केवल इतनी सी बात कहकर समाप्त कीजिए।

श्री गोपाल शेट्टी : महोदय, मैं अपनी बात पूरी करके प्रस्ताव वापस ले रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूँ कि जब देश के प्रधान मंत्री बोल रहे हैं कि वर्ष 2022 तक देश के सभी नागरिकों का घर पक्का होना चाहिए, उनका खुद का घर होना चाहिए तो सभी डिपार्टमेंट के लोगों को देश के प्रधान मंत्री जी की सोच के

मुताबिक काम करना चाहिए। इसलिए जो छह साल तक अपने घर की रिपेयर करने से, जिनके पास जमीन है, वे नया घर बनाने से जो वंचित रहे, अधीर रंजन जी, सरकार किसकी भी हो, हम जनप्रतिनिधि हैं।

देश के लोगों को जो परेशानी हुई है, उसके लिए मैं इस सभाग्रह के माध्यम से उनसे माफी चाहता हूँ। मंत्री जी से मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि कोई भी 'इफ-एण्ड-बट' न रखते हुए आप तुरन्त इसे करें। अभी कल तो छुट्टी है, अगले सप्ताह में जब हम मुम्बई जाएंगे, अपने घर जाएंगे, तब हमें आपका नया सर्कुलर लेकर घर पर जाने को मिलेगा, इस प्रकार का मैं आश्वासन लेकर जाता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और साथ-साथ मैंने पिछली बार के अपने भाषण में जो भावना व्यक्त की, उसे व्यक्त करते समय मैंने जो तीखे शब्दों का उपयोग किया, वह लोगों की भावना थी और उसी भावना को मैंने इस सभाग्रह में उजागर करने का प्रयास किया। अगर किसी अधिकारी के मन को उससे ठेस पहुंची हो तो मैं उसे भी वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि लोकशाही में काम करते समय हमारा जो मकसद है, उसे हम पूरा करने के लिए यहां पर आते हैं। हम यहां पर किसी तरह की ईगो सैटिसफाई करने के लिए नहीं आते हैं। हम सब लोग मिलकर हमारे देश के प्रधान मंत्री जी की जो सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इतनी ही भावना मुझे यहां पर व्यक्त करनी है।

जैसा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और मैंने भी अपनी बात कही है कि अगले शुक्रवार को घर जाते समय हमें नया सर्कुलर मिलेगा, इसी आशा के साथ मैं अपने रिजॉल्यूशन को विद्वान करता हूँ।

माननीय सभापति : क्या माननीय सदस्य अपने संकल्प पर जोर देना चाहते हैं।

श्री गोपाल शेट्टी : महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूँ।

The motion was, by leave, withdrawn

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अन्य कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

... (व्यवधान)*

16.07 hrs**(ii) Implementation of a stringent Population Control Policy**

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“यह सभा हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करती है जिसकी ओर यदि ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके परिणामस्वरूप अगले 50 वर्षों में जनसांख्यिकीय विस्फोट होगा, और सरकार से आग्रह करती है कि वह जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य से यथाशीघ्र कठोर नीति कार्यान्वित करे।”

सभापति महोदय, वर्ष 1976 में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति इस संसद में प्रस्तुत हुई थी। तब इस पर न तो चर्चा हुई थी और न ही इसे पारित किया गया था। लेकिन, मेरा यह मानना है कि इस सदन में जितने भी माननीय सदस्य हैं, उन सब ने किसी-न-किसी समय इस विकराल समस्या के बारे में सोचा होगा, अध्ययन किया होगा, चिंता की होगी और कहीं-न-कहीं उनके मन में हमेशा यह बात रहती होगी कि क्यों न एक ऐसी जनसंख्या नीति हमारे इस भारत में लागू हो, जिसके चलते वास्तव में, यह जो एक समस्या बन कर हमारे सामने खड़ी है, उसका समाधान हो सके। वर्ष 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई। उसमें स्वैच्छिक प्रयासों पर बल दिया गया, जिनके माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया। ‘छोटा परिवार, सुखी परिवार’ - इस नीति पर बल दिया गया। संसद ने इसे अपनाया और साथ ही साथ इस बात पर भी बल दिया कि एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति होनी चाहिए।

वर्ष 2000 में हमारी ‘नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी - 2000’ प्रस्तुत की गई। यह सदन में आई। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था कि गर्भनिरोधकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना और स्वास्थ्य सेवाओं का जो बुनियादी ढाँचा है, उसको बेहतर करना, उसको सुदृढ़ करना। एक मध्य-अवधि का जो लक्ष्य था कि हमारा जो रिप्लेसमेंट लेवल है, वह वर्ष 2010 तक 2.1 हो जाए तथा दीर्घकालीन लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता आ जाए। हम सभी इस बात के गवाह हैं कि हम इन लक्ष्यों से बहुत दूर हैं, कहीं आस-पास भी नहीं है। पिछली जो शताब्दी थी, सन् 1900 से लेकर सन् 2000 तक, उसमें जो वैश्विक आबादी थी, वह सन् 1900 में 200 करोड़ थी और सन् 2000 में बढ़कर 600 करोड़ हुई, यानी उसमें तीन गुना वृद्धि हुई। भारत की जनसंख्या तब लगभग 23 करोड़ थी और वह बढ़कर 100 करोड़ के आँकड़ों को पार कर गई यानी साढ़े चार से पाँच गुना वृद्धि भारत में जनसंख्या की हुई। अब, यदि जनसंख्या आवश्यकता से अधिक होगी तो निश्चित ही गरीबी होगी, भुखमरी होगी, कुपोषण होगा, संसाधन जो सीमित है, उनका विभाजन व विखंडन होगा। हम जानते हैं कि किस प्रकार से आज भारत के कई हिस्सों में एक-एक तथा दो-दो बीघा जमीन पर हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं; क्योंकि परिवार में पचास-साठ बीघे की भूमि बंटते-बंटते अब सबके हिस्से में एक-दो बीघे आ गया है। यदि हम शहरी क्षेत्रों में देखें तो

बड़े-बड़े शोरूम हुआ करते थे, कई जगह मुझे देखने को मिलता है कि आगे बच्चे होते गए, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार का इज़ाफ़ा होता गया और वह शोरूम भी अब गली का रूप ले चुका है।

निश्चित रूप से, बढ़ती जनसंख्या से जीवन की गुणवत्ता का जो स्तर होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है और अगर हम शायद पूरे विश्व की बात करें तो हम सबसे निम्न स्तर पर कहीं न कहीं उन देशों के साथ खड़े होंगे। अब, यदि जनसंख्या स्थिरिकरण नहीं हुआ तो इसके ऐसे परिणाम होंगे, जो आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। हमारा जो स्थायी आर्थिक विकास है, वह संभव नहीं हो पाएगा। सामाजिक विकास और संतुलन तो बिगड़ ही रहा है और निश्चित रूप से पर्यावरण पर जो इसका असर पड़ रहा है, उसके बारे में भी हम जितना कहें, शायद कम होगा।

सभापति महोदय, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गई है, *the UN Report World Population Prospects: the 2017 Revision Report*, इसके अनुसार आज भारत की जनसंख्या लगभग 131 करोड़ है और उनका अनुमान है कि वर्ष 2024 में यह संख्या 144 करोड़ पर आकर पहुँच जाएगी। उन्होंने इस रिपोर्ट में यह भी अनुमान प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2030 में यह संख्या 150 करोड़ पर पहुँच जाएगी और वर्ष 2050 में तो यह कहीं न कहीं 166 करोड़ के आस-पास जाकर पहुँचेगी। इसी रिपोर्ट में चीन के बारे में भी लिखा है और उसकी जनसंख्या आज अनुमानित लगभग 141 करोड़ बतायी गई है। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया गया है कि वर्ष 2024 में चीन की जनसंख्या भी 144 करोड़ हो जाएगी यानी वर्ष 2024 में भारत और चीन की जनसंख्या बराबर हो जाएगी। अब चीन की जनसंख्या बराबर हो जाएगी; लेकिन उनका क्षेत्रफल हमसे तीन गुना से भी ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि वर्ष 2030 के दशक में चीन की जनसंख्या स्थिरता की ओर आएगी और उसके बाद से लगातार धीरे-धीरे घटती जाएगी।

अब चीन की जो जनसंख्या नियंत्रण नीति रही है, मैं उसमें बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा; लेकिन कुछ ऐसे पहलू जरूर छूना चाहूँगा। यह केवल कठोर ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही क्रूर नीति रही। उन्होंने भले ही अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया हो, चाहे वह जनसंख्या के आंकड़ों को प्राप्त करने की बात हो, चाहे वह बात हो आर्थिक विकास की उस दर को छूना, जिस पर वे आज पहुंचे हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी की इस नीति का मुख्य नारा था - शाओ शेंग क्वाये फू, जिसका अर्थ है कि “Fewer births, quickly richer.” यानी कि कहीं न कहीं लोगों को यह स्वप्न दिखाया कि आप कम बच्चे पैदा करेंगे और बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अमीर तो वे हो गए, लेकिन चीन ने मानवीय मापदण्डों को तार-तार करके रख दिया। ऐसे आंकड़े और ऐसी बातें उनकी नीति से सामने आई हैं कि वह महिला जिसका एक बच्चा हो जाता था, उसको अनिवार्य रूप से आई.यू.डी. प्रयोग करना होता था यानी कि इन्ट्रा यूट्रिन डिवाइस का प्रयोग उसके लिए अनिवार्य था। ऐसे कपल्स जिनके दो बच्चे हो जाते थे, उनका जबरन स्टर्लाइजेशन किया

जाता था। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वहां गर्भवती होने के लिए भी महिला को पहले ऑथराइज होना पड़ता था, सरकार से ऑथराइजेशन लेना पड़ता था। जो अनाधिकृत प्रेगनेंसी होती थी, उसका जबर्न गर्भपात कराया जाता था। वहां बच्चों की तो जान गई ही, लेकिन कितनी ही महिलाओं की मृत्यु हुई है, यह अनुमान लगा पाना भी शायद मुश्किल होगा। कितना सामाजिक कष्ट उस देश की जनता ने झेला है, इस पर हम जितनी भी चर्चा करें, कम होगी।

भारत जैसे स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में ऐसी नीति की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं हम सोचने पर विवश हो चुके हैं और अब वह समय आ चुका है कि वह विस्फोटक रूप हमारी यह अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि ले चुकी है, इस पर कोई कार्य किया जाए, इस पर कोई नीति सामने लाई जाए।

प्रति वर्ष हमारे देश की आबादी एक और डेढ़ करोड़ के बीच में बढ़ रही है। सरकार द्वारा नेशनल पापुलेशन, 2000 के माध्यम से अनेकों सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, धरातल पर बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं, गर्भ निरोधक वस्तुओं की बेहतर पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वह डीएमपीए हो, चाहे वह छाया के नाम से हो, पीओपी के नाम से हो। परिवार नियोजन कार्यक्रम में श्रीमान् अमिताभ बच्चन जी का सहयोग लिया जा रहा है, बहुत से आर्थिक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। प्रेरणा स्ट्रेटजी, संतुष्टि स्ट्रेटजी के माध्यम से एक नेशनल हेल्पलाइन प्रारम्भ की गई है। निश्चित रूप से अशिक्षा के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि है तो बेहतर शिक्षा पर भी बल दिया जा रहा है। परिवार नियोजन में पुरुषों की भूमिका और अधिक हो, इसके लिए भी सरकार कार्य कर रही है, लेकिन क्या ये कदम पर्याप्त हैं। मुझे लगता है कि हम सब यह प्रश्न अपने आप से निश्चित रूप से पूछते होंगे कि **all this is very good. But is it really enough?**

एक जानी-मानी स्कॉलर वन्दना शिवा हैं। उन्होंने कहा है, “Population control is not an issue involving contraceptives for third world women. It is an issue of ecological justice.” हमारी इस लोक सभा की ही सम्मानित अध्यक्ष, आदरणीय सुमित्रा महाजन जी ने भी पिछली लोक सभा में इसी विषय पर चर्चा में यह कहा था कि “Development is the best contraceptive.” निश्चित ही हम विकास की राह पर चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस ओर अग्रसर हैं, जहां भारत सही मायने में आने वाले समय में दुनिया में विश्व गुरु के रूप में उभरेगा।

सुमित्रा महाजन जी ने यह भी कहा था कि “A large population can be a huge asset, but can be a dangerous liability as well.” यानी भारत की जवान जनसंख्या निश्चित रूप से एक डेमोग्रेफिक डिविडेंट का काम कर सकती है। यदि ऐसा हो जाए कि वह अनियंत्रित बढ़ जाए और उसके

अनुरूप रोजगार न दे पाएं तो फिर यह वास्तव विकराल समस्या का रूप धारण कर सकती है। आज आवश्यकता है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वर्ष, 2000 को संशोधित किया जाए, इसे रिवाइज किया जाए, एक नई एंटी नेटलिस्ट पॉलिसी लाई जाए, जिसमें यूज ऑफ इन्सेन्टिव एंड डेटरेंस हो, इसमें दोनों का प्रयोग किया जाए यानी प्रोत्साहन और निवारकों का प्रयोग किया जाए। इसे नेशनल पोपुलेशन पॉलिसी, 2018 का नाम दिया जा सकता है। इसके पीछे जो लक्ष्य होगा। यह टोटल फर्टिलिटी का ही होगा, जिसे हम टीएफआर कहते हैं। भारत का टारगेट रेट 2.1 है, उसके आधार पर पॉपुलेशन पॉलिसी को डिवाइज किया जा सकता है। हमें सोच बदलनी होगी, हम सख्त कदम उठाने से कई बार पीछे हट जाते हैं। संसद सदस्य होने के नाते हम सोचते हैं कि कि जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? इसका क्या रिएक्शन मिलेगा? मुझे लगता है कि सरकार ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं चाहे वह विमुद्रीकरण हो या जीएसटी को लागू करना हो। चुनावों के परिणाम अपने आप में इस बात का सबूत हैं कि जनता ने इन कदमों को सराहा है, पसंद किया है। क्यों न विधान के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर काबू करने का काम किया जाए। यह सोच कि इससे जनता में आक्रोश होगा या उनके अधिकारों का किसी प्रकार से उल्लंघन होगा, अपने आप में गलत सोच है। देश की अधिकतम जनता यह चाहती है कि एक कारगर और प्रभावशाली कारगर जनसंख्या नियंत्रण नीति सामने आए और उसका क्रियान्वयन हो। इस नीति के माध्यम से टीएफआर का जो मापदंड है उसको रीप्लेसमेंट लेवल पर लाने का प्रयास किया जाए।

भारत का टीएफआर औसत वर्ष 1991 में 3.6 था। वर्ष 2013 में घटकर 2.3 पर आ गया। देश में कुछ प्रदेश ऐसे हैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगा जहां का मैं स्वयं रहने वाला हूं और प्रतिनिधित्व करता हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश का टीएफआर रेट 3 से ऊपर है। उत्तर प्रदेश की टीएफआर 3.1 है और बिहार का उससे भी ज्यादा है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जैसे झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनकी भी टीएफआर 2.6 से 2.9 तक है जोकि बहुत अधिक है। हमें अपनी इस नीति को क्षेत्रवार समझना होगा, प्रदेशवार देखना होगा। ऐसे प्रदेश जिन्होंने इस टीएफआर को प्राप्त कर लिया है और इस लेबल पर आ गए हैं उन प्रदेशों को इसमें छोड़ा जा सकता है। यह देखने की आवश्यकता है कि क्या यूपी और बिहार जैसे राज्यों में कोई डेमोग्रेफिक चेंजेज तो नहीं हो रहे हैं। कोई बहुत बड़ा सामाजिक संतुलन तो बिगड़ नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार की टीएफआर रेट देश के बाकी प्रदेशों से ज्यादा है, इनका जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। संसाधनों की कमी होने के कारण गरीबी भी अधिक है और विकास का अभाव भी है। पीईडब्ल्यू रिसर्च सेंटर दुनिया का प्रसिद्ध रिसर्च सेंटर द्वारा शोध किया गया, स्टडी की गई, इसमें कुछ ऐसी बातें उजागर हुई हैं जो वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली हैं। इस शोध में कहा गया है कि घटते जन्म स्तर के कारण भारत में वर्ष 2055 और 2060 के बीच हिंदू समुदाय की आबादी के जन्म स्तर में भारी गिरावट आएगी। शोध में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2050 तक दुनिया में भारत सबसे बड़ी मुस्लिम समुदाय की आबादी वाला देश बन जाएगा यानी यह इंडोनेशिया को पछाड़ देगा।

मैं जिस प्रकार के डेमोग्राफिक बदलाव की बात कर रहा हूँ, इसका अनुभव हम सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। मैं जिस विस्फोट की बात कर रहा हूँ, यह वही क्षेत्र है, जो जनसंख्या विस्फोट की कगार पर खड़ा है। एक स्टडी के तहत यह पाया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आठ ऐसे जनपद हैं जहां ऐसी स्थिति बनी हुई है। इनमें सर्वप्रथम मैं जिस जनपद से आता हूँ सहारनपुर है, उसके बाद मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, ज्योतिबाफूले नगर, मेरठ और बरेली आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में भारत के लगभग 22 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में ये लोग 19.26 प्रतिशत हैं, जबकि समूचे भारत की जनसंख्या में मुस्लिम समुदाय 14.23 प्रतिशत है। हम यदि केवल इन आठ जनपदों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 30 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के लोग यहां रहते हैं। इसमें मेरा जनपद भी है। इनमें छः ऐसे हैं, यदि हम जनपदों की जनसंख्या देखें तो इस समुदाय का प्रतिशत जनपदीय जनसंख्या का 40 या 40 से अधिक हो चुका है। इसमें मेरा जनपद सहारनपुर सम्मिलित है। रामपुर जनपद में ये बहुसंख्यक हो चुके हैं।

अब मैं जनपदवार प्रतिशत आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि यह आवश्यक है कि सदन इन आंकड़ों को जाने, सहारनपुर में जनपदीय जनसंख्या का 41.95, मुजफ्फरनगर में 41.3, बिजनौर में 43.04, मुरादाबाद में 47.12 प्रतिशत है। जैसा कि मैंने बताया है कि रामपुर में मुस्लिम समुदाय का बहुसंख्यक वर्ग हो चुका है जो कि 50.57 प्रतिशत है। ज्योतिबाफूले नगर में 40.78 प्रतिशत, मेरठ में 34 प्रतिशत और बरेली में भी 34 प्रतिशत के आसपास मुस्लिम समुदाय है। ये आंकड़े बताना इसलिए आवश्यक है ताकि हम समझ सकें कि किस प्रकार से बहुत बड़ा बदलाव इन क्षेत्रों में आ रहा है।

यदि हम वर्ष 2001 से 2011 तक की बात करें तो देखने को मिलता है कि इन क्षेत्रों में इस समुदाय के लोग 39.5 प्रतिशत 41.5 प्रतिशत पर पहुंच गए हैं। दो परसेंट की एक दशक में वृद्धि हुई है। आजादी के बाद जब वर्ष 1951 में सेंसस हुआ था, तब यह आंकड़ा 30 प्रतिशत था, लेकिन आज हम 41 प्रतिशत की बात कर रहे हैं। अगर हमने समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, यह हम सब सोच सकते हैं।

इसके साथ-साथ यह बताना आवश्यक है कि प्रति सौ व्यक्तियों में कितने बच्चे अलग-अलग समुदाय के हैं। मैं इसमें विशेष रूप से हिन्दू और मुस्लिम समुदाय की ही चर्चा करूंगा। मेरे सामने मुजफ्फरनगर का आंकड़ा सामना आया। मुजफ्फरनगर में प्रति सौ व्यक्तियों में हिन्दुओं के 13 बच्चे हैं और मुस्लिम समुदाय के 19 बच्चे हैं। मुजफ्फरनगर में 6 का गेप है। यह गेप सहारनपुर में 4.6, मेरठ में 5.6 और बागपत में 7.5 है। अब नेगेटिव गेप कहीं नहीं आ रहा है। यह गेप आ रहा है, जिसमें आपको वहां प्रति सौ व्यक्ति मुस्लिम समुदाय के ज्यादा बच्चे मिलेंगे।

हम भारत के इतिहास की चर्चा करने लगे, तो वर्ष 1947 में हमारे पूर्वजों ने देश के विभाजन को सहा है। हमारे राष्ट्र के तीन टुकड़े हुए थे। कभी भी कोई ऐसा न सोचे कि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न हो

सके। इसलिए आवश्यक है कि केवल एक ही समुदाय की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, इस पर भी कहीं न कहीं हम सबको और सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। हम जानते हैं कि वहां एक ही समुदाय की जनसंख्या अधिक होने और उनके दबदबे के चलते वहां से लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना सबकुछ छोड़ कर पलायन करना पड़ा। यह पलायन एक कड़वा सच है, एक सत्य है। भले ही कुछ राजनीतिक दलों के नेता इसे नकारते हों और यह सोचते हों कि नहीं, यह मनगढ़त कहानी है, कल्पना का विषय है। कैराना में जो पलायन हुआ, उसे नैशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ने भी अपनी जांच में सही पाया कि हां, वहां से ढाई सौ हिन्दू परिवार इसलिए पलायन कर गये, क्योंकि वे एक समुदाय विशेष के लोगों के भय और आतंक से घबरा गये थे। अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा के नाते कोई देहरादून चला गया तो कोई किसी और शहर में जाकर बस गया। सांसदों का प्रतिनिधि मंडल जब जांच करने के लिए वहां गया, तो मैं स्वयं उसमें गया था। मेरी वहां इस विषय को लेकर बहुत से लोगों से बातचीत हुई थी। वे लोग तब भी बहुत घबराये हुए थे और बताने से डर रहे थे। लेकिन हमें भी बहुत से लोगों ने बताया, मेरे साथ संसद के और भी माननीय सदस्य थे, कि हां, हर वक्त यहां एक भय का वातावरण रहता है और बहुत से लोग कैराना को छोड़कर चले गये हैं।

16.33 hrs

(Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

जहां भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अगर हम सहारनपुर की बात करें, तो सहारनपुर में पुल के इस तरफ और उस तरफ एक क्षेत्र बन गया है, यानी पुल के उस पार एक समुदाय विशेष का घनत्व बढ़ता जा रहा है और वहां से हिन्दू आबादी के लोग अपनी सुरक्षा को देखते हुए पलायन करके पुल के इस पार आकर रहने लग गये हैं। आपको समुदाय विशेष के गांव के गांव सहारनपुर जनपद और पश्चिम में देखने को मिलेंगे। मां शाकुम्भरी देवी का मंदिर, सिद्धपीठ जो सहारनपुर में है, उसके आसपास के सब गांव एक विशेष समुदाय के हो गये हैं। कहीं न कहीं बस्तियां बनती जा रही हैं, जिसे अंग्रेजी में गेटोआइजेशन कहते हैं। भारत जैसे लोकतंत्र के लिए *is this ghettoization really healthy for a diverse democracy like India?*

क्या यह आवश्यक नहीं है कि अलग समुदाय आपस में रहें, पास-पास रहें, एक-दूसरे को जानें और समझें, इसके बनिस्बत कि उनको अलग-अलग करके बसा दिया जाये और वे इतना बंद समाज और समुदाय बन जायें कि आपस में कहीं कोई आदान-प्रदान ही न हो, कहीं कोई विचार-विमर्श, बातचीत ही न हो और कहीं न कहीं फिर ऐसा वातावरण बने कि आपस में एक साथ रह भी न पायें। पाकिस्तान के बारे में अभी हम ने हाल ही में पढ़ा है कि खाइबर पख्तून के हांगू जनपद में जबरन कुछ सिख बंधुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया। केरल और पश्चिम बंगाल में लगातार गिरती हिन्दू आबादी जनसंख्या के परिणामस्वरूप बहुत गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम बंगाल में दुर्गा

पूजा करना चाहते हैं तो हमें माननीय न्यायालय से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है और केरल जो कि आदि-शंकराचार्य जी की जन्मभूमि है, आज किस प्रकार से वहां बेगुनाह हिन्दुओं का नरसंहार हो रहा है, यह भी जग जाहिर है, सब जानते हैं।

महोदय, इन सब के परिप्रेक्ष्य में मैं प्रस्ताव करता हूं और इस बात को पुनः आपके समक्ष रखता हूं कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, 2018 बनाई जाये। यह टू चाइल्ड पॉलिसी हो। इसके अंतर्गत कोई भी महिला या कोई भी पुरुष भारत में रहता हो, वह दो से अधिक बच्चे पैदा न करे, भले ही उसका एक से अधिक विवाह हुआ हो। यदि कोई व्यक्ति दो से अधिक बच्चे पैदा करता है तो ऐसे परिवार को सरकारी सब्सिडियों और स्कीम्स के अंतर्गत लाभ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कानून हमें लाना चाहिए। अगर तीसरा बच्चा परिवार में पैदा होता है तो उस तीसरे बच्चे को न ही सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी मिले और न ही वह भारत में किसी भी निर्वाचित पद के लिए चुनाव लड़ सके, इस प्रकार की एक पॉलिसी हमें लानी पड़ेगी।

महोदय, दो बच्चे पर्याप्त हैं। भारत में होड़ लगी रहती है कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा, वंश कैसे बढ़ेगा। क्या वंश आगे बढ़ाने के लिए दो बच्चे पर्याप्त नहीं हैं। मुझे लगता है कि बहुत हैं। इससे सभी समुदायों को लाभ होगा। यह केवल एक समुदाय के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है। विशेष रूप से मैं सहारनपुर की बात करूं तो वहां वूड कारविंग इंडस्ट्री है, उसमें ज्यादातर एक समुदाय के लोग ही कार्य करते हैं, वह हस्तशिल्प का काम है। अगर उस सामान की मांग उतनी ही है लेकिन अभी परिवार में चार लोग काम कर रहे हैं, उसमें पांच लोग और जुड़ जायेंगे तो भी मांग उतनी ही है। हमारी सरकार जीवन स्तर बढ़ाना चाह रही है। अगर जनसंख्या बढ़ती जायेगी तो वह कैसे बढ़ेगा?

मैं स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा जी के प्रयासों की सराहना करता हूं। उनके द्वारा इस समस्या को समझा गया है और मिशन परिवार विकास के माध्यम से भारत के ऐसे जनपदों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जहां टोटल फर्टिलिटी रेट तीन या तीन से अधिक हो। निश्चित ही ऐसे जनपदों में और जागरूकता का कार्य करने का उनका संकल्प है लेकिन मैं इस नीति के माध्यम से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि आप एक पायलेट प्रोजेक्ट करें। आप पायलेट प्रोजेक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन आठ जनपदों में करें, जिनकी अभी मैंने चर्चा की थी। हमने पॉलिसी के तहत जो प्वाइंट्स दिये हैं उनको वहां इम्प्लिमेंट करके देखिए। भारत में इम्प्लिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं कि इस पापुलेशन पालिसी को आप मेरे गृह जनपद से प्रारम्भ कीजिए, तब आपका फूलों से स्वागत करेंगे, जब आप ऐसा क़दम उठाएंगे। ऐसे परिवार जो केवल एक या दो बच्चों को ही जन्म देते हैं, उन्हें हमें प्रोत्साहन देने की भी आवश्यकता है। हमने इनसेंटिव्स और डेटरेंट्स की बात कही थी। डेटरेंट्स की तो बात हो गई, अब इनसेंटिव्स की बात भी होनी चाहिए। ऐसे परिवार जो केवल एक या दो बच्चे पैदा करते हों, ऐसे परिवारों को कहीं न कहीं आर्थिक प्रोत्साहन या पेंशन आदि देना चाहिए। ऐसे परिवारों को धन लाभ दिया जाए। आदरणीया सुमित्रा महाजन जी

ने सदन में यह भी कहा था कि जिन अभिभावकों के कम बच्चे हैं, उन्हें ज्यादा बेनिफिट्स मिलने चाहिए। हम स्पीकर महोदया के विचार को इम्प्लीमेंट करें, तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो यह कहूंगा कि क्यों न एक नए मंत्रालय का गठन किया जाए। अभी डिपार्टमेंट आफ फैमिली प्लानिंग एंड वैलफेयर हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। नया मंत्रालय बनाया जाए और उसे मिनिस्ट्री आफ पापुलेशन रेग्यूलेशन कहा जाए। एक ऐसा मंत्रालय जो नेशनल पापुलेशन पालिसी 2018 का ग्राउंड पर कार्यान्वयन करे।

महोदय, सदन इसमें कुछ बातें और भी जोड़ना चाहता है। हमें इस टाइम बम के फटने से बचाने हेतु जो भी सकारात्मक सुझाव सामने आते हैं, उन पर भी हमें चर्चा करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारी सरकार विश्वास रखती है कि *Justice and development for all but appeasement of none.* "सबका साथ, सबका विकास" का हमारा संकल्प है। हैलेन केल्लर ने कहा था कि "Once it was necessary that the people should multiply and be fruitful if the race was to survive. But, now ,to preserve the race, it is necessary that people hold back the power of propagation."

महोदय, इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं कि हमारे द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव पर सदन सकारात्मक कार्रवाई करते हुए इसे अपनाने का काम करेगा और इसे पारित करने का काम करेगा।

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:

"This House expresses its grave concern over the population explosion in our country, which, if not taken care of, would lead to demographic catastrophe in the next fifty years, and urges upon the Government to implement a stringent policy aiming at population control at the earliest. "

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे आज इस महत्वपूर्ण विषय जनसंख्या के नियंत्रण पर विचार करने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर अपने विचार सदन में प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के लिए आज यह प्रश्न ज्वलंत मुद्दा बनकर सामने आया है। राजनीतिक कारणों से इसके बारे में चर्चा करने से परहेज करने की कोशिश जरूर कुछ लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र में जिम्मेदारी इस सदन की है, जिस सदन के माध्यम से देश के भविष्य का विचार होगा। देश का भविष्य किस तरफ जाएगा और किसके आधार पर जाएगा, इसका विचार करने के लिए यह सदन सबसे उपयुक्त स्थान है और यह इसलिए है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह सदन सम्पूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। इस सदन में पूरे देश के प्रतिनिधि बैठते हैं और सारे देश की परिस्थितियों का ध्यान रखते हैं। पूरे देश के कोने-कोन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां जनसंख्या की दृष्टि से उत्पन्न होती हैं।

मैं समझता हूँ कि जब सदन में पूरे देश के प्रतिनिधि बैठते हैं, देश के कोने-कोने में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, खासकरके जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सामाजिक जीवन पर, भारत के राष्ट्रीय जीवन पर, भारत के आर्थिक जीवन पर, भारत के सांस्कृतिक जीवन पर इसके विभिन्न पहलू आज किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहे हैं, उनमें जनसंख्या एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। इसलिए इसे अनदेखा छोड़ना या इस पर विचार न करना, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी हालात उस शूतुरमुर्ग की तरह होगी, जो शिकारी को देखकर अपने मस्तिष्क को बालू के अंदर घुंसा लेता है और यह मान लेता है कि शत्रु दिखायी नहीं देता, तो शत्रु तो है ही नहीं। लेकिन, शिकारी आता है, शूतुरमुर्ग का मस्तिष्क बालू में घुंसा होता है, लेकिन उसका तन बाहर होता है, इसलिए उसे पकड़ लिया जाता है और उसका शिकार हो जाता है।

मुझे लगता है कि जनसंख्या के मामले में हमने अनदेखी की या उससे आँख मूँदने की कोशिश की, तो हमारी हालत भविष्य में उसी शूतुरमुर्ग की तरह हो जाएगी कि देश कोहराम में फंस जाएगा और हम बाद में कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। जब इतनी बड़ी संख्या में सोचने वाले सदस्यगण सदन में हों, जब राजतंत्र था, तो एक मात्र राजा ही सभी नीतियों का निर्धारण करता था, तब भी कई कठोर निर्णय लिये जाते थे। भले ही कार्य मंत्रिपरिषद् करती होगी, लेकिन जिम्मेदारी राजा की होती थी। जब देश में संविधान के तहत लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई है, तो आज सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए, हिन्दुस्तान के प्रत्येक जनप्रतिनिधि को, खासकरके संसद में आने वाले जनप्रतिनिधियों को, देश में भविष्य के इस आने वाले खतरे से मुकाबला करने का और समय रहते उसे समाप्त कर देने का निर्णय लेने का समय आ गया है।

एक बड़ी विचित्र स्थिति है। जैसा कि मैंने कहा कि जनसंख्या-वृद्धि पर विचार करने के अनेक आयाम हैं। किन्तु दुखद स्थिति इसलिए होती है क्योंकि इस पर विचार करने का प्रारम्भ इसलिए नहीं होता है क्योंकि हिन्दुस्तान की जनसंख्या को साम्प्रदायिक नज़रिये से देखा जाता है। जब राष्ट्रीय समस्याओं को

साम्प्रदायिक नज़रिये से देखा जाएगा, तो उसके यथार्थ तक पहुँचने में ईमानदारी नहीं बरती जा सकती है। यदि ईमानदारी से राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करना, विशेषकर जनसंख्या-वृद्धि से आने वाले संकटों पर विचार करना है, तो हमें साम्प्रदायिक नज़रिये से नहीं, बल्कि 'एक देश एक जन', पूरा हिन्दुस्तान एक परिवार है, के रूप में और इस नज़रिये से इस पर विचार करने की जरूरत है और मैं उसी रूप में इसको रखना चाहता हूँ।

हमारी संस्कृति विविधताओं की है। हमारी संस्कृति में सभी प्रकार के सम्प्रदायों का, सभी प्रकार के जीवन जीने वाले लोगों का, आस्तिक का, नास्तिक का समावेश है, इसमें सबको स्थान मिला है। इसलिए जब भारत में जनसंख्या पर विचार होता है, तो उसे साम्प्रदायिक नज़रिये से न देखा जाए। यह मेरी विनम्र प्रार्थना इस सदन के माध्यम से सदन के सदस्यों से है और देश की जनता से भी है।

अभी हमारे प्रस्तावक महोदय ने अनेक आँकड़े दिये। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने उस दर्शन को और उस सिद्धांत को स्वीकार किया है, जिसमें काल और परिस्थिति के अनुसार विचारों में परिवर्तन होता है। जो विदेशी चीज़ें देशानुकूल न हों, उनका त्याग करना चाहिए। हमें उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कई विदेशी चीज़ें ऐसी हैं, जो देशानुकूल हैं। हमें उन पर विचार कर के उन्हें अपनाना चाहिए। अपने देश में भी ऐसे नियम-कानून और परंपराएँ होनी चाहिए। जो चीज़ें काल-परिस्थिति के अनुसार पुरानी हो गई हैं और उपयोग में नहीं हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। अपने देश की परंपराओं में नये और युगानुकूल विचार लाने चाहिए। इस प्रकार हमें विदेशों से देशानुकूल और अपने देश से युगानुकूल विचार अपनाने चाहिए।

मुझे लगता है कि ये सभी विचार और यह पूरा विषय बहुत ही गंभीर है। हम सब इस पर आज विचार करने के लिए इस सदन में उपस्थित हैं। इसको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में जनसंख्या बढ़ सकती है, लेकिन भूमि नहीं बढ़ सकती है। कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता होती है।

देश की जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि के अनुसार भूमि का विस्तार नहीं किया जा सकता है। अब शायद वह राजतंत्र भी नहीं है कि यदि कभी हमें जमीन की आवश्यकता पड़ जाए, तो हम किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर के वहाँ की ज़मीन पर कब्जा कर लें।

राष्ट्रीय संविधान के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान भी अब हमारे सामने आए हैं। दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं और संबंधों के बीच हमें चलना पड़ रहा है। कुछ ऐसे देश हैं, जहाँ के शासक अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण करने की कोशिश करते रहते हैं, भले ही वे इन कोशिशों में कामयाब न हो पाएं। जैसे कभी-कभी पाकिस्तान हिन्दुस्तान की ओर नज़रिया रखता है।

चीन कभी-कभी अपने देशवासियों को अपनी मौलिक समस्याओं से बरगलाने के लिए हिन्दुस्तान की तरफ कदम बढ़ाता है। आज की तारीख में यह संभव नहीं है कि किसी देश को कोई दूसरा देश या किसी राज्य को कोई दूसरा राज्य हड़प कर अपनी जनसंख्या का भार वहन करने के लिए अपनी भूमि का विस्तार कर ले।

सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष इस दुनिया के कुछ देशों में भूमि के भार का एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहूँगा। पोलैण्ड ऐसा देश है, जहाँ 100 एकड़ जमीन पर 31 व्यक्तियों का भार है। इसी प्रकार चेकोस्लोवाकिया में 100 एकड़ जमीन पर 24 व्यक्तियों का भार है। हंगरी और रोमानिया में 100 एकड़ जमीन पर 30 व्यक्तियों का भार है। युगोस्लाविया में व्यक्तियों की संख्या 42 है और इंग्लैण्ड में 100 एकड़ जमीन पर 6 व्यक्तियों का भार है। इन पूरे आंकड़ों के हिसाब से भारत की क्या हालत है? भारत की हालत यह है कि यहाँ 100 एकड़ जमीन पर 148 व्यक्तियों का भार है, यानी हमारे यहाँ एक व्यक्ति को एक एकड़ जमीन भी उपलब्ध नहीं है। यदि जनसंख्या में इसी प्रकार से वृद्धि होती रही, तो भविष्य में भी एक व्यक्ति को एक एकड़ जमीन भी उपलब्ध नहीं हो सकेगी, जिसका आँकड़ा हमारे प्रस्तावक महोदय यहाँ दे रहे थे। शायद किसी व्यक्ति के हिस्से में 20-25 डिसमिल जमीन भी नहीं पड़ेगी।

यह स्थिति तब है जब जनसंख्या के आधार पर भारत के पूरे क्षेत्रफल को विभाजित कर के देखा गया है। कृषि योग्य जमीन अलग है। उसमें शायद प्रति व्यक्ति इससे कम हिस्सा निकलेगा। ऐसी हालत में भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। खेती योग्य जमीन जहाँ की तहाँ है। कम जमीन पर अधिक उत्पादन के लिए रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। आज खेती में अधिक उत्पादन वाले बीज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे जितने पारंपरिक बीज हैं, वे समाप्त कर दिए गए हैं। रासायनिक खाद्य और दवाओं का उपयोग कर के फसलों और सब्जियों के उत्पादन को जिस प्रकार बढ़ाया जा रहा है, उसके बाद उस अनाज और सब्जी को खाने के बाद जैसे असाध्य रोगों की भरमार आज हमारे देश में आई है, हम पहले उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे।

बचपन में हम लोग सुनते थे कि कभी कोई कैंसर का रोगी हो गया है। लेकिन आज हर गांव में दो-चार कैंसर के रोगी मिल रहे हैं। यह गाथा कभी पंजाब में बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब झारखण्ड जैसे जंगल वाले प्रदेश में भी इस प्रकार की परिस्थिति देखी जा रही है। आखिर जनसंख्या का नियंत्रण क्यों नहीं हो सकता है? हम जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं कर सकते? भारत की धरती पर रहने वाले व्यक्ति को समान नज़रिए से क्यों नहीं देखा जा सकता है? यह प्रश्न कई बार शायद इसीलिए सामने आता है कि समान अधिकार कानून भारतवर्ष में क्यों लागू नहीं हो सकता है? भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार क्यों नहीं मिल सकते हैं? हिन्दुस्तान में पहले यदि कभी युद्ध होता था और उसमें सैनिक मारे जाते थे तो विधवाएं बढ़ जाती थीं, बहनों को सहारा चाहिए होता था तो किसी ने यह फतवा दे दिया, कानून बना

दिया कि कोई आदमी तीन शादी कर सकता है, लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है। आज यह परिस्थिति है कि जितने बेटे जन्म लें, उतनी बेटियां भी हों। दो-चार परसेंट का रेश्यो भी गड़बड़ होता है तो हम यह कहते हैं कि बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। फिर किसी के जिम्मे चार-चार बेटियां क्यों लगा दी जाएं, इसलिए कि वह उनका शारीरिक शोषण करे। भारत की संस्कृति है कि हम नारी को मातृ स्वरूप में देखते हैं। हम नारी को शक्ति स्वरूप देखते हैं, वह जननी है, वह भोग की वस्तु नहीं है। हम उसके साथ दरिदों का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं। माता का स्थान कोई नहीं ले सकता है, इसलिए नारी को माता रहने दो। उसके साथ हमारा नजरिया गलत हो जाए, यह गलत होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आज इस प्रकार की धारणा भी किसी समाज या धर्म में है तो वह काल और परिस्थिति के अनुसार पुराना पड़ चुका है, जिसे अब बदलना चाहिए। पाकिस्तान में यदि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बन सकता है, चेकोस्लोवाकिया में यदि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बन सकता है, ईरान में जनसंख्या नियंत्रण पर यदि कानून बन सकता है और ये सभी इस्लामिक देश हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसी बातों को साम्प्रदायिक नजरों से क्यों देखा जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए और यदि ऐसा होता है तो इसकी कोई न कोई वजह होगी। वजह यह है कि जनसंख्या बढ़ोतरी के पीछे कोई गलत नीयत तो नहीं है। नीयत यदि गलत है तो नीति के माध्यम से उस नीयत को रोकना पड़ेगा। नीति कमजोर भी हो जाए, लेकिन नीयत यदि साफ हो तो समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन यदि नीयत खराब हो तो नीति को भी तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है। इसलिए सख्त नीति ही गलत नीयत को ठीक कर सकती है। मुझे लगता है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाने की सोच में जो ढीलापन है, उसमें जो कमजोरियां हैं, लोगों को मुंह चुराने की जो आदत है, स्पष्ट बोलने की या सच बोलने की जो हिम्मत नहीं हो रही है, उसके पीछे राजनैतिक कारण हैं। मुझे नीयत पर शक है। इसलिए मैं इस सभा से दरखास्त करना चाहूंगा कि इस देश को ऐसी नीयत से बचाएं जो हिन्दुस्तान के भविष्य को खतरे में डाल सकता है, हिन्दुस्तान के भविष्य को चिंतनीय बना सकता है।

17.00 hrs

हम गांवों में जाते हैं, क्या बेरोजगारी का आलम है। बच्चे पैदा किये, रोड पर छोड़ दिये। क्या यह मानवीय व्यवहार है? मैं यह मानता हूँ कि बच्चे किसी व्यक्ति की औलाद नहीं होते, जो बच्चे पैदा होते हैं, वह ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। हर मां-बाप, शादीशुदा जोड़ा चाहे जितने बच्चे पैदा कर ले, वह ऐसा नहीं कर सकता। बहुत से लोग शादी करने के बाद दर-दर की ठोकरें खाते हैं, मंदिरों में माथा टेकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के नियम को यदि तुम गलत तरीके से पेश करोगे, ऊपर वाले के वरदान को, ऊपर वाले की देन को, उसके वरदान को यदि अभिशाप बनाने की कोशिश इंसान करेगा तो वह अभिशाप जानलेवा हो सकता है, जैसे रावण का हुआ, कौरवों का हुआ। हम नियंत्रित परिवार नहीं, संतुलित परिवार चाहते थे, संयमित

परिवार चाहते थे। जो सोचने-समझने वाले होते थे, हमारे देश के समाज का विचार करने वाले देश की संस्कृति और इतिहास में होते थे, वे अपना परिवार संतुलित रखते थे, संयमित रखते थे। चूंकि वे जानते थे कि यदि हम परिवार के अंदर अत्यधिक जनसंख्या बढ़ायेंगे तो कलह बढ़ेगी और वह परिवार के नाश का कारण बनेगा। कौरवों के साथ यही था, माता-पिता ने विचार नहीं किया, संख्या बढ़ा दी, उन्हें लगा कि हमारा राज्य छोटा है, अब भाई का राज छीन लो, यही उनके नाश का कारण बना। भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और भारतीय मान्यताओं को जो लोग समझ नहीं सकते, ऊपर वाले के वरदान को जो अभिशाप बनाना चाहते हैं, वैसे खतरनाक इरादों को हम जनता-जनार्दन का प्रतिनिधित्व करने वाला, अर्थात् हम जनता को जनार्दन मानते हैं और जनार्दन का जो प्रतिनिधित्व करता है, वह किसी न किसी रूप में देववंशी होता है। यहां जो लोग बैठे हैं, सदन में जो विचार होता है, वह उसी उच्च मानसिकता के साथ, उसी गंभीरता के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए।

मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव आया है, मेरे मन में भी बहुत दिनों से ऐसी इच्छा थी। मैं प्रस्तावक महोदय का बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारत के ऐसे ज्वलंत मुद्दे को सामने रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर बहुत संजीदा होकर विचार करेगी। हम सिर्फ तकनीकी कारणों में नहीं जायेंगे। गर्भ निरोधक दवाएं, गर्भ निरोधक उपकरण लोगों को शिक्षा देकर उनके अंदर जागृति लाने का प्रचलन एक कोशिश हो सकती है। सोये हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जगा हुआ आदमी सोने का नाटक करे, उसे आप कैसे जगायेंगे। जनसंख्या वृद्धि के लिए ही अपने व्यक्तिगत जीवन में हमसे भूल न हो जाए, यदि यह एहसास उसके मन में होगा, तब वह इन उपकरणों का उपयोग करेगा। लेकिन यदि नीयत ही खराब है, यदि किसी ने नारी को प्रजनन की मशीन समझ रखा है, किसी ने नारी को अपने इरादों की पूर्ति के लिए साधन मात्र समझ लिया है, सृष्टि के रचयिता के जो दो माध्यम स्त्री और पुरुष हैं, उन्हें मानवीय मूल्यों से दरकिनार करके अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने इरादों की पूर्ति के लिए यदि कोई उसे संसाधन बनाने की कोशिश करता है तो इन उपकरणों से उसकी मानसिकता को रोका नहीं जा सकता।

गलत मानसिकता से जनसंख्या वृद्धि करने वाले इस देश में अधिक हैं। कोई दूसरा बच्चा पैदा करने जा रहा है और अचानक प्रभू ने एक साथ ही जुड़वां बेटा दे दिया तो वह कुछ नहीं कर सकता है तो कठिनाई हो जाएगी, जो प्रस्तावक महोदय ने हमारे लिए यह विषय रखा है, उसके सामने हो जाएगी। परंतु इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन जिसके इरादे ही गलत हों, भीख माँग कर के भी समस्या पैदा करने की जिसकी मानसिकता हो जाए, और खास कर इस देश की अर्थव्यवस्था हमें ठीक करनी है सदन को ठीक करनी है तो हमें कठोर नीति की ओर अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था, अभी अमरीका की जनसंख्या कम है, वह दुनिया का सबसे अधिक ताकतवर देश है और क्षेत्रफल हमसे नौ गुना अधिक है। किसी भी देश की सामरिक शक्ति के लिए आज जनसंख्या जरूरी नहीं है। आधुनिक तकनीक में

जिस प्रकार से अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग हो रहा है, जमीनी युद्ध से ले कर आसमानी युद्ध तक, परमाणु युद्ध तक जिस प्रकार के अविष्कार हो रहे हैं, हमारे देश में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने शासन काल में पोखरण में परमाणु परीक्षण कर के यह सिद्ध कर दिया कि हिन्दुस्तान की ओर अब कोई अंगुली उठा कर देख नहीं सकता है। उसकी आँखें देखने लायक नहीं रहने दी जाएंगी यदि भारत की तरफ कोशिश की तो अब भारत को जनसंख्या की जरूरत, जरूरत से ज्यादा नहीं है। हम सामरिक रूप से इतने ताकतवर हैं कि थोड़ी संख्या कम कर के भी भारत की सामरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अभी यदि आर्थिक प्रगति होगी और हमारी जनसंख्या पर उसके खर्च कम होंगे तो उसको बचा कर हम सामरिक शक्ति बढ़ा सकते हैं, हम अपने दैनिक जीवन के उपयोग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उससे इस देश में जो सम्पन्नता आएगी, जो खुशहाली आएगी, लोगों में सोचने और विचारने का जो विकास होगा, उस पर हमें भरोसा करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक आग्रह और करना चाहता हूँ। हर देश की अपनी भौगोलिक और जो प्राकृतिक संरचना है, उसका एक गुण होता है, भारत की जो भौगोलिक संरचना है और भारत की जिस प्रकार की रचना सृष्टि ने की है, उसमें ठण्डा भी है, गर्मी भी है, समशीतोष्ण जलवायु भी है, पहाड़ भी है, समुद्र भी है, अलग-अलग क्षेत्रों में उत्पादन के लिए अलग-अलग प्रकार की जमीनें भी हैं। हमारा पूरा भारतवर्ष भौगोलिक दृष्टि से भी विभिन्नताओं का कुंज है और इसलिए इसको उसी रूप में विकसित करने की जरूरत है। हम आज भारत की जो रचना है, उसके अनुसार इसके विकास की चिंता नहीं कर के अलग-अलग क्षेत्रों में जनसंख्या के दबाव और प्रभाव के अनुसार विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अनुरोध होगा कि हम भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उन पर विचार करें। यहां पर शरीर की और शरीर की गिनती पर विचार करने वाले लोग जनसंख्या को देख रहे हैं। इसलिए लगता है कि अधिक जनसंख्या होगी, तभी हमारी ताकत अधिक दिखेगी। लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश का जो आत्मिक विकास होना चाहिए था, मानसिक विकास होना चाहिए था, जो हमारे दर्शन और संस्कृति में हैं, उसका सही प्रचार नहीं होने के कारण लोग मानसिक विकृति का शिकार हो रहे हैं।

इस देश के सांस्कृतिक मूल्यों का सही अध्ययन/अध्यापन, पारिवारिक जीवन के प्रति सोच की दिशा, राष्ट्र जीवन के प्रति सोच की दिशा, सामाजिक सम्बन्धों के ऊपर सोच की दिशा, जिसने कभी जन्म से मातृ रूप नारी का सुना ही नहीं, वह स्वीकार कैसे करेगा। यदि हम बताएंगे नहीं, तो कोई जानेगा कैसे, तो कहीं न कहीं एक ऐसी अज्ञानता है, मैं फिजिक्स, कैमेस्ट्री, मैथमैटिक्स की अज्ञानता की बात नहीं कर रहा हूँ, सोच और शोध की अज्ञानता, दिशा की अज्ञानता, जो दर्शन है, उसकी अज्ञानता के कारण भी भारत में रहकर भी हम भारत को पहचानने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, आने वाले दिनों में माननीय मंत्री जी और सरकार से भी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से विकृत सोच देश में आगे बढ़ रही है, उसमें सही सोच आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय सोच, भारतीय दर्शन का प्रचार हो। उसमें स्त्री-पुरुष

के सम्बन्ध का, स्त्री-पुरुष का सामाजिक, पारिवारिक जो जीवन है, उसके दायित्वों से भी कहीं न कहीं व्यापक रूप से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। इस बात का असर दूरगामी साबित होगा।

तत्काल के लिए तो मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि भारत को इस ज्वलंत समस्या से बचाने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था और पंगु न हो, हम सबका साथ-सबका विकास चाहते हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए जो अनियन्त्रित जनसंख्या की वृद्धि है, उसे संयमित करने की सोच यदि विकसित नहीं होती है, तो कठोर नियम बनाकर के सभी की बाध्यता होनी चाहिए। जो दो बच्चे से अधिक उत्पन्न करता है, उसे सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं से वंचित करना चाहिए। उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को, परिवार को, पति-पत्नी को और जो उत्पन्न होने वाला है, उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित करना चाहिए, हालांकि उसका दोष नहीं होगा, लेकिन उसको यह अहसास होना चाहिए कि मेरे गैर जिम्मेदार पिता ने हमारे जीवन के भविष्य के बारे में विचार नहीं किया। उसके बाद यदि वह संयमित रास्ते पर चलता है तो उसके बच्चे को लाभ मिले, लेकिन एक पुश्त को तो सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। जो जनसंख्या वृद्धि के नियम को तोड़ता है और उस तोड़े हुए नियम से जो उत्पन्न होता है, इन दो पीढ़ियों को इस बात का अहसास होना चाहिए। उसके साथ मानवीय दृष्टिकोण से विचार हो, यह अलग बात है, लेकिन सरकारी सुविधाओं से उनको वंचित किए बिना शायद उन्हें यह अहसास नहीं होगा कि हम गलत कर रहे हैं। यह देश हित में आवश्यक है और हम देश को सबसे आगे मानते हैं, व्यक्ति को सबसे पीछे। देश के लिए जब हम विचार करते हैं, उसको प्राथमिकता में रखकर हम विचार करें और जनसंख्या नियंत्रण को, जिसको हमारे प्रस्तावक महोदय ने विस्फोट कहा है, वास्तव में यह खतरे का शायद सही प्रयोग है, उसे हम जरूर विस्फोट होने से पहले रोकने का काम करें। मैं यह समझता हूँ कि आज जो हमारी सरकार है, वह राष्ट्रीय सोच के साथ चलने वाली सरकार है। यह सरकार, जो सदन के माध्यम से पूरे देश भर में एक सहमति बनने का रास्ता खुलने वाला है, उसका उपयोग करेगी और जनसंख्या नियंत्रण पर एक सकारात्मक कठोर कदम उठाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री राघव लखनपाल द्वारा लाए गए प्रस्ताव 'जनसंख्या विस्फोट' पर और उससे होने वाली घटनाओं पर उनके सुझाव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, लखनपाल साहब ने जो कहा, उसमें उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। खासकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो उनका इलाका है और सहारनपुर, जहां से वे सांसद बन कर आए हैं और उसके आस-पास मुज़फ़्फ़रनगर में क्या हो रहा है, बागपत में क्या हो रहा है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो और भी जिले हैं, उनके बारे में उन्होंने एक दृष्टि डाली है। दूसरी दृष्टि, जो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि असम में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है और मेरे राज्य झारखण्ड में क्या हो रहा है। यह जो जनसंख्या विस्फोट है, इसके कई प्रकार हैं। इसके बहुत आयाम हैं। एक आयाम यह है, जिसके बारे में राघव लखनपाल साहब ने कहा कि एक समुदाय विशेष इन चीज़ों को नहीं मान रहा है। वह यह सोचता है कि जनसंख्या आगे बढ़ाना उनका परम कर्तव्य है। इसको रोकने के लिए क्या हो सकता है? दूसरा, पूरे देश में यह कहीं-न-कहीं भावना है कि लोगों की बेटों के प्रति जो ललक है, सेक्स डिटर्मिनेशन की जो ललक है, वह भी जनसंख्या को बढ़ाता है कि यदि बेटा नहीं होगा तो खानदान कैसे बढ़ेगा। इसका मतलब कि दो बच्चों का कॉन्सेप्ट यहां धराशायी हो जाता है। तीसरा, पूरी-की-पूरी डेमोग्राफी को आपके यहां कम, लेकिन जो पूरे देश की डेमोग्राफी को बदल रहा है, वह है माइग्रेशन। बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, इल्लिगल इमिग्रेंट्स हैं। इस तरह, तीन प्रकार की समस्याएं हैं, जो जनसंख्या को बढ़ावा दे रही हैं और उसके लिए भारत सरकार को एक कॉम्प्रीहेन्सिव नीति बनाने की आवश्यकता है।

यह जो पूरा प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव में जो चीज़ें हैं कि जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है तो एक बात यह होती है, जिसमें हम कहते हैं कि भारत एक ऐसे देश के रूप में बन रहा है, जिसमें युवा बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। हम कहते हैं कि हमारे यहां यूथ्स की इतनी फोर्स पैदा हो रही है कि दुनिया में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, वह एक सवाल उठता है। दूसरा सवाल यह है कि उसके साथ जो दूसरा रिपरकशन है कि जितने यूथ बढ़ रहे हैं, उतने ही लोग बूढ़े हो रहे हैं तो बूढ़ों के प्रति हम क्या करें। तीसरा सवाल यह है कि हम बच्चों के प्रति क्या करें। इस पॉपुलेशन ग्रोथ से जो मायने निकलते हैं, वे तीन तरह के हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। भारत में वर्ष 1920-30 में पूना और बैंगलोर में एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि पॉपुलेशन की सर्वे की जाए और पॉपुलेशन को कैसे स्थायी बनाएंगे, इस बारे में आज्ञादी के पहले, वर्ष 1920-30 में पूना और बैंगलोर, इन दो शहरों का चुनाव किया गया। जब उसकी रिपोर्ट आ गई तो तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने वर्ष 1940 में

एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था 'भोर कमेटी।' एक सर्वे करने के बाद भोर कमेटी ने एक सब कमेटी बनाई - 'नेशनल प्लानिंग कमेटी ऑफ पॉपुलेशन।' लेडी धनवती रामा राव पॉपुलेशन के क्षेत्र में काम करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी थीं। उन्होंने वर्ष 1949 में भारत सरकार को एक सजेशन दिया कि अब यह भारत देश आज़ाद हो गया है और हमें किस तरह से इस पॉपुलेशन के बारे में चिंता करनी चाहिए और किस तरह की कमेटी होनी चाहिए। मैं इस बात का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि यह देश बड़ा खूबसूरत देश है और यहां हम और आप मंत्री बन जाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी पॉलिटीशियन को कहीं कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो वह एक कमेटी का चेयरमैन बन जाता है, अगर किसी ब्यूरोक्रेट को रिटायरमेंट के बाद कोई रोज़गार नहीं मिल रहा हो तो वह एक कमेटी का चेयरमैन बन जाता है। कमेटी पर कमेटी बनती रहती है; जैसे हम कोर्ट केस के बारे में कहते हैं कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और वह तारीख कभी खत्म नहीं होती है। मंत्री महोदय, मैं उसकी पूरी लिस्ट बताना चाहता हूँ कि इसके बाद हम क्या कर सकते हैं।

जैसा मैंने बताया कि वर्ष 1940 की जो सब-कमेटी थी, उसने इंडियन नेशनल काँग्रेस को एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के बाद उस वक्त जो काँग्रेस कमेटी थी, मैं इसलिए ज़िक्र करता हूँ कि उस वक्त कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं थी। सारे लोग आज़ादी के मूवमेंट में थे, चाहे वे नेशनलिस्ट फोर्सस थे, चाहे कम्युनिस्ट फोर्सस थे, चाहे वे सेकुलर फोर्सस थे, चाहे वह गरम दल था, नरम दल था और चाहे वह विश्व हिन्दू परिषद की फोर्सस थी, वे सारी फोर्सस जो हैं; वे आज़ादी के आंदोलन में एक साथ काम करती थी। इसलिए, काँग्रेस एक पार्टी थी और उन्होंने जो एक रेज़ोलूशन लिया कि जब हमारी सरकारी बनेगी तो हम इस तरह से सब-कमेटी के आधार पर काम करेंगे, जो कभी इम्प्लिमेंट नहीं था। इसके बाद, एक नई कमेटी वर्ष 1951 में बनी, जब पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, तो **Population policy is essential to planning and family planning.** वर्ष 1951 में एक ड्रॉफ्ट रिपोर्ट बनी। मैं केवल यह बता रहा हूँ कि कमेटियाँ बनती रहीं और उसका जो रीपर्कशन है, जब देश आजादी हुआ, तब हम 33 करोड़ पर थे, आज 130 करोड़ पर पहुँच गए हैं। यदि एक कमेटी का कोई भी चीज इम्प्लिमेंट होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। इसके बाद, वर्ष 1952 में एक दूसरी कमेटी बनी, उसे फिर से प्लानिंग कमीशन ने ही बनाई और वह कमेटी थी, **urgency of the problems of family planning and population control**, उसके बाद वर्ष 1956 में प्लानिंग कमीशन ने इसी से जुड़ी हुई एक अन्य कमेटी भी बना दी और उन्होंने कहा कि **the Second Five Year Plan proposes expansion of family planning clinics in both rural and urban areas and recommended a more or less autonomous Central Family Planning Board with similar State level Boards.** यह वर्ष 1956 में हुआ। अभी यहाँ श्री राघव जी, श्री कमलेश पासवान साहब एवं श्री राकेश सिंह साहब बैठे हुए हैं, क्या हम लोगों के क्षेत्र में

इस तरह का कोई बोर्ड है या किसी तरह की फैमिली प्लानिंग ट्रेनिंग है, जो अर्बन एरिया या रूरल एरिया में काम कर रहा है? यह वर्ष 1956 का है। इसके बाद, वर्ष 1959 में तमिलनाडु ने कैश ग्रांट स्टार्ट किया। यहाँ तमिलनाडु के भी हमारे सांसद बैठे हुए हैं। They gave compensation to poor persons for undergoing sterilisation. तमिलनाडु के उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 1959 में थर्ड फाइव ईयर प्लान में कंपन्सेशन देना स्टार्ट किया। वर्ष 1961 से लेकर अब वर्ष 2017 में, लगभग 56 साल के बाद क्या लगता है कि कंपन्सेशन देने से कोई फायदा हो जाएगा?

मैं केवल सदन, देश और मंत्री जी के संज्ञान में इन चीजों को लाना चाहता हूँ। इसके बाद, वर्ष 1963 में the Director of Family Planning proposed a shift from the clinic approach to a community extension approach to be implemented by auxiliary nurses, midwives at a ratio of one per 10,000 persons located in PHCs. Other proposals included a goal of lowering the birth rate from an estimated 40 to 25 by 1973 and to 10 by 1980. यह वर्ष 1963 का रिपोर्ट है, क्या यह हो पाया? इसके बाद, वर्ष 1965 में हम लोगों ने एक अन्य एक्शन स्टार्ट किया, उसका था; Uterine device was devised in the Indian family planning programme. मंत्री जी, उस प्रोग्राम की क्या हालत है? मेरे कहने का मतलब है कि जब आप जवाब देंगे तो उस समय इन सारे चीजों का यदि उत्तर मिल जाएगा, तो सही रहेगा। इसके बाद, वर्ष 1966 में a full fledged Department of Family Planning was set up in the Ministry of Health, and condoms began to be distributed through the established channels of leading distributors of consumer goods. यह वर्ष 1966 में स्टार्ट हुआ, क्या आज भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को इन चीजों के लिए जागरूक कर पाए हैं? 51 साल हो गए, वर्ष 1966 से। इसके बाद वर्ष 1972 में एक लॉ आया; डॉ. महेश शर्मा साहब, चूँकि आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी है, एक लिबरल लॉ permitting abortion on grounds of health, humanitarian and eugenic considerations came into force. क्या यह हो पाता है? कितने लोग आते हैं? आपका तो पूरा एस्टैब्लिशमेंट ही है। यह 1972 से लागू है। गांव के लोगों को आज भी यह पता है। हम उनको शिक्षा दे पाए हैं, उनको अवेयरनेस दे पाए हैं।

कानून पर कानून बना रहे हैं, ड्राफ्ट बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं और इस तरह की विस्फोटक स्थिति हो गई है। 1976 में एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 1971 के सेन्सस के बाद स्टार्ट की। उसमें कोई काम नहीं हुआ। 1977 में जब फिर से जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने जो उसके लूप होल्स थे, उनको खत्म करके फिर से एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1977 में स्टार्ट की। इसके बाद 1982 में एक वर्किंग ग्रुप प्लानिंग कमीशन ने बनाया। वर्किंग ग्रुप ऑन पॉपुलेशन सेट अप बाई

दि प्लानिंग कमीशन, 1978 का जो था, उसके आधार पर उन्होंने मार्टिलिटी रेट और एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ एंड कपल प्रोटेक्शन रेट के बारे में एक वर्किंग ग्रुप बनाया और एक पॉलिसी देश में बनाई कि किस तरह से हम पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। मैं केवल कह रहा हूँ कि अभी तक कितने मीजर्स भारत सरकार ने लिए हैं और कितने फेल हुए हैं। उसके बाद 1983 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी, 1993 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने फिर से एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई, 1994 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनी और 1999 में जीओएम ने जो पॉलिसी बनाई, जिसका जिक्र मेरे मित्र राघव लखनपाल जी कर रहे थे कि वर्ष 2000 में वह नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एडॉप्ट हुई, जो फरवरी, 2000 में एनाउंस हुई, जिसके बारे में आपने जिक्र किया। इतना सब होने के बाद आज क्या सिचुएशन है। हम इस तरह के सिस्टम में, इस तरह की चीजों में भारत सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं या भारत सरकार क्या करेगी, इसके बारे में राघव लखनपाल साहब हमें यदि जवाब मिलेगा, तो हमें लगता है कि आप जो रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, उसका एक बनेफिट इस देश को मिलेगा।

इसके कान्सिक्वेंसेज क्या हैं? आज क्वैश्चन था कि कई इनडैजर्ड प्राणी हैं, स्पीसीज़ हैं, जो खत्म हो गईं। सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है किसी भी पॉपुलेशन का, वह एन्वायर्नमेंटल एंड इकोलॉजिकल कान्सिक्वेंसेज है। आज पूरा का पूरा फॉरेस्ट, एक झारखण्ड राज्य को छोड़ दीजिए, तो सारे राज्य ऐसे हैं, जिनके फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं।

वी.के. सिंह साहब बैठे हुए हैं। अभी मैंने सुखना का जिक्र किया कि इस देश में यदि सबसे ज्यादा यदि लैंड है तो वह डिफेंस के पास है। डिफेंस की लैंड पर एनक्रोचमेंट भी सबसे ज्यादा है। यदि 17 लाख एकड़ लैंड उनके पास है तो लगभग 6 हजार एकड़ लैंड ऐसी है, जो कि एनक्रोच है। यह एनक्रोच क्यों है, क्योंकि डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट जब बने थे, तो वे शहर के बाहर बने थे। अब जब वे शहर के अन्दर आ गए तो सभी लोगों ने उनकी बैरेन लैंड को, क्योंकि कहीं डिमार्केशन नहीं है, कई चीजें हैं, जिनको हम सीएजी में लगातार देखते रहते हैं कि कई लैंड इनके पास ऐसी हैं, जिनका कोई कागज ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि हमारी लैंड है और कब इन्होंने लैंड एक्वायर की थी। इस कारण से इल्लिगल आक्युपेशन होता है।

यदि हम लोग शाम के समय में मुंबई जाएं, तो हम वहां लैंड नहीं कर सकते हैं। वहां कम से कम एक-डेढ़ घंटे की वेटिंग है। यह वेटिंग किसलिए है, क्योंकि फ्लाइट की संख्या बढ़ गई, लोगों के जाने की संख्या बढ़ गई, लेकिन उनके पास एक ही रनवे है। दूसरा रनवे मुंबई के एयरपोर्ट पर नहीं बन सकता है। यह क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी जो लैंड थी, उस लैंड को किन्हीं लोगों ने इल्लिगल कॉलोनी बना लिया। पॉलिटिक्स के कारण, हमारी-आपकी राजनीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण हम उस झुग्गी-झोपड़ी को तोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको डिसलोकेट नहीं करना चाहते हैं, इस कारण से यह समस्या यह हो रही है।

दूसरा, जैसे डॉल्फिन मर रही हैं, तो डॉल्फिन क्यों मर रही हैं? मैं जिस इलाके से आता हूँ और जो मेरा गांव है, बटेश्वर कहलगांव में जो डॉल्फिन है, वह संरक्षित है। गंगा की जो डॉल्फिन है, वह मेरे गांव में है। मैं प्रत्येक बार जब जाता हूँ, तो एक, दो या तीन डॉल्फिन मुझे किनारे पर मरी हुई दिखाई देती हैं। ये इसलिए दिखाई देती हैं कि लोगों ने बिना प्लान के घर बना लिया है। जो एग्रीकल्चरल लैंड है, वह शिफ्ट हो गया है, कामर्शियल लैंड हो गए या मान लीजिए रेसीडेंशियल लैंड हो गए। यदि रेसीडेंशियल लैंड हो गए तो उनका सीवेज का पानी कहां जाएगा? चीजें कहां जाएंगी, डीजल कहां जाएगा, पेट्रोल कहां जाएगा, गाड़ी धोएंगे या क्या करेंगे? उनको किसी चीज के बारे में नहीं पता है। उसी तरह से पूरा फॉरेस्ट एरिया आप देखिए, पहले पक्षी साइबेरिया से आते थे, अब उनका आना कम हो गया, कई स्पेसिज हैं।

एक जमाने में उल्लू बहुत दिखाई देता था, आज आपको उल्लू नहीं दिखाई देगा। लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है तो वीरप्पन जैसे लोग पैदा हो जाते हैं, लोगों के पास रोजगार न होने से चम्बल घाटी जैसा एरिया डेवलप हो जाता है। जहां के लोग इस तरह की बातें करते हैं। बस्तर का पूरा एरिया नक्सलाइट का हो गया है, तिरुपति से लेकर पशुपति तक कॉरीडोर है। मेरा पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है। आपको पता है, यह फॉरेस्ट है, लेकिन वह फॉरेस्ट नहीं है, आज फॉरेस्ट के अंदर गांव है, गांव में लोग इलीगल रह रहे हैं, हमको अंदाजा नहीं है, इस कारण से समस्याएं सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल अरबनाइजेशन का है, एक समय था, जब लोग शहर में नहीं रहना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनको शुद्ध खाना नहीं मिलेगा, तेल, सब्जी और हरी सब्जी नहीं मिलेगी लेकिन आज पोपुलेशन ग्रोथ के कारण अरबनाइजेशन हो गया। अरबनाइजेशन की स्थिति क्या है? दस-दस के एक कमरे में कम से कम 20-20 लोग रहते हैं। गाजियाबाद में जनरल वी.के.सिंह इस समस्या को फेस करते होंगे। उनके पास बाथरूम नहीं है, उनको पीने का पानी हम नहीं दे पा रहे हैं, पोपुलेशन ग्रोथ के बाद जो दूसरी समस्या है वह अरबनाइजेशन है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खर्च करने का विचार किया और 100 स्मार्ट सिटी डेवलप करना है। इसके लिए पूरा का पूरा पैसा दे रहे हैं, प्लान दे रहे हैं। 100 सिटी से क्या होगा, कुल 625 जिले हैं, हम लोग जितने भी सांसद हैं 625 जिले को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपने जिले में यह बताइए कि शहर में जो मकान बन रहा है वह लीगल है या इलीगल है। हम और आप उसे सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। गांव के गांव शहर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। उसके लिए न हम बिजली दे पा रहे हैं और न पानी दे पा रहे हैं, न रोड दे पा रहे हैं, न रोजगार की व्यवस्था कर पा रहे हैं न स्कूल खोल पा रहे हैं। यदि नहीं खोल पा रहे हैं तो जनसंख्या कंट्रोल कीजिए कि हम इतने लोगों का ही कर सकते हैं। तीसरा रूरल पोपुलेशन का विकास है। हमें समझ में आता है कि

अरबन पोपुलेशन है और इस पॉकेट में ज्यादा वोट है या रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर को खर्च करने में ज्यादा पैसा लगता है।

माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक चेहरा दिखाई देता है, आज 500 की आबादी का रोड कनेक्ट हो गया है। मेरे यहां यह 100 से ऊपर की आबादी का है क्योंकि नक्सल प्रभावित जिले हैं। कल वित्त मंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2025 में 500 की आबादी को सड़क से कनेक्ट करना है उसे 2019 में ही करना है इस कारण से मैक्सिमम पैसा दे रहे हैं। लेकिन रूरल पोपुलेशन के लिए हम क्या सिच्युएशन क्रिएट कर रहे हैं। वहां रोजगार के साधन नहीं हैं, वहां बढ़िया रोड नहीं है, हमने स्कूल की बिल्डिंग बढ़िया बना दी लेकिन वहां टीचर नहीं है, सीएससी और पीएससी हॉस्पिटल हैं लेकिन वहां डॉक्टर नहीं हैं। कई बिल्डिंग ऐसी हैं जहां आपने मदर चाइल्ड केयर का हॉस्पिटल बना दिया है। ऐसा कई स्टेटों में है। स्टेट के पास संसाधन की कमी है, पैसे की भी कमी है। मैं यह नहीं कहता कि उनका कोई दोष है, वह काम करना चाहते हैं। इस देश में कोई भी पोलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं होगा जो आम जनता की चीजों को नहीं करना चाहता हो। इसके कारण क्या है, आज रूरल एरिया नेगलेक्टेड हो गया है। शहर में किसी हद तक नल से पानी दे रहे हैं, लेकिन गांव में आज भी चापाकल और कुएं के अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं दिखाई देता है। यदि उनको पानी देना है तो बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है ताकि उनको टंकी से पानी मिले। कुछ राज्यों ने अच्छा प्रयास किया है कि वहीं बोर वेल बना देते हैं या रिवर बैड पर पानी दे देते हैं। वाटर कन्जर्वेशन की पालिसी नहीं है, हमने उसे प्रिजर्व करके नहीं रख रहे हैं, डैम नहीं बन रहे हैं या इन्टर स्टेट डिस्प्यूट है, उस कारण रिवर बैड पर वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वह भी पांच-दस साल बाद फेल हो रहा है। आप समझ लें कि हम उनको शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी वर्ष 2022 तक सबको शुद्ध पीने का पानी देंगे तो इसके लिए सबसे पहले पापुलेशन पालिसी की आवश्यकता है। राघव लखनपाल जी कह रहे थे कि दो बच्चों के बाद बच्चा पैदा करेंगे तो इन्सेन्टिव काटेंगे। चीन में भी यही है।

अब फूड सिक्योरिटी की बात आती है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहां संसाधन बहुत सीमित हैं। सबको खाना खिलाना सब सरकारों का काम है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो गया, 67 परसेंट से ज्यादा लोगों को फूड सिक्योरिटी के अंडर लाना ही है। राज्य सरकार गेहूं या चावल देती है, उसमें 22 रुपए केंद्र सरकार की सब्सिडी है और राज्य सरकार की सब्सिडी एक या डेढ़ रुपए की है। राज्य भले ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से पूरे देश में फैलाता है कि राज्य सरकार यह काम करती है लेकिन फैक्ट यह है कि केंद्र सरकार भारत के सभी नागरिकों को सब्सिडी के माध्यम से खाना देती है, खाना पहुंचाने का काम करती है। इसका क्या होगा? मान लीजिए कि आज एक

लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी है, डेढ़ लाख या दो लाख करोड़ रुपए हो जाएगी, हमारे पास संसाधन कहाँ हैं कि हम और पैसे लाकर फूड सिक्योरिटी दे सकें?

इसके साथ न्यूट्रिशन का रिपर्कशन है। यहां अन्जु बाला जी और रीति जी बैठी हुई हैं, इस देश में 70 परसेंट महिलाएं एनीमिक हैं और चाहे कोई भी राज्य हो, लगभग 62 से 63 परसेंट बच्चे मालन्युट्रिशन के शिकार हैं। यहां बैठे पुरुष अपना टैस्ट करा लें, मैक्सिमम में विटामिन-डी और विटामिन-बी12 की कमी है। न्यूट्रिशन में शुद्ध और अच्छा खाने से बच्चों को स्वस्थ रखना है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या पालिसी है? मिड-डे-मील स्कीम में जो पैसा हम दे रहे हैं या सीमित साधन दे पा रहे हैं, उसमें ही हम अच्छा खाना खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं हो पा रहा है। चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, इसका सवाल नहीं है सभी महिलाएं एनीमिया और बच्चे मालन्युट्रिशन का शिकार हो रहे हैं।

इकोनामिक इम्प्लीकेशन और इन्टर स्टेट डिफरेंसिस, दो चीजें पापुलेशन में दिखाई देती हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वे कराया। इसी पापुलेशन को मद्देनजर रखते हुए कहा कि हम इतनी ग्रोथ कर रहे हैं तो हो क्या रहा है। इसमें 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स चुने हैं। इस देश में ऐसा पहली बार हुआ कि प्रत्येक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में एक सीनियर अफसर, ज्वाइंट सैक्रेट्री या एडीशनल सैक्रेट्री उस डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होगा। वे डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं झारखंड में 24 जिले हैं और 19 जिले बैकवर्ड हैं। इसमें बिहार, बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, मैक्सिमम 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन्होंने पैमाना बनाया कि स्वास्थ्य के आधार पर ये जिले कैसे हैं। शिक्षा और रोजगार के आधार पर ये जिले कैसे हैं और इलैक्ट्रिसिटी के आधार पर ये जिले कैसे हैं। इस पापुलेशन ग्रोथ का, जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड और सलीम साहब, जिस इलाके से हम आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि यह जो माइग्रेशन है, इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये हिन्दू और मुसलमान का प्रश्न नहीं है। यह देश जितना हमारा है, उतना ही सलीम साहब आपका है। मैं आपको आपकी ही पार्टी के सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्ता की रिपोर्ट पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इन्द्रजीत गुप्ता साहब ने पार्लियामेंट में जो कहा था, वह मैं आपको कह रहा हूँ—

The then Home Minister, Shri Inderjeet Gupta, stated in Parliament on 6th May, 1997 that there were ten million illegal migrants residing in India from Bangladesh. उन्होंने गृह मंत्री के नाते वर्ष 1997 में यह कहा।... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : आप उन्हें भी सिटिजनशिप दे रहे हैं।

श्री निशिकान्त दुबे : हम सिटिजनशिप नहीं दे रहे हैं। यह कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको तीन-चार चीजें क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। जब आधार यूपीए सरकार लेकर आयी, तो वह यशवंत सिन्हा जी की कमेटी में गया। उस समय वे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस के चेयरमैन थे और संयोग से मैं भी उसका

एक मैम्बर था। मैं, मिस्टर महताब और आपके गुरुदास दासगुप्ता साहब उसके लिए अलग से बैठे और नंदन नीलकेणी साहब हमारी कमेटी के सामने तीन बार आये। हमने उस आधार बिल को रिजैक्ट किया। उसके बाद नंदन नीलकेणी साहब ने एक बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी कि जब तक मैं मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं मिला था, यह सबके लिए बड़े फख और गौरव की बात होनी चाहिए, तो मेरी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में बैठे हुए सब मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट्स के बारे में यह सोच थी कि यह पढ़ते-लिखते नहीं हैं, ये केवल भाषण-बाजी करते हैं। इन्हें डेवलपमेंट, ग्रोथ, आदि चीजों से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन मैंने अपने जीवन में इतने जीनियस लोगों को एक साथ नहीं देखा है। जब हमने यूआईडी बिल रिजैक्ट कर दिया, तो उन्होंने हमारी कमेटी को यह चिट्ठी लिखी है। अब हमने वह किस आधार पर रिजैक्ट किया है? आप जो कह रहे हैं, उसी सिटिजनशिप के आधार पर रिजैक्ट किया। आज जो भी आधार कार्ड मिल रहा है, वह सिटिजनशिप की गारंटी नहीं है। हमारी सरकार बिल लेकर आयी है, माननीय मोदी जी ने इसे पास कराया है और जिसके कारण, आप समझिये कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से अभी लगभग 60 हजार करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। आप यह समझें कि वह एक रेजिडेंट कार्ड है। रेजिडेंट कार्ड यह है कि जो भी आदमी हमारे यहां घूमने के लिए आएगा और यदि वह छः महीने हमारे यहां रहता है तो हम उसे रेजिडेंट कार्ड देते हैं। जैसे अमेरिका के कोई राजदूत होंगे, तो वे भी रेजिडेंट होंगे। यदि पाकिस्तान का कोई राजदूत रहता होगा और वह यदि आधार कार्ड बनाना चाहता होगा, तो भी रेजिडेंट होंगे। यह उसी तरह का है, जैसे अमेरिका का सोशल सिक्योरिटी नम्बर है। अभी यूआईडी को मिस्टर पाण्डे हैड कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जब वे अमेरिका में भारत सरकार की तरफ से पोस्टिंग में गये थे, तब से लेकर आज तक उनके पास सोशल सिक्योरिटी नम्बर हैं। यदि वे अमेरिका जायें, तो सोशल सिक्योरिटी नम्बर का यूज कर सकते हैं। इसलिए आधार कार्ड सिटीजनशिप की गारंटी नहीं है और हमारी सरकार एनसीआर बनाकर और नैशनल पापुलेशन रजिस्टर बनाकर, जितने इल्लिगल इमिग्रेंट्स हैं, उन्हें बाहर करने का काम करेगी। यह देश से माननीय मोदी जी का वायदा है और यह पूरा हो कर रहेगा। इसलिए सलीम साहब, आपको इसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: हम परेशान नहीं हैं। आप परेशान हैं। ... (व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे: मैं परेशान नहीं हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स थे, आप आज समझिये कि 625 जिलों में से 115 जिले इन सारे क्राइटीरिया में पिछड़ रहे हैं। ये 115 जिले ऐसे हैं, जहां डेमोग्राफिक बदलाव हमेशा प्रत्येक साल होता है, जिसके बारे में लखनपाल जी कह रहे थे कि यह वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का ही मामला नहीं है, यह हमारे यहां का भी मामला है। जब यह बदलेगा, तो नक्स्लाइट एक्टिविटी, टैरिस्ट एक्टिविटी और साइबर क्राइम बढ़ेगा। आपको आश्चर्य होगा कि जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ भारत सरकार बढ़ रही है, माननीय मोदी जी बढ़ रहे हैं, उसमें से साइबर क्राइम का

सबसे बड़ा अड़्डा हमारा संधाल परगना है। हमारे जो छः जिले हैं—देवगढ़, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ आदि पूरे देश के साइबर क्राइम के सबसे बड़े अड़्डे हो रहे हैं। मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि यह हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इस देश में वे लोग हमारा रोजगार खा रहे हैं। हमारे बच्चों को जो सुविधायें चाहिए, पढ़ने के लिए सुविधा चाहिए, हमारे लोगों को छोटे रोजगार चाहिए, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर एवं अन्य चीजों का रोजगार चाहिए, उस पर बांग्लादेश से आकर लोग कब्जा कर रहे हैं। मैं पार्लियामेंट की ही रिपोर्ट को कोट करना चाहता हूं।

“Shri L.K. Advani, the then Union Home Minister addressing a Conference of Chief Secretaries and DGPs in January, 2002 put the figure of Bangladeshi immigrants per year at five lakhs.”

यह आंकड़ा भारत सरकार का है लेकिन यह संख्या इससे ज्यादा है क्योंकि पूरा का पूरा बॉर्डर खुला हुआ है। यदि बांग्लादेश के बॉर्डर की फेंसिंग भी हो रही है तो उसमें जो नदियां हैं, उनकी फेंसिंग नहीं हो सकती है। जैसे पाकुड़ जिला इस तरफ है और धुलियान पार करेंगे तो सीधा बांग्लादेश पहुंच जायेंगे। यह सिचुएशन डेवलप हो रही है और 115 जिलों में मैक्सिमम स्थितियां हैं, वह बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए है। उसके लिए भी एक पालिसी बनाने की आवश्यकता है।

दूसरा, जो राघव लखनपाल साहब ने कहा है, वह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉपुलेशन ग्रोथ का एक बड़ा इम्प्लिकेशन माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन में वे माइग्रेट हो रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जब वे मुंबई में जाते हैं तो वहां बिहारी कह कर मार खाता है, उनमें चाहे कोई हिन्दू हो या मुसलमान हो। उसके पीछे कारण यह है कि आप उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। मान लीजिए कि जो पंचर बनाने वाले हैं, साइकिल पंचर बनाने वाले हैं या मोटर साइकिल या कार ठीक करने वाले लोग हैं, उसमें अधिकांश मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और बच्चे काम करते हैं। वे छोटे-छोटे बच्चे हैं। आप छोटे लेबरर्स की बात करते हैं। कैलाश सत्यार्थी से अन्य लोग बड़ा एवार्ड लेकर आ जाते हैं, वे क्यों काम करते हैं, क्योंकि उनके माता-पिता के पास मनरेगा के बावजूद भी, इस देश में गारंटी के बाद भी खिलाने-पिलाने के लिए कोई सामान नहीं है। इसलिए जैसे ही बच्चे पांच-सात साल के होते हैं, वे उन्हें पंचर की दुकान पर या मिस्त्रीगिरी करवाना या किसी दुकान में काम करवाना शुरू कर देते हैं। वे पढ़ाई-लिखाई नहीं करते हैं। जब वे पढ़ाई-लिखाई नहीं करते हैं और इस तरह का काम करते हैं तो क्या यह देश के लिए उचित है। यदि यह उचित नहीं है तो इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना है। आज भारत सरकार एक बढ़िया काम कर रही है। ट्रिपल तलाक बिल महिलाओं के अधिकार के लिए ला रही है। उसके लिए वह एक क्रिमिनल ऑफेंस साबित करना चाहती है, क्योंकि महिलायें, महिलायें हैं।

कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, चाहे वह कुरान हो, बाइबिल हो, हमारा रामायण या महाभारत हो, सभी ने महिलाओं की इज्जत को सर्वोपरि माना है। कुरान भी इन्हीं बातों को कहता है। जो मिसइंटरप्रेटेशन लॉ

का है और कुरान का भी मिसइंटरप्रेटेशन है, उसको ठीक करने की बात हो रही है तो मैं यह कह रहा हूँ कि इलीगल इमीग्रेंट्स के बाद यहां के जो लीगल लोग हैं, जो यहां के नागरिक हैं, इस देश में हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जिनका अधिकार बराबर है, जिसके कारण माइग्रेशन हो रहा है, जिसके कारण शहरों में ज्यादा लोग आ रहे हैं, जिसके कारण पापुलेशन इतनी बढ़ रही है, इसके लिए दो बच्चों की पॉलिसी बनानी ही चाहिए। इसके लिए मैं आपका समर्थन करता हूँ कि दो बच्चों की पॉलिसी नहीं तो हम उनकी सारी सुविधायें कट कर देंगे।

हरियाणा जैसे राज्यों में सेक्स रेश्यो कम हो रहा है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है। हमें सेक्स रेश्यो एक बार रिलीजन के आधार पर निकालना चाहिए। जैसे हमने कास्ट सेन्सस कर लिया, उसी प्रकार लखनपाल साहब सेक्स रेश्यो को हमें रिलीजन के आधार पर भी देखना चाहिए। उससे लोगों की मानसिकता पता चलेगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह कह रही है कि आजादी के 70-75 साल के बाद भी यदि कोई कम्युनिटी सबसे ज्यादा पिछड़ी है, जिसको रोजगार नहीं है, जिसको अन्य चीजों की सुविधायें नहीं हैं, वह मुस्लिम कम्युनिटी है। वोट बैंक की राजनीति में सारी पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों से वोट ले रही हैं, लेकिन मुसलमानों को जो सुविधायें देनी चाहिए, जो रोजगार देनी चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है? यह इसलिए नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनमें शिक्षा की कमी इसलिए है, क्योंकि बाहर पढ़ने के लिए जो पैसा चाहिए, वह उनके पास नहीं होता है। वे अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाएंगे, तो पढ़ाएंगे कहां से। पापुलेशन ग्रोथ में सैक्स रेश्यो बहुत बड़ा कारण है, इसके लिए रिलीजन के आधार पर सैक्स रेश्यो देखना चाहिए कि हिंदुओं के परिवारों में लड़के और लड़कियों का क्या प्रतिशत है, मुसलमानों में, सिक्खों में और ईसाइयों के परिवारों में सैक्स रेश्यो कितना है। साइंस के डेवलप होने बाद जो लॉगिविटी बढ़ रही है, इसके कारण हम कितने दिनों तक पापुलेशन को अस्थिर रख सकते हैं, इसका प्लान भारत सरकार को बनाने का प्रयास करना चाहिए।

फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए मेरे तीन-चार सुझाव हैं। यूनिवर्सल अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए? आप यह कहते हैं कि हमारा काम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और बाकी काम राज्य सरकार करेगी। नेशनल रूरल हैल्थ मिशन या नेशनल हैल्थ मिशन के तहत सभी सांसद दिशा कमेटी में इस विषय को देखते हैं, लेकिन पचास चीजें देखते-देखते उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि वे चीजों को डिस्कस कर सकें। दूसरा प्लानिंग में वे छोटी-छोटी जानकारियां लेकर इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। मेरा कहना है कि पापुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बारे में मॉनीटरिंग करने के लिए भारत सरकार के पास क्या योजना है। इसके बाद फाइनेंस की बात है। माननीय मोदी जी के आने के बाद भारत सरकार ने पहली बार हैल्थ के बारे में बजट को बढ़ाया है, लेकिन हैल्थ का बजट अमरीका,

इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया की बात करें या सिंगापुर की बात करें तो उनके हिसाब से हेल्थ का बजट अभी भी कम है। हेल्थ का बजट बढ़ना चाहिए। हेल्थ का एक बजट अलग है, जिसमें हम बड़े अस्पताल बना रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, यह अलग बजट है। मैं फैमिली प्लानिंग के लिए खर्च करने वाले बजट की बात कह रहा हूँ। उस बजट के आधार पर हम क्या करेंगे, जिसमें शार्ट टर्म गोल हो सकता है, मीडियम टर्म गोल हो सकता है और लॉग टर्म गोल हो सकता है। यह भी भारत सरकार को बताना चाहिए। इसके बाद कैपेबिलिटी और इफेक्टिवनेस आफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर है। इस प्रोग्राम के लिए यह देखने की जरूरत है कि आपके पास कितनी वैकेंसी होगी, कितने लोग यहां स्किल्ड हैं। मोदी जी ने इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। स्किल्ड डेवलपमेंट में जैसे नर्सस नहीं मिलती हैं, कम्पाउंडर नहीं मिलते हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिलते हैं, पैथोलॉजिस्ट की कमी है।

महोदय, द्विभाषा के तहत तमिल में तमिल भाषा बोलने वालों के लिए आपने क्या किया? केरल में मलयालम बोलने वाले लोगों के लिए आपने क्या किया? हमारे यहां अंगिका लोकल भाषा है, कहीं भोजपुरी भाषा बोली जाती है, कहीं वंजिका भाषा बोली जाती है, कहीं अवधी भाषा बोली जाती है। इस तरह की स्किल्ड मैन पावर को डेवलप करने के लिए भारत सरकार के पास क्या प्लान हैं? इसके बाद जो लिटरेसी और इकोनॉमिक स्टेटस आफ फैमिलीज हैं, विशेषकर महिलाओं की बात है, यदि केरल को छोड़ दीजिए तो हम जिन राज्यों से आते हैं जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से लखनपाल जी आते हैं, मेघवाल जी राजस्थान से आते हैं या मैं झारखंड से आता हूँ। इसलिए जो सबसे बड़ी समस्या है, वह यह है, मान लीजिए कि यदि मेरे राज्य में लिटरेसी रेट 60 परसेंट है, तो उनमें महिलाओं की लिटरेसी रेट केवल 30-32 परसेंट होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक महिलाएँ साक्षर नहीं होंगी, महिलाएँ जब तक अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगी, माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि आज से 10-15 साल पहले भारत सरकार ने मोबाइल वैन का कांसेप्ट शुरू किया। चूँकि सभी स्थानों पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं रहते हैं, इसीलिए प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक गाँव में ये मोबाइल वैन जाएंगे और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को हेल्थ की फ़ैसिलिटी देंगे।

‘दिशा’ के नाते या मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते इन सब चीजों को सांसदों को देखने का मौका मिलता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में तीन जिले हैं। तीनों जिलों में तीन-तीन मोबाइल वैन हैं। इसके बारे में आपको जानकार आश्चर्य होगा, मोबाइल वैन के लिए यह क्राइटेरिया है कि एक महिला गायनिकोलॉजिस्ट आवश्यक रूप से होनी चाहिए। लेकिन, पिछले दस वर्षों में किसी भी मोबाइल वैन में मैंने कोई महिला गायनिकोलॉजिस्ट नहीं देखा। प्रत्येक वैन को हम लोग पौने दो लाख से दो लाख रुपये तक देते हैं। भारत सरकार के पैसे एनजीओज़ के माध्यम से कैसे बर्बाद होते हैं, एनजीओज़ क्या काम करते हैं, उसका मैं यह सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ।

मैं पिछले लगभग दस वर्षों से सांसद होने के नाते ये सारी बातें कह रहा हूँ। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ में महिलाओं, खासकर मुस्लिम महिलाओं को बताने की आवश्यकता है कि आपके बच्चे पढ़ेंगे-लिखेंगे नहीं, तो हो सकता है कि एक दिन वे बेरोज़गार होकर दाऊद इब्राहिम की तरह इस देश के खिलाफ काम करने लगेंगे। उसके पीछे कारण तो यही था, शिक्षा की कमी थी। इसलिए आप मुस्लिम महिलाओं के अवेयरनेस के लिए क्या काम कर रहे हैं?

ओपिनियन लीडर्स ऑफ सोसाइटी का पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए। हम लोग यहाँ 545 सांसद हैं। आप यह बताएँ कि भारत सरकार का फैमिली प्लानिंग का क्या कार्यक्रम चल रहा है। इसकी शुरुआत यहीं से करते हैं। माननीय मंत्री जी, आप तो लगातार इस बात की मीटिंग लेते रहते हैं, यह एक बार शुरू हो। पहले केवल लोक सभा और राज्य सभा के सांसदों को ही बताएंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार के क्या-क्या उपाय हैं, हमको कौन-सा अवेयरनेस करना है, कौन-सा प्रोग्राम करना है। उसके बाद दूसरा रास्ता यह हो सकता है कि जो दूसरे ओपिनियन मेकर्स हैं, टीवी चैनलों के मालिकों से बात कर सकते हैं, टीवी चैनलों के जो एडिटर हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जो पत्रकार हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जिन पत्रकारों का हेल्थ के बारे में इंट्रेस्ट है, उनसे बात कर सकते हैं। रीजनल लोगों में से जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो एनजीओज हैं, जो सोसायटीज चलाते हैं, उनके लिए हम क्या काम कर पा रहे हैं, इसके लिए हम कितना बजट दे पा रहे हैं।

समाज में महिलाओं का एक कंप्लीट आइसोलेशन है। आइसोलेशन यह है कि महिलाओं की बहुत शह नहीं है। घर में बच्चे कितने होने चाहिए, वह लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए, यह जो आइसोलेशन है, उसके लिए धारा 498 के तहत भारत सरकार ने गलती से एक कानून बना दिया। जिन महिलाओं को बचाने के लिए यह कानून बनाया गया, वे महिलाएँ ही सबसे ज्यादा इसकी शिकार हुईं। मान लीजिए कि किसी महिला की गोतनी फंस गयी, किसी की सास फंस गयी, किसी की ननद फंस गयी। मैं यह कह रहा हूँ कि आपने डाउरी के लिए जो कानून बनाया, उसी प्रकार से क्या हम इसमें कानून बना सकते हैं? यदि महिलाएँ चाहती हैं कि वे ज्यादा बच्चे पैदा न करें, ज्यादा बच्चे पैदा करके इस देश पर बोझ डालना नहीं चाहते हैं, तो जो आइसोलेटेड महिलाएँ हैं, उनके लिए धारा 498 में, हेल्थ सेक्टर में या पॉपुलेशन रजिस्टर करते हुए कोई कानून बना सकते हैं? यदि महिलाओं को पति, सास, ननद या समाज टॉर्चर करता हो, इस कारण से कि किसी महिला को केवल बेटी है या उसे कोई बच्चा ही नहीं है, ऐसा किसी महिला ने तय कर दिया कि उसका बच्चा ही पैदा नहीं होना है, जैसे हमारे श्री राघव लखनपाल जी, जो इस बिल को लेकर आये हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि उनको शादी नहीं करनी है।

18.00 hrs

जैसे हमारे राघव लखनपाल साहब, जो बिल लेकर आए हैं, उन्होंने यह तय कर लिया है कि उनको शादी नहीं करनी है। यह उनका अपना मत है कि उन्हें शादी नहीं करनी है। उन्होंने पॉप्युलेशन ग्रोथ के लिए सब से पहले यही काम स्टार्ट किया है। ... (ब्यवधान) उन्होंने यह फैसला किया है। ... (ब्यवधान) वे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता। ... (ब्यवधान) हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री भी ऐसे रह चुके हैं। इस पार्टी का यह इतिहास रहा है। माननीय अटल विहारी वाजपेयी जी ने शादी नहीं की थी। वे इस देश के प्रधान मंत्री थे।

माननीय सभापति : क्या आप नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे?

SHRI NISHIKANT DUBEY : Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Now, the House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 27th December, 2017 at 11.00 a.m.

18.01 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Wednesday, the 27th December, 2017 / Pausha 6, 1939 (Saka).*
